खण्ड-239, अंक-4
बुधवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(20 फरवरी, 1963 ई0)

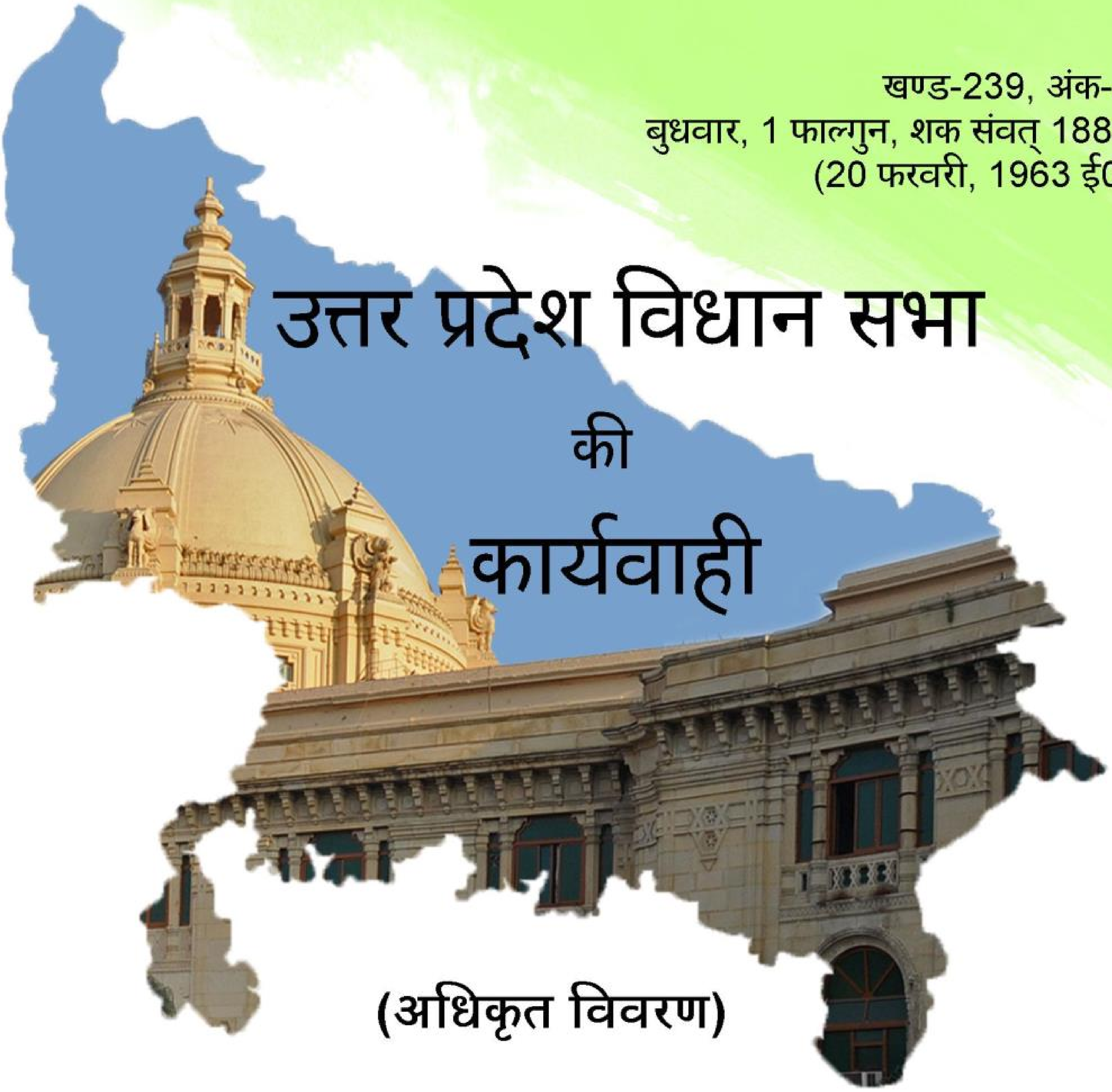

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२१७–२२१
प्रश्नोत्तर	२२१–२४३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	२४३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	२४४
सचिव, विधान मंडल की पद-समाप्ति पर आपत्ति	२४४–२४५
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	२४५–२४७
१९६३–६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	२४७–२९७
नत्थियां	२९८–३०२

विधान सभा सचिवालय

LEGISLATURE LIBRARY
JUN
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में साढ़े १० बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह कुंवर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)

बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह, आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, मुद्गल श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसंपति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री

सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

*नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २० फरवरी, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में श्री अब्दुल रहमान खां का लूटा जाना

**१—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १४ फरवरी के पूर्व की रात्रि में इलाहाबाद शहर की लीडर रोड पर कानपुर के एक व्यापारी की हत्या करके उसके पास के कई हजार रुपये लूट लिये गये ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

दिनांक १४ फरवरी के पूर्व की रात्रि में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। किन्तु दिनांक १२-२-६३ की रात्रि को लीडर रोड पर एक व्यक्ति को चाकू से घायल कर रुपया लूटे जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

अनवरगंज कानपुर के निवासी श्री अब्दुल रहमान खां दिनांक १२-२-६३ की रात को एक रिक्शे में चौक से स्टेशन जा रहे थे। जब वे लीडर रोड पर पहुंचे तो दो व्यक्तियों ने जो साइकिल पर उनका पीछा कर रहे थे, उन पर हमला किया और उन्हें चाकू से घायल कर उनका झोला जिसमें ६६२१ रु० थे, लेकर भाग गये।

श्री अब्दुल रहमान ने घटना की रिपोर्ट रात साढ़े दस बजे कोतवाली पर दर्ज कराई जहां धारा ३९४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। अब्दुल रहमान खां को इलाज के लिये अस्पताल भेज दिया गया जहां से दूसरे दिन डिचार्ज होकर वे कानपुर लौट गये। घटना की जांच जारी है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लीडर रोड जो एक प्रमुख रोड है प्रयाग की, वह स्टेशन से संगम और चौक की तरफ जाती है वहां जो आये दिन घटनायें हुआ करती हैं, वहां पर ऐसा गिरोह है जो टप्पेबाजी करता है, इन सब की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, माननीय पांडेय जी बहुत सी बातों को मान कर चले हैं कि आये दिन घटनायें होती रहतीं हैं, वहां कोई गिरोह है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। जहां तक इन्तजाम का संबंध है जो जनरल इन्तजाम सब जगह है वह वहां भी है। गश्त होती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ?

श्री नवलकिशोर—

मायन्वर, अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि यह घटनायें जो वहां पर उस सड़क पर घटती हैं देश और विदेश से लोग जिस सड़क से आते जाते हैं यह पुलिस की जानकारी में है और पुलिस से मिलजुल कर घटती हैं, इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी इस सरकार को नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि लीडर प्रेस इलाहाबाद में जैसी और जगहों पर गश्त होती है वहां पर भी की जा रही है, मैं उपमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लीडर प्रेस इलाहाबाद की अहमियत को देखते हुये, यह देखते हुये कि उस शहर में विदेश के लोग आते रहते हैं, और वह सड़क शहर की मुख्य सड़क है, उस पर दिनदहाड़े छुरेबाजी हो, और आज तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार न हो क्या यह आप की पुलिस की असावधानी नहीं है ?

श्री नवलकिशोर—

मेरे मित्र को धोखा हुआ। यह मामला दिनदहाड़े नहीं हुआ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

दिनदहाड़े का मतलब मुहावरे में कुछ और होता है।

श्री नवलकिशोर—

दूसरे लीडर प्रेस से संबंधित कोई बात नहीं थी। मैंने कहा था लीडर रोड।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लीडर रोड की बात मैंने भी कही।

श्री नवलकिशोर—

आपने लीडर प्रेस कहा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जो एफ० आई० आर० लाज की गयी उसकी मुख्य-मुख्य क्या है ?

श्री नवलकिशोर—

एफ० आई० आर० की रिपोर्ट मेरे पास है नहीं। उसमें यह है कि वह सड़क पर जा रहे थे। दो आदमियों ने हमला किया और झोला ले कर भाग गये।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बतायेगी कि कितने आदमियों पर कौन-कौन अभियोग दर्ज करवाये गये और अब तक गिरफ्तारी के संबंध में क्या कदम उठाये गये ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, यह नामजद रिपोर्ट नहीं है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह घटना कितने बजे रात की है ?

श्री नवलकिशोर—

यह घटना १० बजे रात की है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस जगह पर यह घटना घटी नाका उससे तीन फर्लांग पर है और पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उनके सामने यह सब हुआ ?

श्री नवलकिशोर—

मायन्वर, उसका कितना फासला है, यह तो मेरे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर), श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिये गये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

प्रसव की सुविधायें रखने वाले अस्पताल

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ६ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर में उल्लिखित ४८ जिलों के अलावा वे कौन-कौन से जिले हैं जहां बच्चा पैदा कराने के अस्पताल हैं ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—

शेष ६ जिलों में उन अस्पतालों की संख्या जहां प्रसव के लिये सुविधायें हैं, संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९८ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह ६ जच्चा बच्चा के अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में हैं या केवल नगर में हैं ?

श्री धर्मसिंह—

अब यह तो हमारे पास में रिपोर्ट ग्रामीण और शहर के क्षेत्र की नहीं है। राजकीय अस्पतालों की संख्या ३ है और लोकल बाडीज के अस्पतालों की संख्या ३ है, इतनी ही सूचना है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर कि यह ६ अस्पताल नगर में ही हैं, देहात के क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, जिसके कारण आये दिन वहां के लोगों को कष्ट पहुंचता है और अनेक मृत्युयें होती हैं, क्या इस बात की व्यवस्था करेंगे कि देहात में भी जच्चा-बच्चा के अस्पताल खोले जायं ?

श्री धर्मसिंह—

मान्यवर, यह तो तमाम प्रदेश से सम्बन्धित मामला है। जैसा माननीय सदस्य कहते हैं वह सही हो सकता है, उसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि यह अस्पताल शहर में है या देहात में हैं। लेकिन ४ बेड्स के अस्पताल देहातों में जहां हैं जहां पी० एम० एस० (ट) के डाक्टर्स रहते हैं, वहां भी इसका इन्तजाम होता है।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

यह तीन जो राजकीय अस्पताल हैं इनमें कितनी डाक्टर्स हैं और कितनी नर्सेज हैं ?

श्री धर्मसिंह—

मान्यवर, यह तो बहुत व्यापक सवाल है, इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि राज्य के सम्पूर्ण जिलों में देहातों में इस प्रकार के बच्चा पैदा करने के ६ अस्पताल खुले हुये हैं ? अगर हैं, तो कितने ?

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल तो एक जगह का था। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव)—

हर प्राइमरी सेंण्टर पर यह अस्पताल है और बाकी सब बच्चे घरों में पैदा होते हैं।

डाक्टरों की पदोन्नति

*२—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ ई० से अब तक मेडिकल तथा हेल्थ विभाग के डाक्टरों की पदोन्नति के लिये कितने स्थान रिक्त हुये तथा कितनों की पदोन्नति विभाग द्वारा की गयी तथा कितनी पदोन्नति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुई ?

श्री धर्मसिंह—

मेडिकल विभाग में कुल १३३ स्थान पी० एम० एस० (प्रथम) पुरुष शाखा में तथा २९ स्थान सिविल सर्जन के पदोन्नति के लिये १९५१ से अब तक रिक्त थे। १२० पी० एम० एस० (प्रथम) के स्थानों पर विभाग द्वारा अफसरों की पदोन्नति की गई। इनमें से १३ अफसरों की पदोन्नति लोक सेवा आयोग की अनुमति से की गई।

२९ सिविल सर्जनों के रिक्त स्थानों पर पी० एम० एस० (प्रथम) अधिकारियों में से सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति की गई। सिविल सर्जन के स्थान पर पदोन्नति के लिये लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

पी० एम० एस० (प्रथम) महिला शाखा में १९५१ से अब तक कुल ४६ स्थान पदोन्नति के लिये रिक्त हुये। इनमें से ४४ स्थानों पर विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पदोन्नति की गयी।

हेल्थ विभाग में कुल १२० स्थान पदोन्नति के लिये १९५१ से अब तक रिक्त हुये उनमें से ११८ स्थानों पर विभाग द्वारा अफसरों की पदोन्नति की गई। इन ११८ अफसरों में से ३७ की पदोन्नति के लिये लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं था। किन्तु इन ३७ अफसरों में से ४ की पदोन्नति लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई थी। इसके अतिरिक्त ४९ अफसरों की पदोन्नति लोक सेवा आयोग की परामर्श से की गई तथा ३२ अफसरों की पदोन्नति अल्प समय के लिये की गई। इन के संबंध में लोक सेवा आयोग से परामर्श, नियमों के अनुसार किया जायगा। २ स्थान अभी रिक्त हैं।

*३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पदोन्नति विभाग द्वारा की गयी उसमें कितनी कमीशन द्वारा कन्फर्म करा ली गयी है।

श्री धर्मसिंह---

मेडिकल विभाग में पी० एम० एस० (प्रथम) पुरुष शाखा में १३ तथा पी० एम० एस० (प्रथम) महिला शाखा में ४४ और हेल्थ विभाग में ४९ अफसरों को पदोन्नति के संबंध में लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त कर ली गई है।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पी०एम०एस० २ से पी० एम० एस० १ में जाने के लिये जो विभागीय प्रमोशन होता है, उसका आधार क्या माना जाता है ?

श्री धर्मसिंह---

इसके लिये आजकल तो सीनियारिटी है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है पहले कभी इसके लिये मैरिट रही है लेकिन आजकल सीनियारिटी है।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो १२० स्थान पी० एम० एस० १ के रिक्त हुये उनमें से १३ अफसरों के लिये लोक सेवा आयोग से अनुमति ली गई तो बाकी के लिये क्यों नहीं ली गई, इसका क्या कारण था ?

श्री धर्मसिंह---

काफी दिनों तक यह लिखा पढ़ी होती रही और आपस में परामर्श होता रहा। आजकल यह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के विचाराधीन है और यह उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही इन तमाम बातों का निर्णय हो जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह---

मंत्री जी कहते हैं कि काफी दिनों से यह मामला विचाराधीन है। सन् १९५१ से लेकर आज तक जितने स्थान रिक्त हुये उन स्थानों के लिये १२ साल से पब्लिक सर्विस कमीशन से स्वीकृति नहीं ली गई और यह अभी तक विचाराधीन है और लिखा पढ़ी हो रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के सामने क्या दिक्कत पड़ी कि अभी तक इन स्थानों की पूर्ति नहीं हो सकी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

जरूरत पड़ती है तो एड होक प्रमोशन कर लिये जाते हैं और उसके बाद मैरिट्स के ऊपर प्रमोशन कर लिये जाते हैं। फिर यह देखा गया कि सीनियर लोगों के साथ बेइंसाफी हो गई तो एक सीनियारिटी की लिस्ट तैयार की गई। अब यह रखा गया है कि जो सीनियर होगा सबजेक्ट टु रिजेक्शन आफ अनफिट। इस सिलसिले में पूरी लिस्ट जानना चाहें तो मैं आपको बतला दूंगा। अगर आप किसी केस जो बतलायें कि आपके हिसाब से उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसकी जांच करली जायगी वरना डिपार्टमेंटल कार्य हो रहा है। जहां तक होता है जब जरूरत पड़ती है तो एकदम एड होक प्रमोशन कर लिये जाते हैं और फिर बाद में परामर्श ले लिया जाता है।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन ११८ स्थानों में से ३७ अफसरों के लिये लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं था और ८१ के लिये आवश्यक था, यह सरकार मानती है तो जब ३७ व्यक्तियों का कन्फर्मेशन लोक सेवा आयोग से कराया तो इन ८१ व्यक्तियों का क्यों नहीं कराया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

उन ८१ व्यक्तियों के बारे में यह बात है कि उनमें से ४९ का कन्फर्मेशन हो गया था और ३२ जो हैं वे सभी परमानेंट अप्वाइंटमेंट पर थे। लिहाजा जब प्रमोशन होगा तो उनके पास भेजा जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह से बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की इजाजत के जो सरकार ने अपने मनमाने ढंग से यह कन्फर्मेशन की लिस्ट बनाई थी उसके बनाने के पहले पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल न लेने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जब डाक्टरों की इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो ऐसा कर दिया जाता है। उसके बाद वे अनफिट कर देते हैं तो तब लोगों को निकाल देते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल में श्री गुप्त का जो सुपरिंटेंडेंट के पद पर अप्वाइंटमेंट हुआ है वह किसी सीनियारिटी के हिसाब से हुआ है या मैरिट के हिसाब से या किसी और कंसीडरेशन से हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। बलरामपुर अस्पताल के लिये यह सवाल नहीं था।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या मंत्री जी इसकी जांच कर के सदन को बतलायेंगे कि किस विचार से उनका प्रमोशन हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—

आप सूचना देंगे और लिखकर प्रश्न करेंगे तो जांच की जा सकती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी ने बतलाया कि पहले प्रमोशन मैरिट से होता था और बाद को सीनियारिटी के आधार पर दिया और उसके बाद यह कहा कि चूंकि कुछ लोगों की हकतलफी हुई थी इसलिये सीनियारिटी से फिर किया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मैरिट के आधार पर प्रमोशन करने में कितने लोगों के साथ हकतलफी हुई और जिनके साथ हकतलफी हुई उनके मामले में मंत्री जी क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

यह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कर दिया गया है और इसकी एक लिस्ट अलग तैयार नहीं की गयी है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी वह लिस्ट तैयार करके सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सारा मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने है, लिहाजा जस्टिस, इनजस्टिस का सवाल रह नहीं गया। जैसा वह डिसाइड कर देगा वैसा हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये लोक सेवा आयोग के पास कुछ अधिकारियों के नाम गये और कुछ के नहीं गये, तो जो शेष बचे रहे उनके न भेजने का कारण क्या था ?

श्री धर्मसिंह—

अब तो ४८१ के गये हुये हैं जिनकी ५ साल से ज्यादा सर्विस हो गयी है और कुछ का नम्बर तो हमारे पास है नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं डेफिनिट सवाल करता हूं कि सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये नाम न भेज कर जितने स्थानापन्न सिविल सर्जन काम करते थे, कुछ के नाम ही क्यों भेजे, इसका क्या कारण था ?

श्री महावीर प्रसादश्रीवास्तव—

मैंने तो यह नहीं कहा कि कुछ नहीं भेजे, यह आपने कहां से निकाल लिया ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

सरकार को कैसे जानकारी हुई कि मैरिट से लिस्ट बन जाने के बाद कुछ आदमियों के साथ अन्याय हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सीनियर लोगों ने रिप्रेजेंट किया कि हम लोगों को क्यों नहीं लिया गया, सिर्फ मैरिट से क्यों ले लिया गया । उनकी यह बात मानी गयी कि ठीक है और सबजेक्ट टू अनफिट उनको ले लिया जायगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

उत्तर में लिखा है कि दो स्थान अभी रिक्त है तो इतने रिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी उनको रिक्त रखने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—

कभी कोई रिटायर होता है, कभी कोई कारण होता है, इतने बड़े कैडर में यह हो सकता है। मेरे पास सूचना नहीं है कि दो स्थान खाली हैं और कब से हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल पोस्टपोन कर दिया जाय, एक भी उत्तर मंत्री जी की तरफ से साफ नहीं आ रहा है, सेंस आफ दि हाउस यही है।

मलेरिया विभाग, इटावा के क्लीनर की मृत्यु

*४—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा के मलेरिया विभाग से संबंधित १९६०-६१ में ट्रक ऐक्सीडेंट में क्लीनर मर गया था ? यदि हां, तो सरकार ने उसके परिवार की सहायता तथा पेंशन का क्या इन्तजाम किया ?

श्री धर्मसिंह—

१९६०-६१ में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। परन्तु १९५९ में मलेरिया की ट्रक और एक प्राइवेट ट्रक की टक्कर के फलस्वरूप मलेरिया विभाग के एक क्लीनर की मृत्यु हुई थी।

मृतक क्लीनर के परिवार को असाधारण पेंशन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री कमलासिंह यादव—

असाधारण पेंशन का सवाल कब से सरकार के विचाराधीन है और कब तक इसका निर्णय होगा ?

श्री धर्मसिंह—

जबसे लिखा-पढ़ी हुई तब से। फिलहाल पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने है।

श्री कमलासिंह यादव—

किस तारीख को निश्चय किया गया कि असाधारण पेंशन दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—

यह तो अकाउन्टेंट जनरल ने १९६१ में गवर्नमेंट को लिखा है कि नियमों के अनुसार यह हो सकता है, उसके बाद में आगे कार्यवाही की जा रही है।

श्री कमलासिंह यादव—

अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

आशा है जल्दी हो जायगा और इसको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट दिया जायगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या सरकार बतायेगी कि जिस ट्रक से ऐक्सीडेंट हुआ उसके प्रति कौन सी कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री धर्मसिंह---

उसका चालान हुआ, कोर्ट में केस गया, सजा वगैरह हुई ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

वह इस वक्त जेल में है भी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्लीनर की मृत्यु किस प्रकार हुई और उसके घरवालों को कितनी पेंशन दी जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

जो बेवा है उसको १० रुपया महीना दिया जायेगा जब तक वह जिन्दा रहे या दूसरी शादी न करले। लड़कों को ४ रुपया महीना, १८ साल की उम्र तक और लड़की को ४ रुपया महीना जब तक उसकी शादी न हो जाय ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

यह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों रेफर किया गया है, क्या सरकार बतायेगी ?

श्री धर्मसिंह---

नियमों के अनुसार जो इस तरह के ऐक्सीडेंट हो जाते हैं और जिसमें मनी मैटर होता है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करना पड़ता है ।

अलीगढ़ जिले में न्याय पंचायतों का आडिट

*५---श्री नेकराम शर्मा---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पोरा न्याय पंचायत ब्लाक हसायन, जिला अलीगढ़ का आडिट कितने सालों से नहीं हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

न्याय पंचायत पोरा के लेखों का आडिट विगत ४ वर्षों से नहीं हुआ है परन्तु इस संस्था का आडिट तुरन्त प्रारम्भ करा देने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री नेकराम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में सभी न्याय पंचायतों का आडिट हो जाय, ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---

यह तो किया जा रहा है कि सब आडिट जल्दी हो जायं । इस वक्त अलीगढ़ में १९५८-५९ तथा १९५९-६० का आडिट हो रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा---

अब तक यह आडिट न होने में क्या दिक्कतें थीं ?

श्री जयराम वर्मा---

गांव सभाओं और न्याय पंचायतों की संख्या इतनी ज्यादा है और हमारे पास आडिटरों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण उनके लिये यह संभव नहीं है कि वे उसको हर साल आडिट कर लिया करें ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस आडिट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इन्टरनल रनिंग आडिट करने की है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री जयराम वर्मा--

मैंने बताया कि हमारे पास आडिटरों की संख्या बहुत कम है, इस कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है कि हर साल आडिट पूरा हो सके ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या ब्लाक के सदस्यों को भी पंचायतों का हिसाब देखने का अधिकार है ?

श्री जयराम वर्मा--

हिसाब देखने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन वह कोई आडिट थोड़े ही समझा जायेगा ।

वाराणसी जिले में चिकित्सालय

*६--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा वाराणसी जिले में कहां-कहां चिकित्सालय चल रहे हैं और क्या उनमें कार्य करने वाले निम्न-वर्ग के कर्मचारियों को ५-६ वर्ष से वार्षिक बढ़ोत्तरी नहीं दी जा रही है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

श्री धर्मसिंह--

वाराणसी जिले में २९ आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय चल रहे हैं, जिनकी सूची संलग्न है । उनमें कार्य करने वाले निम्नवर्ग के कर्मचारियों की संख्या ३४ है, जिनमें ३१ को वार्षिक बढ़ोत्तरी दी जा रही है और शेष ३ को अभी नहीं । इसका कारण यह है कि उनका पहले का अभिलेख न मिल सकने के कारण उनकी व्यक्तिगत चरित्रपंजी पूर्ण नहीं हो पाई । उनके मामलों को शीघ्र तय करने की चेष्टा की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९९ पर)

*७--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विभाग के चिकित्सालयों में कितने ऐसे कम्पाउन्डर सन् १९३९ से कार्य कर रहे हैं और उनके रिटायर होने को बहुत ही कम समय रह गया है जिन्हें कन्फर्म नहीं किया गया है, क्या उनमें से कठिरांव चिकित्सालय, वाराणसी में एक श्री बेनीसिंह है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री धर्मसिंह--

वाराणसी जिले में सन् १९३९ से कार्य करने वाले ऐसे कम्पाउन्डरों में केवल श्री बेनीसिंह ही ऐसे कम्पाउन्डर हैं जिनका स्थाईकरण अभी नहीं किया जा सका । इसका कारण यह है कि उनके स्थाईकरण के कागजात अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं । जिला स्वास्थ्याधिकारी वाराणसी को शीघ्रता करने के लिये लिखा जा चुका है ।

श्री ऊदल--

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री बेनीसिंह को २५ साल काम करते हो गये और २ साल में रिटायर हो जावेंगे तो अभी तक जो लोग उनके स्थायी न किये जाने के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री धर्मसिंह--

कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है । आयुर्वेदिक डाइरेक्टर के यहां यह कागजात आ गये हैं और जल्दी ही निर्णय लिया जायगा ।

श्री ऊदल--

क्या सरकार बतावेगी कि बनारस में ऐसे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुये हैं। यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह--

कन्फरमेशन के नियम हैं जिनके अनुसार कार्य होता है।

श्री रघुनाथसिंह--

स्थायीकरण की क्या शर्तें हैं जिन्हें श्री बेनीसिंह जी २८ वर्ष तक भी पूरी नहीं कर पाये?

श्री धर्मसिंह--

नोटिस चाहिये।

श्री ऊदल--

२५ साल तक वे कागजात डाइरेक्टर के यहां न आने का क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह--

सरकार को खेद अवश्य है कि इतना अधिक विलम्ब हुआ। अब शीघ्र निर्णय लेने की कोशिश की जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

सरकार की अनुशासन समिति की सिफारिश के अनुसार कि ३ वर्ष से अधिक से कार्य करते लोगों को स्थायी कर दिया जाय जिसके लिये मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिये हैं, इन्हें क्यों नहीं स्थायी कर दिया गया?

श्री धर्मसिंह--

मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उस आर्डर को देखना होगा।

गांव पंचायत, बरईगढ़

*८--श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९ और ६० में गांव पंचायत बरईगढ़, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर के सदस्यों एवं निवासियों ने गांव पंचायत बरईगढ़ के सभापति द्वारा अनियमित कार्य कर के गांव पंचायत को क्षति पहुंचाने के बारे में कई प्रार्थना-पत्र सम्बंधित जिला अधिकारियों को जांच कराने हेतु दिये थे जिनकी जांच तहसीलदार तथा एस०डी०एम० घाटमपुर द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या थी और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*९--श्री ज्वालाप्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायत, बरईगढ़ तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर के हिसाब का पिछले ६ वर्षों से कोई आडिट हुआ है? यदि नहीं, तो क्या सरकार आडिट कराने की व्यवस्था करने पर शीघ्र कार्यवाही करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद--

इस प्रश्न को पूछे करीब डेढ़ महीना हो गया, बल्कि ज्यादा हो गया, तो कब तक इसकी सूचना आ जावेगी।

श्री बंशीधर पांडेय--

शीघ्र ही सूचना आने की आशा है।

त्रिवेदीगंज ब्लाक का सहकारिता विभाग

*१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि ब्लाक त्रिवेदीगंज (बाराबंकी) के सहकारिता विभाग के कार्य-कलापों के विरुद्ध विगत मार्च, १९६० से अब तक साप्ताहिक हिन्दी पत्र मातृभूमि एवं जनता, क्षेत्र समिति के सदस्यों द्वारा अनेक शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो व क्या थीं और किस-किस प्रकार थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

जी हां ।

शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३००–३०१ पर)

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त ब्लाक की लछमनपुर (त्रिवेदीगंज) सोसाइटी को विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त किये बिना रासायनिक खाद बेंचने के लिये दी गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

जी नहीं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब वह त्रिवेदीगंज ९ नवम्बर, सन् १९६२ को गये थे तो वहां के एस० डी० ओ० कोआपरेटिव के विरुद्ध इस प्रकार के शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे कि वह रासायनिक खाद को ब्लैक में बिकवाते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अगर कोई शिकायतें होंगी तो उनकी जांच हो रही होगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह सोसाइटी ऐक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है कि खाद बेचे । यह मिल्क की सोसाइटी है, जिसे खाद बेचने का काम नहीं दिया जा सकता । लेकिन ए० डी० ओ० ने इसलिये दिया है कि ३५ रुपये की जगह ४२ रुपये में खाद बिकवावें, जिससे ब्लैक मार्केट होता है । क्या सरकार इसकी जांच करावेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह साधन सहकारी समिति है जो खाद का वितरण करती है । इसने लाइसेंस फी जमा करके लाइसेंस लिया ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यह साधन सहकारी समिति नहीं है, बल्कि दूध की सोसाइटी है । कोलहदा सीड स्टोर को जो खाद का कोटा मिला था, वह उस दूध की सहकारी समिति को भेज दिया गया । उस मिल्क सोसाइटी ने उस खाद को ३५ रुपये ६० नये पैसे के स्थान पर ४२ रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से बेचा । क्या सरकार इसकी छानबीन कराने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हम इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री विजयसिंह—

क्या सरकार विचार करेगी कि बगैर लाइसेंस खाद बेचने दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी जो नियम हैं उनके अनुसार लाइसेंस लेना होता है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्रीजी को ज्ञात है कि त्रिवेदीगंज में जो कोआपरेटिव के ए० डी०ओ० हैं उनका ट्रान्सफर दो बार, एक बार जिले में सूरतगंज ब्लाक में और दूसरी बार जिले के बाहर कानपुर में हो चुका है, लेकिन वे अभी तक वहीं पर मौजूद हैं, बाहर नहीं गये हैं । क्या सरकार इस संबंध में भी जांच कराकर कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसकी मुझे इस समय कोई सूचना नहीं है । यह तो माननीय सदस्य अब बतला रहे हैं ।

*१२—श्री काशीनाथ मिश्र—

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

[२० फरवरी, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी), श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री विजयसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव भविष्य में किस तारीख को होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वर्तमान अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल ३० जून, १९६३ को समाप्त हो जायगा । अतः उक्त दिनांक के पूर्व ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन नई जिला परिषदों की स्थापना तथा उनके अध्यक्षों का चुनाव हो जायगा ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी और ३० जून से पहले किसी निश्चित तारीख की घोषणा करेगी कि फलां तारीख को अध्यक्ष के और फलां तारीख को जिला परिषद् के चुनाव हो जायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह निश्चत है कि ३० जून से पहले चुनाव हो जायेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से या उसके विभाग की ओर से कोई ऐसा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और जिलाधीश को बतलाया गया है कि ब्लाक के चुनाव तथा उनके प्रेसीडेंट्स के चुनाव किस-किस तारीख को होंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

एक कार्यक्रम सरकार की तरफ से बना कर भेजा गया है जो अभी टेंटेटिव है जिसमें १४ अप्रैल मेम्बर्स के चुनाव की तिथि रखी गयी है, कोआपरेटिव्स के रिप्रेजेन्टेटिव्स के चुनाव की तिथि ३० अप्रैल है, कोआपशन की तिथि २४ मई है तथा २० जून अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये रखी गयी है । ये तिथियां अस्थाई हैं इनमें आवश्यकतानुसार हेर फेर हो सकता है ।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि कहीं सरकार आपत्कालीन स्थिति का फायदा उठाकर चुनाव की तिथियों को आगे बढ़ाने की कृपा तो नहीं कर देगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

फिलहाल ऐसी कोई चीज विचाराधीन नहीं है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्रीजी का ध्यान माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी के सन् १९६० के वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने डेफिनिट आश्वासन दिया था कि १६ जून, १९६० तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हो जायेंगे लेकिन आज तक नहीं हुये तो क्या उसी तरह से इन तारीखों को भी वे बदल देंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

भविष्य जानना बड़ा मुश्किल है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार जिला परिषदों के लिये कुछ सदस्यों की नामजदगी करेगी, यदि हां, तो उसका क्या आधार होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला परिषद् ऐक्ट में सरकार ने ३ सदस्यों का नामीनेशन रखा है और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस केटेगरी में चुने जायेंगे ।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्रीजी ने बताया कि अभी ये तिथियां अस्थायी हैं तो इस वजह से कि जिला परिषद् की भांति इसके भी चुनाव न रुक जायं मंत्रीजी उन तिथियों को स्थायी करेंगे जिससे चुनाव अवश्य हो जायं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने निवेदन किया है कि यह तिथि तो निर्धारित है ही । इसमें फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाय तो इसके एक दो दिन आगे पीछे तिथि में परिवर्तन हो सकता है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह नामजदगी जो करने जा रही है, उसका आधार क्या होगा ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यह सवाल पूछने की जरूरत मेरी समझ में नहीं आयी क्योंकि इस हाउस ने काफी डिस्कस करने के बाद यह कानून पास किया है और कानून के अनुसार ही वह होगा, जिसे आप सब लोग जानते हैं ।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री को मालूम हो तो जवाब दें वरना जवाब न दें लेकिन इस तरह से उनका कहना उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह है कि चूंकि ऐक्ट यहीं से पास हुआ है, इसलिये ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना चाहिये ।

श्री ऊदल—

यह तो आप कह सकते हैं न कि मंत्री ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मेरे पूछने का यह मतलब है कि नामजदगी के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे जायेंगे या जिलाधीश से संस्तुति मांगी जायगी, क्योंकि ऐक्ट में इस तरह की कोई बात नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो हमारे उस ऐक्ट में लिखा हुआ है कि किन-किन कैटेगरी के लोगों को नामिनेट करेंगे हर जिले में ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—
[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर

*३—श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)—
क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई० टी० आई०) के प्रधानाचार्य द्वारा अकारण नोटिस देकर चपरासियों को नौकरी से निकाल दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
जी नहीं ।

*४—श्री बेदराम (अनुपस्थित)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त चपरासियों ने कुछ दिन पूर्व उक्त कालेज के फोरमैन तथा अन्य कुछ उच्च अधिकारियों को बिना गेट पास के माल बाहर ले जाते हुये पकड़ा था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
जी नहीं ।

*५—श्री बेदराम (अनुपस्थित)—
यदि हां, तो क्या यह अनुमान लगाया जाय कि उक्त चपरासियों को नौकरी से इसी-लिये पृथक कर दिया गया है क्योंकि उक्त घटनाओं के कारण वहां के उच्च अधिकारी इनसे नाराज थे जैसे कि चपरासियों द्वारा महामहिम राज्यपाल को लिखे गये एक पत्र में उल्लेख किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
प्रश्न ही नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में चिकित्सालयों का सुधार

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—
क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा सचिव उत्तर प्रदेश के पास श्री रामसुन्दर पांडेय, सदस्य, विधान सभा का १० अगस्त, १९६२ का लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एलोपैथिक अस्पताल का प्रान्तीयकरण करने, नये राजकीय औषधालय खोलने तथा पुराने राजकीय औषधालय के भवन बनवाने की प्रार्थना की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मसिंह—
सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०२ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—
क्या माननीय मंत्री जी सूची के क्रम सं० १, २, ३ के संबंध में बतलाने की कृपा करेंगे कि वे अग्रिम वर्ष ६३–६४ में इन तीन स्थानों के संबंध में कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—
जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—
क्या पिछले आश्वासन को देखते हुये जो ४ अक्तूबर, १९६२ को दिया गया था कि अग्रिम वर्ष इस पर विचार किया जायगा, आज इसको इन्कार करने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---

इस वर्ष तो इस पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। ४ अक्तूबर, ६२ को यह अवश्य कहा गया था कि आगे चल कर इस पर विचार होगा। तो हम तो कुछ विचार कर ही नहीं रहे हैं, इसलिये इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

पहले मैंने ६३-६४ के संबंध में प्रश्न किया था तो आपने इनकार कर दिया। आपने ६२ में आश्वासन दिया था कि अग्रिम वर्ष में इस पर विचार करेंगे, तो क्या माननीय मंत्री जी उस बिना पर इस पर ६३-६४ में विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---

जैसा मैंने निवेदन किया कि फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है, इस समय उस पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है।

डाक्टरी परीक्षाओं का कोर्स

*७---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे की डाक्टरी परीक्षाओं का कोर्स ५ साल के स्थान पर ४ साल करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब से लागू किया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह---

एम० बी० बी०एस० परीक्षाओं का कोर्स ५ साल के स्थान पर ४ १/२ साल और इसके पश्चात् १२ महीने की ट्रेनिंग तथा इन्टर्नशिप [Intern ship] करने का प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा परिषद् (Medical council of India) ने किया था। उक्त प्रस्ताव इस समय संबंधित विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। उनका निर्णय ज्ञात होने पर ही सरकार इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह प्रस्ताव कब से लागू किया जा सकेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एम० बी० बी० एस० का कोर्स पहले ५ वर्ष का था जिसे अब साढ़े ४ वर्ष कर दिया गया है, और दूसरे फिर १२ महीने तक उसे ट्रेनिंग भी लेनी होगी, तो इससे ऐसा लगता है कि कोर्स को कम नहीं किया गया है बल्कि उसे बढ़ा दिया गया है ? जैसा कि आज अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है, इसको देखते हुये सरकार इस कोर्स को कम समय का करने पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह---

मान्यवर, उनको मालूम होना चाहिये कि यह ५ वर्ष का कोर्स था और पी० एम० एस० २ से पहले थोड़ा बहुत काम सीखने के लिये भी अनुभव उन्हें प्राप्त करना होता है। यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित चीज है और इस पर विचार हो रहा है, अभी इसको माना नहीं गया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

श्रीमन्, यह मैं जानना चाहता हूं कि यह जो ५ साल के कोर्स को साढ़े ४ साल करने की बात है, इस प्रकार की समय में कमी की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---

जैसा कि मैंने कहा यह तो केन्द्रीय सरकार ने अभी लिखा है, इस पर हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, यह सब प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या मंत्री जी का ध्यान इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड की सिफारिश की तरफ गया है या जो उसके चेयरमैन की तरफ से सिफारिशें आई हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स ५ साल के बजाय ३ साल किया जाय, इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जैसा कि अर्ज किया गया मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की तरफ से वह सिफारिशें आई हैं और उनको यूनिवर्सिटीज को भेज दिया गया है, आगरा यूनिवर्सिटी ने कहा है, कि ठीक है हम आर्डिनेन्स बनायेंगे लेकिन लखनऊ व इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज ने अभी जवाब नहीं भेजा है।

*८-९—श्री झारखंडेराय—

[वापस ले लिये गये।]

*१०-११—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१५—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

रुहेलखंड मण्डल में खजाने के हेडक्लर्कों का चुनाव

*१६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह पता है कि रुहेलखंड कमिश्नरी में खजाने के हेड क्लर्कों का चुनाव जिलों में लगभग दो साल हुये तब हुआ था किन्तु अभी तक नतीजा नहीं ज्ञात हुआ और इस विषय के कागजात कमिश्नर बरेली के कार्यालय में पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

कमिश्नर, रुहेलखंड मंडल ने १०-९-६० को खजाने के हेड क्लर्कों के चुनाव हेतु जिलाधीशों से नाम मांगे थे और १२-२-६१ को चुनाव करके नतीजा जिलाधीशों को भेज दिया था। इस संबंध में अब कमिश्नर के कार्यालय में कोई कार्यवाही बाकी नहीं है।

वेयर हाउसिंग योजना

*१७—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिये वेयर हाउसिंग की योजना तीनों पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या प्रस्तावित थीं और उसमें कितनी प्रगति अब तक हो सकी है?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में वेयरहाउसिंग योजना के निर्धारित लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति इस प्रकार है :—

द्वितीय योजना

	लक्ष्य	प्राप्ति
१	२	३
	लाख रुपये	लाख रुपये
१—भंडारगृह खोलना	५०	३७
२—निर्माण करना	१०	—
३—पूंजी	४०	२४

तृतीय योजना

	लक्ष्य (लाख रुपये)	प्राप्ति (लाख रुपये)
१—भंडारगृह खोलना	५०१३	१७
२—निर्माण करना	२५	—
३—पूंजी	५८	७

*१८—श्री गेंदासिंह—

उक्त संबंध में गोदाम कहां-कहां पर कितनी क्षमता के बन सके हैं और उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

अभी तक उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के निजी गोदाम नहीं बन सके हैं, इसके लिये भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*१९—श्री गेंदासिंह—

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट अब तक कितनी प्रकाशित हो सकी है तथा इस योजना के चालू होने से अब तक प्रति वर्ष लाभ हानि का क्या ब्योरा है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

कारपोरेशन की १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं। लाभ हानि का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	लाभ	हानि
१	२	३
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१९५८–५९	५६०७.५६	१८,०३२.५४
१९५९–६०	९६८९.९३	—
१९६०–६१		—
१९६१–६२	—	२०,००४.८१

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, जैसी कि सूचना दी गई है कि इस में एक करोड़ ८ लाख रुपया लगाने की योजना थी लेकिन अभी तक केवल ३१ लाख की पूंजी लगी है, इसका कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा कि माननीय सदस्य को बताया गया कि हमारी भंडार खोलने की योजना थी लेकिन उतने नहीं खोले जा सके जितने बनाने की योजना थी, उसका कारण चूंकि जमीन नहीं मिल सकी और दूसरी भी दिक्कतें थीं जो मंडियों में हुईं इसलिये पूरी योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी और पूरा रुपया नहीं लग सका।

श्री गेंदासिंह—

जो वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम बना था उसके अनुसार किराये पर भी मकान लेने की व्यवस्था की जा सकती है जैसा कि इस में भी बताया गया कि किराये की व्यवस्था की गई, वह भी नहीं की गई उसमें क्या दिक्कत पड़ी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, दिक्कत यह हुई कि जो पहले योजना में ५० भंडार खोलने की योजना थी उनमें से ३७ ही खोले गये दो साल बाद। तृतीय योजना के चालू होने के दो साल बाद उत्तर प्रदेश में इसका काम शुरू हो सका जनवरी, १९५९ से। इसलिये कार्य जरा धीरे से हुआ है और दो साल की पूर्ती नहीं कर सके। ३७ जगह पर जो भंडार खुले हैं वे किराये के मकानों में खुले हैं। तृतीय योजना में हमारा जो लक्ष्य था उसमें १३ जो बाकी रह गये और ५० और थे उनमें से केवल १७ खुल चुके हैं। उसका कारण यह हुआ कि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रक्शन्स आये और जो ठीक भी मालूम होते हैं कि बजाय नये भंडार खोलने के लिये जो खुल चुके हैं उनको इस हालत में बना लिया जाय कि उनका काम अच्छा हो, उनकी हालत अच्छी हो। अतः जो हमारे यहां प्राप्ति हुई है, गल्ला जो पहले दो लाख कुछ मन से शुरू किया था अब हमारे भंडारों में ८२ लाख ५० हजार मन गल्ला है। इस तरह से जहां तक गल्ले की प्रगति है, जो काम है वेयर हाउसिंग का वह कई प्रदेशों से अच्छा है। लेकिन चूंकि जमीन नहीं मिल सकी और यह काम व्यापार का है इसलिये जरा सोच समझ कर करना पड़ता है। उसमें जो थोड़ा बहुत घाटा हो जाता है उसको भी बचाना है।

श्री गेंदासिंह—

मंत्री जी बतायेंगे कि कितने किसानों का गल्ला और कितनी मिकदार में रखने की योजना थी और उनमें से कितने किसानों का और कितनी मिकदार में इस समय तक गल्ला इकट्ठा किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह नया सवाल है, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

योजना जब चालू होनी चाहिये थी उसके दो साल बाद शुरू हुई, तो दो साल के विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१९५८ मई में जो वेयर हाउसिंग ऐक्ट था वही पास हुआ, उसके बाद नियुक्ति वगैरह स्टाफ की हुई, फिर ट्रेनिंग में कुछ समय लगा। इसलिये जनवरी, १९५९ में १२ भंडार खुल सके।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो ८२ लाख ५० हजार मन गल्ला जमा है इसमें से केवल ३ प्रतिशत के करीब किसानों का है बाकी ९७ फीसदी आढ़तियों का है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रतिशत तो निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन ३ प्रतिशत नहीं, काफी प्रतिशत किसानों का गल्ला जमा है और बाकी हो सकता है जब किसानों का गल्ला न आया हो और हमारे पास जगह खाली रही हो तो आढ़तियों का भी गल्ला रख लिया हो।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मंत्री जी ने कहा ३ प्रतिशत नहीं, परन्तु कुछ ज्यादा। तो क्या सरकार बतायेगी कि कितना प्रतिशत किसानों का गल्ला जमा रखा गया है, करेक्ट फिगर बतायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जबाव उन्होंने दे दिया कि करेक्ट फीगर नहीं बता सकते।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि १ करोड़ ३१ लाख की स्कीम थी और उसमें से केवल ३१ लाख रु० ही खर्च हुआ है तो इससे प्रदेश के किसानों का कितना नुकसान हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसमें नुकसान का तो सवाल नहीं उठता। जिस तरह से वह अपना गल्ला इस समय तक रख रहे हैं उसमें नुकसान का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जैसा मैंने कहा यह बिजनेस का काम है। अच्छी जगह पर अगर हमें इमारतें मिल सकें तभी यह काम शुरु करें। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रद्दी जगह पर हम गल्ला रख दें और उसमें नुकसान हो तब वाकई में किसान को नुकसान होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन भंडारों को बनाने के लिये उन्होंने कहां-कहां जमीन प्राप्त करने की कोशिश की और जमीन न मिलने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आगरा, अलीगढ़, हाथरस, खुरजा, मेरठ, मथुरा और कोसी कलां में हमारी एक्वीजीशन कार्यवाही हो रही है और जमीन मिल रही है। और जगह भी हमने जमीन ली है और मकान बन रहे हैं। असली कारण यह है कि मंडियों में अच्छी जगह पर जमीन मुश्किल से मिलती है और एक्वीजीशन की कार्यवाहियों में भी जो और इंटरेस्टेड लोग हैं अड़ंगा डालते हैं और कोशिश यह करते हैं कि वेयर हाउसेज के लिये जमीन न मिलने पाये और मंडी में जब तक अच्छी जगह न मिले तब तक वेयर हाउसिंग का काम नहीं होता। हमारी कोशिश यही होती है कि मंडी में जमीन मिले। उत्तर प्रदेश में अभी रेगुलेशन आफ मारकेट बिल नहीं बन पाया, इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय सहकारी मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि बड़े बड़े आढ़तियों ने इस काम में अड़चनें डालीं इस वजह से यह वेयर हाउसिंग की स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो सकी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह बात सही है कि कुछ लोगों ने अड़चनें डालीं लेकिन उनकी अड़चनों के बावजूद भी हमारी स्कीम सक्सेसफुल हो रही है और यह काम चल रहा है।

गोंडा जिले में बिक्री-कर की वसूली

*२०—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सन् १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितने व्यक्तियों पर सेल्स टैक्स बकाया है, उनके नाम (फर्म) तथा पते क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

गोंडा जिले में १९६०–६१ और १९६१–६२ में क्रमशः ४१२ व ८८९ व्यापारियों पर सेल्स टैक्स बकाया था। नाम तथा पतों की सूची अत्यधिक लम्बी होने के कारण इसकी प्रतियां बनाना सम्भव नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कार्यालय में इस सूची को देख लें।

*२१—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत जनवरी माह में बड़ागांव बाजार जिला गोंडा में सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के नाम बकाया सेल्स टैक्स के हेतु वारन्ट प्रसारित हुआ और उनमें कितने गिरफ्तार हुये ?

श्री जयराम वर्मा—

गत जनवरी माह में बड़गांव बाजार जिला गोंडा में सेल्स टैक्स की वसूली के संबंध में केवल दो व्यापारियों के नाम वारन्ट जारी किये गये। और उनमें से केवल एक व्यापारी गिरफ्तार हुआ।

*२२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सही है कि बड़गांव बाजार में एक प्रमुख व्यापारी गिरफ्तार किया गया और उन पर कितना सेल्स टैक्स बाकी है और वह मेडिकल ग्राउन्ड पर रिहा कर दिया गया? यदि हां, तो डाक्टर की रिपोर्ट क्या है?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां, बड़गांव के बाजार में सर्व श्री दुर्गाप्रसाद राइस मिल्स के साझीदार श्री हरीराम बिक्री कर की १३,८४८ रु० १४ नये पैसे की शेष धनराशि की वसूली के संबंध में गिरफ्तार किये गये थे। लेकिन उनको डाक्टरों के प्रमाण पत्र पर रिहा कर दिया गया था। डाक्टर की रिपोर्ट थी कि "श्री हरी राम nervous exhaustion और palpitation के कारण कुछ माह पहले उनके इलाज में थे और हाल ही में उन्हें तीव्र ज्वर भी था।"

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितना धन बकाया था और उसको वसूल करने का क्या तरीका सरकार ने अब तक अपनाया है और यह धन कितने सालों में वसूल होगा?

श्री जयराम वर्मा—

३१ मार्च, १९६१ को कुल ३,३०,६१० रुपये की धनराशि बकाया थी। इनमें से २५,४२५ रुपया ऐसा था जो या तो व्यापारियों के दिवालिया हो जाने की वजह से या उनके लापता हो जाने की वजह से या उनकी हालत ऐसी हो जाने की वजह से कि वे अदा नहीं कर सकते, इस प्रकार इतनी धनराशि फंसी थी। इसके अलावा १,४०१ रुपये की धनराशि ऐसी थी जिसकी वसूली स्टे कर दी गयी है। इस तरह से ३,०३,७८४ रुपया बचता है जिसमें से ३,०२,८०२ रुपये की वसूलयाबी की कार्यवाही जारी है और केवल ९८२ रुपये की वसूलयाबी की कार्यवाही जारी करना बाकी है जो वक्त पर जारी की जायगी।

इसी प्रकार ३१–३–६२ को कुल बकाया की धनराशि ४,२१,२०६ रुपये थी। इसमें से २५,४२५ रुपये की धनराशि ऐसे व्यापारियों पर थी जो या तो दिवालिया हो गये हैं अथवा जिनका पता नहीं है या जिनसे वसूल करना संभव नहीं है। १,१७,६९१ रुपये की ऐसी धनराशि है जिनकी वसूलयाबी या तो रोक दी गई है या किस्तें कर दी गई है। २,१८,०९० रुपये की धनराशि शेष रहती है। श्रीमान् जी, एक भूल हो गई कि १,१७,६९१ रुपये की धन राशि ऐसी है जिसकी वसूलयाबी रुकी हुई है किस्तों की वजह से या स्टे आर्डर की वजह से। २,१८,००९ रुपये की धनराशि ऐसी है जिसके बारे में कार्यवाही हो सकती है जिसमें से १,३१,७९४ रुपये की वसूलयाबी के लिये कार्यवाही जारी कर दी गई है। शेष ८६,२९६ रुपये की धनराशि ऐसी है जिसकी वसूलयाबी के लिये समय पर कार्यवाही की जायगी।

*२३—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४–२६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न २२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२८–२९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—
[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

विकास-खण्डों में सामान की सप्लाई

*३०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—
क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्रों में सामान देने के लिए प्रदेश में कितने एप्रूव्ड फर्म तथा ठेकेदार हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
विकास खंडों को सामान देने के लिये अलग से कोई फर्म तथा ठेकेदार एप्रूव्ड नहीं हैं। उद्योग संचालक द्वारा अनुमोदित फर्मों तथा ठेकेदारों से ही विकास खंडों के लिये भी सामान लिया जाता है। जो फर्म उद्योग संचालक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं उनका नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। अगर कुछ सामान ऐसा खरीदना होता है जिनका रेट कान्ट्रैक्ट (Rate contract) नहीं है तो कोटेशन (quotation) लेकर खरीदा जाता है।

*३१—श्री विजयसिंह—
[हटा दिया गया ।]

न्यूनतम वेतन अधिनियम का प्रतिपा

*३२—श्री गंगाप्रसादसिंह—
क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम का प्रतिपालन देखने के लिए कितने अधिकारी शासन की ओर से नियुक्त ह और यह अधिनियम किन-किन जिलों में लागू है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—
१३९, प्रदेश के सब जिलों में लागू है ।

*३३–३४—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—
[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३५–३६—श्री उग्रसेन—
[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

उर्दू मुहल्ला, जौनपुर की सहकारी समिति के खिलाफ शिकायतें

*३७—श्री यादवेन्द्रदत्त—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार के पास ३० नवम्बर, १९६२ का उर्दू मुहल्ला, जौनपुर की सहकारी समिति के ख़िलाफ कोई शिकायती-पत्र आया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—
जी हां ।

*३८—श्री यादवेन्द्रदत्त—
यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—
उक्त शिकायती पत्र पर क्षेत्रीय उप निबंधक वाराणसी को जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट भेजने के लिये लिखा गया है ।

मितव्ययिता समिति

*३९—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री हिम्मतसिंह—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इकोनामी कमेटी की अब तक कितनी बैठकें हुयी हैं और इस कमेटी ने किन-किन विभागों में कितने-कितने रुपये की बचत का सुझाव दिया है और सरकार ने अब तक कितनों को कार्यान्वित किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मितव्ययिता समिति की अब तक तीन बैठकें हुई हैं। जिस विज्ञप्ति के अन्तर्गत यह समिति बनाई गयी है उसके अनुसार समिति की कार्यवाही और उसके सुझाव गोपनीय माने जाते हैं। अतः खेद है, इस सम्बन्ध में और कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

कानपुर की चमड़ा टैनरियों में सर्विस कार्ड न मिलना

*४०—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर की चमड़ा टैनरियों में कार्य करने वाले मजदूरों को सर्विस कार्ड, जाब कार्ड नहीं दिया जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

अतारांकित प्रश्न

१—३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[६ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

नियोजन विभाग तथा जिला परिषद की सेवायें

४—श्री विजयसिंह—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग और ए० जेड० पी० के कर्मचारियों में अब भी सेवा शर्तों में अन्तर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवायें राजकीय हैं तथा अन्तरिम जिला परिषद् की सेवायें स्थानीय निकायों की सेवाओं के अन्तर्गत आती हैं। इसी कारण इनकी सेवा शर्तों में भिन्नता है।

५—श्री विजयसिंह—

सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त दोनों विभागों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को एक स्तर पर लाने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सबसे विषम कठिनाई धनाभाव की है।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ

६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की निम्न बातों के संबंध में क्या तथ्य हैं:—

(अ) क्या इस में दो बैच बी०एम० बी०एस० के निकलने के पश्चात् आयुर्वेदाचार्य का कोर्स खोला गया ?

(ब) क्या बी०एम०बी० एस० और आयुर्वेदाचार्य की पढ़ाई का एक ही कोर्स है ? पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है ?

(स) क्या यह सही है कि बी० एम०बी०एस० को टू ग्रेड दिया जाता है और आयुर्वेदाचार्यों को क्या ग्रेड मिलेगा इसका अभी कोई निश्चय नहीं है ?

(द) क्या बी०एम०बी०एस० की भांति आयुर्वेदाचार्यों को भी सरकार मान्यता ग्रेड देने जा रही है ?

(य) क्या डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने बी०एम०बी० एस० की भांति ही आयुर्वेदाचार्यों को भी मान्यता देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

(अ) जी नहीं।

आयुर्वेदाचार्य कोर्स १९५९–६० में लागू किया गया था। उस समय इस कालेज में से बी०एम०बी० एस० का कोई बैच नहीं निकला था।

(ब) जी नहीं।

दोनों पाठ्यक्रम अलग-अलग हैं।

[(स) से (य) तक] आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है और ऐसे स्नातकों को मान्यता ग्रेड मिलेगा किन्तु इन्हें बी०एम०बी०एस० की भांति पी०एम० एस० (द्वितीय) में ले लिया जायगा ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। सम्पूर्णानन्द समिति की संस्तुतियों पर सरकार अभी विचार कर रही है।

७–१२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

१३–१५—श्री गयाप्रसाद—

[६ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले में कल्याण समितियां

१६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले के किन-किन विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत कल्याण समितियां बनी हैं ? जिन विकास क्षेत्रों में अभी तक नहीं बनीं, उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला रायबरेली में निम्नलिखित विकास क्षेत्र में कल्याण समितियां बन चुकी हैं:—

सलोन, सरेनी, सिंहपुर, सतांव, डलमऊ तथा, डीह, अन्य खंडों में क्षेत्र समितियों की बैठकों में सदस्यों की संख्या कम होने तथा समितियों के संगठन संबंधी नियमों की प्रतियां समिति कार्यालय में देर से प्राप्त होने के कारण कल्याण समितियां नहीं बन सकीं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचना देता हूं कि "उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६३, जो विधान सभा द्वारा १६ फरवरी, १९६३ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के १९ फरवरी, १९६३ को वापस प्राप्त हो गया है।"

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई है । वह इस संबंध म है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये चन्दा जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है, इसका जिक्र हाउस में कई दिन हो चुका है और फिर बजट पर विवाद हो रहा है उसमें इसके संबंध में कहा जा सकता है इसलिये मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है ।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

हमारे यहां चन्दा जबरदस्ती वसूल किया गया है । मंत्री जी से बयान ही दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं । इस पर वाद विवाद हो चुका है और लोगों ने इस विषय को काफी उठाया है । एक जगह की बात किसी तरह लोक महत्व की नहीं हो सकती ।

सचिव, विधान मण्डल की पद-समाप्ति पर आपत्ति

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमारी एक वैधानिक आपत्ति है । मैं आप से जानना चाहता हूं कि विधान मंडल के जितने कर्मचारी हैं वे आपके मातहत हैं या सरकार के ? अगर आपकी मातहती में हैं तो बगैर सदन की राय लिये कोई ओहदा कैसे खत्म किया जा सकता है । जैसे कि पुरी साहब का ओहदा खत्म कर दिया गया है । इसको मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न समझता हूं । यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । आप व्यवस्था दें कि विधान मंडल के कर्मचारी सरकार के मातहत हैं या आपके मातहत हैं ? आप मित्थल साहब से पूछ कर राय न दें । इस तरह से आप सदन में व्यवस्था नहीं दे सकते हैं । जब मैं प्रश्न उठाता हूं तो मित्थल साहब आपके कान में फुसफुसाते हैं । इसको मैं भर्त्सना करता हूं । इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । देखिये, यह जो आप बार-बार कह रहे हैं कि मैं सचिव से कोई राय नहीं ले सकता हूं, यह गलत बात है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब हम व्यवस्था का कोई प्रश्न उठायेंगे तो सदन की कार्यवाही आप चलायेंगे या ये चलायेंगे ? स्पीकर आप हैं या मित्थल साहब हैं ? आप डीजूरे और डीफैक्टो स्पीकर हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप डीजूरे स्पीकर हैं और मित्थल साहब डीफैक्टो स्पीकर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये । देखिये, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने सचिव से कोई भी बात पूछ सकता हूं इसमें आप दखल नहीं दे सकते हैं । आप जब कोई नई बात उठा देते हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है । आपने जो सवाल पैदा किया उसके बारे में मैं दरियाफ्त करके बताऊंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं । वह यह है कि आप इस विषय पर जब चाहें व्यवस्था दें, जो भी आपकी व्यवस्था होगी वह तो शिरोधार्य होगी ही, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने वित्त मंत्री को या वित्त सचिव को कोई कांकरेंस दी है इस संबंध में कि विधान मंडल के सचिव का पद तोड़ दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैंने कह ही दिया कि सारी बातें देखकर ही बताया जा सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस संबंध में इस बात पर भी व्यवस्था देते समय गौर करेंगे कि जब अध्यक्ष का सचिवालय और उसके कर्मचारी या पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय के अन्डर काम करते हैं तब वित्त मंत्री या वित्त सचिव या मुख्य मंत्री स्वयं हो उनको क्या अधिकार है कि सचिव, विधान मंडल के पद को समाप्त कर दें। इस पर भी आप गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में यह सब देखा जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

तो आप इस पर कब व्यवस्था देंगे ? १,२ रोज, ३ रोज कितना समय लेंगे क्योंकि इसके बाद तो सदन उठने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो मैं कह चुका कि सारी बातें दरियाफ्त करके बता दूंगा।

श्री उग्रसेन—

आप विधिवत् कोई व्यवस्था दें जिससे वह हमेशा के लिये लागू हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

अब विधिवत् होगी या कैसे होगी, यह मेरा काम है।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आयी हैं। एक के संबंध में रियासत हुसैन साहब ने नोटिस दी थी। उसको मैंने मुख्य मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया है, रियासत हुसैन साहब संतुष्ट हो गये थे और मैं समझता हूं कि वह मसला हल हो जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह जो रियासत हुसैन साहब की नोटिस, है कृपापूर्वक उसे पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मकसद है वह मुझे आशा है पूरा हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अशोक मेहता जी जो अखिल भारतीय सुरक्षा परिषद् के सदस्य हैं उनकी सभा के लिये प्रचार करने की मनादी की आज्ञा नहीं दी जा रही है। केवल इस तरह से सूचना देने से तो समस्या हल होने वाली नहीं है। मुख्य मंत्री जी बतावें कि उसको एलाऊ कर दिया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री इस संबंध में बताना चाहें तो बता दें।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल जो लाउड स्पीकर से मनादी का है उसके लिये सिटी मैजिस्ट्रेट ने इजाजत दे दी है कि मनादी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी का दूसरा नियम ५२ का था। उसके लिये अब त्रिपाठी जी ने अल्पसूचित प्रश्न कर लिया है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आपने अभी कहा कि जो कुछ सुरक्षा कोष के संबंध में धांधलियां हो रही हैं उस पर एक बार बहस हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। आप बीच-बीच में बार-बार इस तरह से दखल देते हैं, यह अनुचित है।

श्री उग्रसेन—

अभी एक मामला गोंडा का आया है उसी तरह का और आप इस तरह से रोकते हैं। वहां विभिन्न विभागों के अधिकारी तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उग्रसेन जी, आपका इस तरह से बार बार खड़ा होना अनुचित है। मैं कहता हूं कि इस तरह से जो सदस्य मेरी बिना इजाजत के बार-बार अपनी बात उठकर खड़े होकर कहेंगे उसके लिये मैं आशा करता हूं कि एक लफ्ज भी वह रिकार्ड में नहीं आयेगा और हमारे रिपोर्टर्स और प्रेस के लोग उसको नहीं लिखेंगे और न वह प्रेस में जायेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस चीज के लिये मनादी की आज्ञा दे दी गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अशोक मेहता जो आ रहे हैं, उनकी पब्लिक मीटिंग के संबंध में।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं आप से इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी सदन में ला आफ दि लैन्ड या प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध किसी भी तरह की व्यवस्था दे सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था कांस्टीट्यूशन और नियमावली के मुताबिक ही होती है। कोई फर्क नहीं है। आप भ्रम में हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, अभी आपने यह कहा कि रिपोर्टर और पत्रकार उस अंश को प्रकाशित नहीं करेंगे जो आप की बिना आज्ञा के कही जायगी। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह वह अपने मन से करेंगे या उसके लिये आप आज्ञा देंगे कि फलां सदस्य ने बिना मेरी आज्ञा के यह बात कही है इसलिये यह प्रकाशित नहीं किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य मुझ से पहले आज्ञा चाहेंगे मैं उनको आज्ञा दूंगा। तब सब चीज बाकायदा होगी। लेकिन बिना आज्ञा के हर साहब बोलने लगते हैं, इसको व्यवस्थित करने के लिये मैंने यह बात कही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि जो पत्रकार और रिपोर्टर उसको प्रकाशित नहीं करेंगे उसके लिये क्या आप आज्ञा देंगे या वह अपने मन से करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने दे दिया न आज्ञा इस वक्त। मैंने यह आज्ञा कर दी है कि मेरी बिना आज्ञा के या जो पीठासीन हों, बिना उनकी आज्ञा के जो साहब जो कुछ कहेंगे, न वह रिपोर्ट होगा और न प्रेस में छपेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

कैसे मालूम होगा रिपोर्टर को या पत्रकार को कि वह बिना आज्ञा के बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

जिस तरह से बिना आज्ञा के बोलेंगे उसको वह जानते हैं। वह हाउस में रहते हैं। वही तो रिपोर्ट करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था इस बात के लिये चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली जो हमारी है उसके मुताबिक हम लोग कोशिश करते हैं कि चेयर का ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन श्रीमन्, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम चेयर का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाते। हम खड़े होते हैं, लेकिन खड़े होने के बाद भी चेयर का ध्यान न आकृष्ट कर सकें तो इसके लिये व्यवस्था आप कर दें कि कौन सी प्रक्रिया आप अपनायेंगे कि जिससे हम आपका ध्यान आकृष्ट कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका कोई उपाय नहीं हो सकता। दस आदमी खड़े हैं, दस आदमी एक साथ कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तो उस वक्त में क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि किसी को मौका न दिया जाय। एक एक साहब खड़े होंगे। तो जरूर मौका दिया जायगा।

(कुछ ठहर कर)

तीसरी सूचना माननीय मंगलदेव जी की है। उसमें कुछ बात साफ नहीं है। सभी मुहकमों के बारे में लिखा है। कोई डेफिनिट चीज नहीं है। इसलिये मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है और मौका है उनको भी अपनी बात कहने का, जो विवाद चल रहा है, उसमें वह अपनी बात कह सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, लाखों रुपये का गबन है, लाखों रुपया सरकारी खजाने से चला जा रहा है, वह महत्वपूर्ण नहीं है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

उसमें क्लिअर नहीं है कि फलां जगह यह गबन हुआ है। (व्यवधान) उसमें लिखा है अनेक मुहकमों में, तो उसका नोटिस नहीं दिया जा सकता, इसलिये उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

१९६३-६४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)‡

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी एक निवेदन आपसे करूंगा कि माननीय गयाप्रसाद जी आप जानते हैं समाजवादी संयुक्त दल के सदस्य हैं और हमने अखबार में आज पढ़ा है कि उनको जनसंघ का बना दिया गया है अखबारों में, तो मैं निवेदन करूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रेस की गलती है, मैंने भी मार्क की थी। यह करेक्ट कर दी जानी चाहिये।

श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष जी, मैं कल कह रहा था कि वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् में धनसंग्रह के लिये २५ अक्तूबर को एक समिति बनी थी और १२ नवम्बर तक उसने २० हजार रुपया इकट्ठा किया। जनवरी में उसने वह रुपया जमा किया। तो मैं आपसे कह रहा था

‡१९६२-६३ की कार्यवाही से।

[श्री गयाप्रसाद]

कि चार महीने तक यह वसूल किया हुआ रुपया अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष की पाकेट में था, न तो वह किसी सरकारी खजाने में जमा किया गया था और न किसी बैंक में जमा किया गया था। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं इन सब मामलों की जांच कराऊंगा। इसी प्रकार श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिला कोआपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अन्तरिम जिला परिषद के अध्यक्ष ने मिलकर लाखों रुपया फर्जी रसीदों पर इकट्ठा किया है और वह सरकारी खजाने में या सुरक्षा कोष में जमा नहीं किया गया है। वित्त मंत्री जी काशी के हैं और काशी ने सब के पाप धोये हैं। मैं चाहता हूं कि इन तीन पापियों के पाप माननीय वित्त मंत्री जी धोने का कष्ट करें। उनकी जांच करायें और इन लोगों ने जो लाखों रुपये का गबन किया है, गोलमाल किया है उसका पता चलायें और उस रुपये को बरामद करें।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में गोंडा से एक तार मेरे पास आया है। उस तार में लिखा हुआ है कि वहां चकबन्दी के अधिकारी १०,१० बीघे का डिमार्केशन के लिये २०,२० रुपया लेते हैं और बिना रुपया लिये उनकी जमीन का डिमार्केशन नहीं होता है। वह तार मेरे पास मौजूद है। मैं इसको माननीय वित्त मंत्री जी की सेवा में भेज दूंगा।

मैं आपका ध्यान सिंचाई महकमे के अन्दर जो धांधली हो रही है उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। सिंचाई के संबंध में गवर्नमेंट का एक जी० ओ० निकला था। जिसमें कहा गया था कि सिंचाई की किसी योजना के उद्घाटन का खर्चा १ हजार रुपये से अधिक न किया जाय और वह खर्चा भी स्वीकृति लेकर किया जाय। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि १०,१५ हजार रुपया उन सिंचाई की योजनाओं के उद्घाटन में खर्च हो रहा है बिना मंजूरी के। यह बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। इस तरह से बजट को पास कर देना और गवर्नमेंट के नियम, कानून और कायदे कुछ भी हों लेकिन उसके खिलाफ खर्च करना कहां तक न्याय संगत है और वह भी इस सुरक्षा के समय में ? इसी प्रकार से सिंचाई विभाग में, जो अनियमिततायें हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कई हजार आपरेटर इस विभाग में काम कर रहे हैं लेकिन उन आपरेटर्स को स्थायी नहीं किया जा रहा है। इस सिंचाई विभाग की मद में ३० लाख रुपया जब साल के आखिर में खर्च नहीं हुआ तो उसको पर्सनल लेजर में डाल दिया गया। पता नहीं कि वह पर्सनल लेजर क्या है और इस रुपये का हिसाब-किताब कैसे होगा। इसी तरह से आडिट रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े दिये गये हैं जिनका कोई पता नहीं है। इस सब रुपये को वसूल किया जाय और इसकी जांच-पड़ताल करें।

बनारस के बारे में खासतौर से वित्त मन्त्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि काशी के इन तीनों पापियों का पाप धोने की कृपा करें। काशी ने सब के पाप धोये हैं। वित्त मन्त्री जी इन पापियों का पाप धोयें अन्यथा इस देश का नाश हो जायगा उस काशी के पास से। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री शौकत हमीद खां (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी इजाजत से १९६३–६४ के बजट की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज बजट पर बहस करते हुए तीसरा दिन है और मैं बराबर कोशिश करता रहा हूं कि यह देखूं कि विरोधी दल के लोग बजट पर क्या एतराज करते हैं। मेरी समझ में जो खास एतराज उनकी जानिब से हुआ वह यह था कि बजट में इमरजेन्सी की खास सूरत हालात का इजहार नहीं हुआ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि यह इजहार और किन तरीकों से हो सकता है। बजट में ७ करोड़ रुपया प्रान्तीय रक्षा दल, होम-गार्ड्स, सिविल डिफेंस के लिए दिया गया इसके अलावा बिजली के ऊपर दो करोड़ रुपये का प्रावीजन रखा गया है। मेडिकल कालिज, इंजीनियरिंग कालिज, पोलीटेक्निक, इस तरह के दीगर इदारों में दाखिले

की तादाद बढ़ाई गयी। राइफल ट्रेनिंग का इन्तजाम किया गया, अच्छे बीज और खाद का इन्तजाम किया गया। इन चीजों से अगर इमरजेंसी का इजहार नहीं होता तो फिर कौन सी चीज से इजहार हो? जहां तक अपोजीशन की बातों से पता लगता है, वह यह कहते हैं और यही उनका मकसद भी है कि बजट में वह इजहार एक तरह से हो सकता है कि मंत्रिमंडल कम किया जाय। यह अपोजीशन की तरफ से मांग बहुत पुरानी है, बीच में कुछ सर्द पड़ गयी थी और अब फिर कुछ गर्मी आयी है। वजह यह है कि हाल ही में जो यह कहा जाता है कि पंजाब ने बहुत बड़ा कारनामा किया है कि वहां पर मंत्रिमंडल कम किया है, लेकिन शायद पंजाब की ही मिसाल से कुछ अरमान हैं जो अपोजीशन के दिल में करवटें लेने लगे हैं। उन्होंने यह देखा है कि चीफ मिनिस्टर के कुछ ऐडवाइजर्स मुकर्रर हो गये हैं जिन में अपोजीशन के कुछ मुख्य लोग भी हैं। लिहाजा उनका खयाल है कि अगर मंत्रिमंडल को कम कर दिया गया तो विरोधी दल के लोगों का शायद मुशीरों और सलाहकारों की हैसियत से नम्बर आ जाय। जब बार बार यही मांग की जाती है तो दिमाग नहीं काम करता है।

माननीय उग्रसेन जी ने निहायत जोर शोर से कहा था कि किसी तरह कीमत के ऊपर इस बजट में इमर्जेंसी या खतरनाक सूरत हालात का इजहार नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि उनके नजदीक एक ही तरीका से यह इजहार हो सकता है कि जितने अंग्रेजी के टाइपराइटर्स हैं वह बेकार करके और उनको पिघलाकर तोप और बन्दूक की शक्ल में मुन्तकिल कर दिया जाय। मैं उसमें जरा एक कदम आगे बढ़ूंगा कि शायद उनके नजदीक इस तरह भी इमर्जेन्सी का इजहार हो सकता है कि जितनी अंग्रेजी की किताबें हैं वह रद्दी में बेच दी जायं और जो रुपया मिले वह रक्षा कोष में दे दिया जाय। अगर आपके नजदीक इसी तरह से इमर्जेंसी का इजहार हो सकता है तो बशौक कीजिये, लेकिन मेरे खयाल में जिस तरह से बजट पेश किया गया है, मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देता हूं कि इससे ज्यादा बैलेंस्ड बजट हो नहीं सकता था, लेकिन इमर्जेंसी की हालात में एक खतरा जरूर होता है और मैं इस ऐवान की तवज्जह उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। जब ऐसे हालात वाकय होते हैं तो डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जाती है और ब्यूरोक्रेसी उसमें सबसे आगे रहती है। मुझे डर है कि इस इमर्जेंसी के जमाने में जिस डेमोक्रेसी को बचाने के लिये हम तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं वह कहीं कुचल न दी जाय और अगर डेमोक्रेसी को हिन्दुस्तान में किसी तरह की हानि पहुंची तो शायद फिर उसको एशिया में बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित नेहरू के नेतृत्व में डेमोक्रेसी का राज्य खत्म नहीं होगा और हमारा सब का फर्ज यही है कि हम डेमोक्रेसी को किसी तरह की हानि न पहुंचने दें।

इस बजट में जहां कई अच्छी चीजें नजर आती हैं वहां पर एक कमी भी दिखाई देती है और वह यह कि वहां रूरल इन्डस्ट्री की तरफ जोर नहीं दिया गया है। इसके साथ ही में निहायत अदब और यकीन के साथ यह कहना चहता हूं कि आपकी जो चकबन्दी योजना है इसे वार फूटिंग बेसिस (war footing basis) पर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय, अभी प्रदेश के करीब २–३ हिस्सों में चकबन्दी का काम नहीं हुआ है। लोगों को यह पता नहीं कि कौन सा चक उनके पास रहेगा। इस वजह से वे उसमें न तो पैसा ही लगाते हैं और न उस पर मेहनत ही जितनी करनी चाहिये करते हैं। अगर वार फूटिंग बेसिस पर इसको पूरा कर दिया जाय तो बेहतर होगा। मेरठ में जो मेडिकल कालेज खोला जा रहा है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री शशिभूषणसिंह (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिये ५ करोड़ के करीब का घाटे का बजट प्रस्तुत किया है और उस घाटे की पूर्ति के लिये नये टैक्स लगाने की ओर संकेत किया है जिसकी घोषणा बाद में की जायेगी। राष्ट्रीय संकट के समय हर सरकार को धन की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति के लिये सरकार नये टैक्सों का सहारा लेती है। हमारे प्रदेश और देश की गरीब तथा मध्यमवर्गीय जनता ने बड़ी से बड़ी

[श्री शशिभूषणसिंह]

कुर्बानी करने तथा अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है और जनता देश के लिये बड़े से बड़े संकट को सहन कर सकती है। लेकिन उसके साथ-साथ जनता यह भी चाहती है कि उसकी गाढ़ी कमाई के पैसे का अपव्यय न हो, बरबादी न हो, फिजूल खर्ची न हो। सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस ओर ध्यान रखे।

अब बजट पर आइये। १९६१-६२ में १५३ करोड़ का बजट था और अब २०१ करोड़ का है, यानी सरकार की आय में ३० फीसदी की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जनता के ऊपर ३० प्रतिशत का बोझ बढ़ाया गया है। उसके बाद भी आपने जनता को कोई सहूलियत नहीं दी है। आप बजट के वाल्यूम २ के पृष्ठ ३ पर देखें---राजस्व व्यय में---कर, शुल्क और अन्य मुख्य राजस्वों की उगाही ८ करोड़ ५७ लाख से बढ़ कर ८ करोड़ ६२ लाख हुई, ऋण व्यवस्था में २५ करोड़ ५५ लाख से बढ़ कर २५ करोड़ ७ ४ लाख हुई, प्रशासनिक व्यवस्था में व्यय २८ करोड़ ४५ लाख से ३० करोड़ ३९ लाख हो गया। यह तो खर्चा बढ़ाया गया मगर जिन खर्चों से जनता को राहत मिलती है, जिनका जनता से सीधा सम्बन्ध है, वह व्यय ७४ करोड़ से घट कर ७१ करोड़ ही रह गया, यानी कमी ३ करोड़ की हुई। यह है जनता की सरकार, समाजवादी सरकार का सही स्वरूप। प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर अतिरिक्त बोझा बढ़ाना, यह इस कांग्रेस सरकार की ही देन है। इतने खर्चे के बाद भी उत्पादन की क्या हालत है? मैं देहात का रहने वाला किसान हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्पादन बजाय बढ़ने के घटा है। गन्ने के उत्पादन के बारे में तो सरकार स्वयं कहती है कि वह २० प्रतिशत घटा है। गो कि असलियत यह है कि २५ प्रतिशत घटा है। चने और मटर को छोड़ कर अन्य चीजों की पैदावार भारत के अन्य सूबों की तुलना में कम हुई है। उन्नतिशील पश्चिमी देशों को छोड़ भी दिया जाय और केवल एशियायी मुल्कों को ही लिया जाय तो मिश्र में गेहूं ४० मन प्रति एकड़ होता है, जापान में चावल ४८ मन प्रति एकड़ होता है जबकि हमारे यहां गेहूं साढ़े ८ मन प्रति एकड़ और चावल ७ मन प्रति एकड़ होता है। १९०१ में हमारे प्रान्त का उत्पादन १३ मन प्रति एकड़ से ऊपर था जो आज घट कर साढ़े ८ मन रह गया है। पिछले १५ सालों में भी वह घटा है।

जहां तक होल्डिंग्स की बात है, मिश्र में वह २.२ एकड़ है, और जापान में २ एकड़ जबकि हमारे यहां ३.५ एकड़ है। इसके अलावा यह सभी जानते हैं कि खेती की पैदावार के लिये पानी की आवश्यकता होती है। हमारे यहां करीब ५ करोड़ एकड़ जमीन खेती के योग्य है जिसमें से १ करोड़ ५८ लाख एकड़ भूमि सिंचित होती है यानी केवल २८ प्रतिशत। जहां ७२ प्रतिशत जमीन खाली पड़ी हो। वहां उपज किस प्रकार से बढ़ सकती है। हमारे यहां सिंचाई की कोई माकूल व्यवस्था सरकार की ओर से इस संकटकाल में भी नहीं हो रही है। कुओं के लिये अनुदान नहीं दिया जाता, जो कर्जा दिया जाता है वह इतना कम और इतनी दिक्कतों से मिलता है कि किसान उसका समुचित लाभ नहीं उठा पाता। कच्चे कुओं के लिये कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं दी जाती है। नहरों और बंबों की समय से सफाई नहीं होती। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में बंबों में पानी छोड़ दिया गया लेकिन घास की वजह से खेतों पर पानी न पहुंच सका और हजारों एकड़ गेहूं की फसल बरबाद हो गयी।

इसके अलावा सिंचाई के बड़े अजीब नियम हैं। बरसात में जब पानी जोर से पड़ता है तो नहर और बंबे खोल दिये जाते हैं, और कुलाबों को भी खोल देते हैं और वह पानी बरसाती पानी के साथ-साथ खेतों में चला जाता है, बस सिंचाई लाद दी जाती है और कह दिया जाता है हमारा पानी भी उसमें मिल गया। हमारे ही क्षेत्र में इस प्रकार से हजारों रुपया वसूल किया गया है। जब कि गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता होती है और बंबों में पानी नहीं आता तो आफिसरों के पास दौड़ते हैं तो एक ही जबाव मिलता है कि क्या करें गंगा जी में पानी ही नहीं है। तो सिंचाई की यह दशा हुई। पानी न मिलने से सहस्त्रों एकड़ जमीन परती पड़ जाया करती है। धान के खेतों में पानी न मिलने से उसे बाद में पलेवा करके जोता नहीं जा सकता जिससे उसमें

चना व गेहूं की फसल नहीं बोयी जाती। इसका परिणाम यह होता है कि वह जमीन परती पड़ जाया करती है। एक फसली कुलाबा नहर विभाग से मिलता है जिसके लिये काश्तकारों को महीनों दौड़ धूप करनी पड़ती है, जगह-जगह भेंट पूजा चढ़ानी पड़ती है और जब उसका खेत थोड़ा बहुत सूख जाता है तब वह फसली कुलाबा लगाता है और इसके बाद उसे उखाड़ कर रख लिया जाता है और फिर उसे अगले साल जब उतनी ही दौड़ धूप की जाती है और जगह जगह भेंट पूजा चढ़ायी जाती है तब कहीं लगाया जाता है। समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? मुस्तकिल तौर पर वे कुलाबे क्यों नहीं लगा दिये जाते?

इसके अलावा नहरें जो निकली हुई हैं, उनमें बरसात के दिनों में जब पानी भर जाता है तो उन नहरों के किनारे के गांवों में से भी पानी नहीं निकल पाता है क्योंकि वहां पानी की निकासी के कोई साधन नहीं हैं। गांवों में पानी भरा रहने के कारण किसान अपनी जमीनें जोत नहीं पाते। मेरे क्षेत्र के अन्दर हलुआखेड़ा नाम का एक रजबहा है। उसके किनारे के बसे हुए पचासों गांव जैसे तिलसहरी, गौरिया, सनिगवां, बाराधरी, बौसर, दीपापुर, कुड़वा आदि आदि की हालत तबाह है। जिस साल बारिश नहीं होती है और दूसरी जगह सूखा पड़ता है, उस समय ही वहां कुछ पैदा हो पाता है। सरकार के पास पचासों दरख्वास्तें पानी की निकासी का प्रबन्ध करने के लिये दी गयीं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

कहना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन अब आलोचना न करके मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपके यहां जो साधन सहकारी समितियां हैं उनके लिये इस बजट में ४८ करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया है। वे समितियां केवल कर्जा बांटने का काम करती हैं। इन साधन सहकारी समितियों का आइडिया आपको मध्य यूरोप से मिला हुआ है। जहां साधन सहकारी समितियों के पास सब कुछ रहता है। आप अपने यहां भी वही कीजिये। बीज की व्यवस्था, लघु सिंचाई योजना आदि उनके हाथ में दीजिये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर गांव में ४–६ एकड़ भूमि ऐसी होती है जो साधन न होने के कारण किसान जोत नहीं पाते और वह परती पड़ी रह जाया करती है। बीज के लिये पैसा न मिलने की वजह से भी उनको खेत की बोवाई में परेशानी होती है और इस तरह से भी ४–६ एकड़ जमीन परती पड़ जाया करती है। अगर इन साधन सहकारी समितियों के पास साधन हों और उन्हें किसान इस्तेमाल करें तो आप कल्पना करें कि अन्न का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ जायगा। अगर आठ परसेंट अन्नोत्पादन ही बढ़ जाय तो अन्न के विषय में हम आत्म निर्भर हो जायेंगे। मेरा दावा है कि साधन सहकारी समितियां किसानों को सुविधायें देकर ८ प्रतिशत ही नहीं, बल्कि १० प्रतिशत अन्न की पैदावार को बढ़ा सकती हैं।

श्री विजयशंकर (जिला इटावा)—

श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, जो जन कल्याणकारी बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बजट को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात का प्रबन्ध तो किया ही गया है, मुझे यह देख कर और हर्ष हुआ कि इस बजट में कृषि और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। मैं केवल दो ही बातें माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जो रकम जिस काम के लिये रखी गई हैं उस पर पूर्णतः नियंत्रण बरता जाय और जागरूक रहें। मेरा यह निवेदन है कि यह बड़ी फौज जो सरकार के पास है जिसकी चौथी सरकार बनने जा रही है, देहातों में ब्लाक के नाम से ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और ग्रामसेवक, ग्राम सेक्रेटरी वगैरह जो हैं इन सब के ऊपर अगर हम पूरा नियंत्रण रख सकें तो हम जनकल्याण अवश्य कर सकते हैं। इमर्जेंसी के नाम पर सदन में कई बातें कही गईं, तरह तरह की बातें इमर्जेंसी के नाम पर की गईं हैं और ३ दिन से बराबर हम सुन रहेहैं कि जबरन चन्दा लिया जाता है, लोगों को सताया जाता है, मारपीट की जाती है। मुझे यह सब सुन कर बड़ा दुख हुआ। माननीय श्रीपाल सिंह जी और भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू जनता का मनोबल गिरा रहे हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह पंडित नेहरू जिनके नेतृत्व में भारत ने ४० साल तक एक बड़ी लड़ाई लड़ी, मेरा ऐसा खयाल है कि जब यहां सविनय अवज्ञा आन्दोलन हम नेहरू जी के नेतृत्व

[श्री विजयशंकर]

में चला रहे थे उस समय श्री पालसिंह जी और उन का दल पैदा भी न हुआ होगा, वह सन् २१ या ३० के किसी आजादी के आन्दोलन में शामिल नहीं हुये और यहां तक कि जब सन् ४२ में 'करो या मरो' आन्दोलन गांधी जी ने छेड़ा उस वक्त भी माननीय श्रीपालसिंह जी और उनके दल का पता नहीं था और कहने चले हैं कि आज नेहरू जी जनता का मनोबल गिरा रहे हैं और मालूम होता है कि शायद ऐसा कह कर श्रीपालसिंह जी और भानुप्रतापसिंह जी जनता के मनोबल को बढ़ा रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आज कांग्रेस में उधर बहुत से ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जो जब सन् १९४२ में आजादी की लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे।

श्री विजयशंकर—

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह नेहरू जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर सारे हिन्दुस्तान को संगठित किया, अंग्रेजी साम्राज्य को निकाला और आज उन्होंने केवल भारत का ही संगठन नहीं किया है वरन् उन्होंने सारे विश्व को संगठित किया है उनकी वह मखौल करना चाहते हैं। वह दल जिन का महादेव की बारात की तरह किसी का मुख पूरब, को किसी का पच्छिम को, किसी का दक्खिन या उत्तर को जा रहा है, किसी में ४ मेम्बर किसी में ६ मेम्बर हैं, और नेकराम जी तो अकेले अपनी खंजड़ी बजा रहे हैं। अगर वह देश की अगली पंक्ति को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें इन लाल पीले झंडों को त्यागकर राष्ट्रीय ध्वज के नीचे संगठिन होना होगा और पंडित नेहरू को नेता मानना होगा। आज हम ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करके सारे विश्व को पंचशील और सहअस्तित्व का सबक सिखाया है, हमने विश्व में इन प्रस्तावों को मान कर अपनी एक नई ख्याति पैदा की है, हम कागजी बातें नहीं कहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह नेहरू जिनके नेतृत्व में भारत का भाग चीन का गुलाम बना लिया गया उनको वह नेता मानने को कह रहे हैं।

श्री विजयशंकर—

मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था और वह कह रहा था अर्जुन से कि लड़ो और उसका मनोबल बढ़ा रहा था, उसी तरह से आज सुरक्षा के नाम पर यहां बाजार गर्म किया जाता है और यही बातें वह बराबर सदन में और सदन के बाहर करते हैं। हमें तो यह शुबहा है और हम महसूस करते हैं कि कहीं यह चाऊमाऊ से मिले हुये तो नहीं हैं और कहीं यह उन्हीं की नीति का समर्थन न कर रहे हों। आज जब हम प्रथम पंक्ति में खड़े हुये हैं और सारे विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं कि राणा प्रताप ने बड़ा जोश खरोश दिखाया। आज मैगाटन का जमाना है, करोड़ों रुपया दुनिया के राष्ट्र अपनी ताकत बढ़ाने के लिये झोंक रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं इमरजेंसी नहीं दिखाई देती। कैसे दिखाई दे? तुम्हें तो सुरक्षा की पंक्ति में खड़ा नहीं होना है। अगर आप नेहरू के पीछे न खड़े हुए, और बने हुए काम में विघ्न डाला तो इतिहास में तुमको मीर जाफर और जयचन्द का खिताब मिलेगा।

मैं माननीय उग्रसेन की बात का जवाब देना नहीं चाहता। पूरी रामायण गा गये, हम यही नहीं समझ पाये कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस था। यदि सचमुच आपके दिल में भारत की सुरक्षा की लगन है तो हम और आप मिल कर विचार करें, सदन में और बाहर भी जनता का मनोबल बढ़ाने में हाथ से हाथ मिला कर खड़े हों, हमारी आवाज एक हो। अलग अलग खंझड़ी नहीं बजनी चाहिये, यह देश के लिये घातक है। हमने भारत का अन्न खाया है, पानी पिया है इसलिये हमें सुरक्षा पंक्ति में हिम्मत और मुहब्बत के साथ खड़ा होना चाहिये। नेहरू पर कीचड़ उछालना सूरज पर धूल फेंकना है। आज केनेडी और खुश्चेव भी नेहरू जी का लोहा मानते हैं, उनकी नीति का समर्थन करते हैं। माननीय उग्रसेन उनका समर्थन नहीं करते

हैं, धन्य हैं। जिस योरप की जनता ने ईसा को फांसी लगाई उसका परिणाम उसने पाया, यूनान के लोगों ने सुकरात को जहर दिया उसका परिणाम उनको बुरा भुगतना पड़ा। हमारे यहां महात्मा गांधी की हत्या....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, नेहरू चालीसा बन्द किया जाय। बजट पर बोलें माननीय सदस्य।

श्री विजयशंकर—

गांधी जी की हत्या का धब्बा छूटेगा नहीं। अगर नेहरू को हटाने की बात भारत ने सोची तो स्वर्ग में बैठे हुये गोखले, तिलक, भगत सिंह आदि तुमको शाप देंगे। इसलिये सुरक्षा पंक्ति को मजबूत बनाना है और चीनियों को नेफा और लद्दाख से निकालना है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर है। हम रिपब्लिकन पार्टी को न तो आपने परसों, न कल और न आज ही समय दिया और न दे रहे हैं। [×××]

(श्री श्यामलाल ने सदन का परित्याग किया।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आपको समय मिलेगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने सदन के माननीय सदस्यों को एक बहुत ही सुन्दर नाटक देखने का मौका दिया। जिन माननीय सदस्य ने अभी भाषण दिया उन्होंने इस तरफ बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को चाऊ-एन-लाई का दलाल कहा। ईमानदारी की बात यह है कि माननीय सदस्य अगर अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें तो एक बहुत बड़ा चार्ज उन्होंने इधर के लोगों पर लगाया है। वे अगर अपने दिल के आइने में देखेंगे तो अपनी खुद की तस्वीर को पहचानेंगे। इस तरफ के लोग भी उतने ही देशभक्त हैं जितने कि माननीय सदस्य होंगे। अगर सत्ताधारी दल के लोग यह सोचते हैं कि चाऊ-एन-लाई की फौज सिर्फ माननीय मंत्रियों के डर से हिन्दुस्तान की पवित्र भूमि को छोड़ गयी तो वे देश के साथ विश्वासघात करते हैं। अगर चाऊ-एन-लाई की फौज हिन्दुस्तान की पवित्र भूमि से हटी तो सिर्फ इसलिये हटी कि आज जो एका हिन्दुस्तान में हुआ वह यहां की तवारीख में दुनिया के लोगों ने कभी नहीं देखा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किस मंत्री ने सुरक्षा कोष में अपना पूरा वेतन दिया है? उत्तर प्रदेश के कौन ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस संकटकालीन स्थिति में एक वक्त का खाना छोड़ दिया है या जिन्होंने पुरानी पद्धति का अनुसरण किया हो और दाढ़ी बनानी ही छोड़ दी हो, मोटरों में चलना छोड़ दिया हो या बंगलों में रहना छोड़ दिया हो? आज अगर आप उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का नक्शा देखिये तो वह उसी स्थिति पर है और उसी तरह से कायम रहना चाहता है। जो बजट पेश किया गया है उसमें बहुत सी बातें लोगों के लिये रखी गयी हैं लेकिन आज जब संकटकालीन स्थिति बतायी जाती है उसके होते हुये भी मंत्रियों की संख्या आज अपनी जगह पर है। बहुत सी चीजें जिनकी जरूरत नहीं थी, खरीदी गयीं। इसमें ७ करोड़ ९ लाख रुपया पुलिस और होम गार्ड्स पर व्यय होना बताया गया है लेकिन उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह लाइसेंस के बारे में उदार नीति अपनाती और लोगों को ज्यादा से ज्यादा हथियार देती। आज कारतूसों पर बहुत ज्यादा ब्लैक हो रही है, जो हमारी सुरक्षा से विशेष सम्बन्ध रखती है। उसके बारे में क्या आपने किसी दुकानदार का चालान किया? नहीं किया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ-साफ कहा कि बहुत से पूंजीपतियों ने साथ नहीं दिया। मैं आज स्वागत करता माननीय राज्यपाल के भाषण का और इस बजट का यदि कोई ऐसा कानून बनाया होता जिसमें

[×××] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री लखपतराम शर्मा]

साफ लिखा होता कि जिन पूंजीपतियों ने हिन्दुस्तान की आजादी के साथ खेल खेला उनको उन्हीं के शहरों में चौराहों पर कोड़े की सजा दी जायगी। तब मैं समझता कि आपने देश की सुरक्षा के लिये सही कदम उठाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिला रहा था कि रिहन्द बांध से अनेक गांवों में बिजली पहुंचाने की बात कही गई है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का तथा सत्ताधारी कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा कि यह बड़े दुख की बात है कि बुन्देलखंड जो एक बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश का इलाका है उसके लिये कोई भी योजना इस बजट में सुधार के लिये नहीं रखी गई है। आपको ताज्जुब होगा कि झांसी की बिजली कम्पनी वहां के लोगों से आठ आने यूनिट लेती है और उसी मालिक की बिजली कम्पनी गोरखपुर में है उसको सरकार ने जब्त कर लिया है, लेकिन इस कम्पनी पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। हमारे बुन्देलखंड के इलाके के लिये बिजली तथा पानी की शीघ्र व्यवस्था के लिये कोई योजना इस बजट में नहीं है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि पूर्वी जिलों का कोई प्रश्न नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रश्न लिया जाय तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि बुंदेलखंड का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है उसकी ओर ध्यान दिया जाय। जहां तक सिंचाई का संबंध है मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाया है कि बरुआ सागर तथा बड़ागांव व अन्य इलाकों में नहर का पानी देना बन्द कर दिया गया जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसल सूख रही है। मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इस ओर उचित ध्यान दिया जाय।

इसके साथ-साथ जहां तक पुलिस का संबंध है, मैं एक खास चीज इस सदन के समक्ष रखने जा रहा हूं और वह यह है कि इस संकटकालीन अवस्था में भी जब कि बहुत सी चीजों की तरक्की की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है मैं पुलिस की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। श्रीमन्, हमारे यहां दो हुकूमतें हैं और इन दोनों हुकूमतों से हमें संघर्ष करना पड़ता है। एक हुकूमत हमारे यहां मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस दल की है और दूसरी हुकूमत हमारे इलाके में डाकुओं की है। अभी-अभी झांसी तहसील में एक स्टेशन के ऊपर से एक पंजाबी ठेकेदार को डाकू शंकरसिंह के गिरोह द्वारा उठा लिया गया और दिन दहाड़े ले जाया गया और हजारों रुपये लेने के बाद छोड़ा गया। मुश्किल से दो महीने की बात है कि शंकरसिंह के गिरोह द्वारा दिन दहाड़े शहर में से ४-५ आदमियों को और भी उठा लिया गया है और वे अब भी उनके चंगुल में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि आप प्रदेश के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि बुन्देलखंड इलाके को मिलिटरी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि डाकुओं से हम लोगों की रक्षा हो सके जो दिन दहाड़े लोगों को उठा ले जाते हैं। आज आपकी पुलिस की हालत बहुत अबतर हो गई है।

मैं आपको थाना रसूलाबाद जो कानपुर में है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जिसकी आबादी करीब ८० हजार है, वहां केवल १८ पुलिस के कर्मचारी हैं। जब कि पुलिस कानून के मुताबिक एक हजार आदमियों के ऊपर एक पुलिस कर्मचारी होना चाहिये। इसके अलावा वहां पर करीब २८० केस रजिस्टर्ड हुये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह से शहर में पुलिस का इन्तजाम हो तो डकैती और कत्ल हों तो कौन ताज्जुब की बात है। आप देखिये कि आज जो आपके पी० डब्लू० डी०, फारेस्ट, नगरपालिकायें और कोआपरेटिव विभाग हैं उनमें लाखों रुपयों का गबन है, लेकिन ताज्जुब यह है कि जब किसी सत्ताधारी दल के किसी आदमी पर चार्ज लगाया जाता है या कोई कांग्रेस पार्टी का आदमी गिरफ्तार हो जाता है और पुलिस चार्जशीट देती है तो सत्ताधारी लोग अपनी पार्टी को जिन्दा रखने के लिये अदालत से मुकदमा वापस कराते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

शर्मा जी, धीरे बोलिये, जिससे भाषण लिखा जा सके।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह सत्ताधारी दल के लोगों का कर्तव्य है कि अगर कोई पार्टी का आदमी किसी संगीन मुकदमे में अदालत के सुपुर्द कर दिया जाय तो जितनी कड़ाई हो सके सत्ताधारी दल के लोगों को उसके प्रति करनी चाहिये। चूंकि यह पार्टी का सवाल नहीं है, देश का सवाल है और अगर इस समय भी जब कि देश की रक्षा का सवाल है इस तरह से पार्टी को बचाने के लिये मुकदमा वापस हो जाते हैं फैसला होने के बाद भी तो सी० आई० डी० और पुलिस की हिम्मत टूट जाती है। वह सोचने लगते हैं कि अगर वह ठीक से पता भी लगावेंगे तब भी मुकदमा ठीक होते हुये भी वापस हो जायगा तब बेकार के लिये अपनी बदनामी क्यों लें ? क्यों न इस तरह से किया जाय जिससे कांग्रेस पार्टी के लोग खुश रहें।

दूसरी बात, हमारे यहां झांसी में एक "भगिनी मंडल" खुला हुआ है। उसके अन्दर एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता का हाथ है। "हिन्दी टाइम्स" अखबार तक में उसके बारे में छप चुका है। उसमें वहां भारी रुपये का गबन हुआ है। वहां हमारी बहू बेटियां भगाई गई हैं। उनकी इज्जत की लूट होती है, वहां पर व्यभिचार होता है, व्यभिचार के लिये वहां से बहिनें ले जायी जाती हैं। हिन्दी टाइम्स ने उनके फोटो भी छापे हैं और उसके केसेज भी दिये हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अभी मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि उसमें किसी बड़े कांग्रेसी नेता का हाथ है, तो वह क्या बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन से माननीय कांग्रेस नेता के हाथ हैं जो इस तरह से व्यभिचार कराते हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा--

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन चीजों का फैसला हम लोग खुद कर सकते हैं अगर कानून में इस ओर जरा भी सुधार होता है। अगर कानून में यह संशोधन होता कि जो जिसको हरावेगा वह हारने वाला व्यक्ति उस जगह पर बैठेगा जो हारने वाले के कब्जे में स्थान था तो आज बहुत से सत्ताधारी दल के सदस्यों की जगह इधर के लोग बैठे होते और इस तरह के व्यभिचार को, पापाचार को और भ्रष्टाचार को कड़ाई के साथ, मजबूती से कानूनन रोक देते, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भी व्यक्ति उस पार्टी, सताधारी पार्टी का हार जाता है फिर दूसरे तरह से मंत्री हो कर बैठ जाता है और हम जो हराकर आते हैं वह यहां विधान सभा के केवल सदस्य ही माने जाते हैं। यह कानून की गड़बड़ी है नहीं तो आज बहुत से विरोधी दल के सदस्य सत्ताधारी दल की अनेक कुर्सियों पर कब्जा किये हुये होते। माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न किया कि उनका नाम लिया जाय। तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं उनका नाम ले सकता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप माननीय सदस्य को इस बात के लिये इजाजत दें, उन्होंने कहा कि वे सज्जन सत्ताधारी दल के बहुत बड़े नेता हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उनका नाम नहीं लेंगे जो यहां अपने को डिफेंड नहीं कर सकते। उनका नाम नहीं लिया जा सकता है।

श्री लखपतराम शर्मा--

तो मैं इतना ही कहता हूं कि जनता ने उनको पहले से ही उनके इस प्रकार के कारनामों के लिये हरा दिया है। इससे ज्यादा मैं इस समय नहीं कहूंगा।

अब शराब के मामले को देखिये। मद्यनिषेध पर जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च किया गया कि शराब बहुत बुरी है, खराब है। गांधी जी की भी यह नीति थी, लेकिन आज कौन-सी जरूरत पड़ गयी कि सारे उत्तर प्रदेश में इस बात के लिये खुली छूट दे दी गयी है कि खूब पिओ और पिलाओ। नतीजा यह हुआ कि जिस दिन शराब के पीने पिलाने

[श्री लखपतराम शर्मा]

पर छूट हुई उस दिन अकेले कानपुर में कई लोग मरे, कई एक की हत्या हुई और कई ऐक्सीडेंट्स व फौजदारी हुईं । जिस समय हमारा देश व प्रदेश दुश्मनों से घिरा हुआ है उस समय हमें प्रदेश के मनोबल को इतना कम नहीं करना चाहिये जैसा कि आपने खुली छूट दे दी है कि खूब पिओ और पिलाओ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज देश का मनोबल इतना ऊंचा करने की जरूरत है जिससे देश उठे, लेकिन उसके लिये आवश्यक है कि माननीय मंत्रीगण भी त्याग करें, अपने ऐशो-आराम को वे छोड़ें, लेकिन माननीय मंत्रिगण अपनी जगह पर कायम हैं, कांग्रेस की सत्ताधारी पार्टी के लोग त्याग करें, लेकिन वह कहां है ? आप विरोधी दल के लोगों से कहते हैं कि यह करना चाहिये और वह करना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन लोग थे जो चीन के खिलाफ लड़े थे । चीन क्यों पीछे हटा था ? यह वह भावना थी, कि विरोधी दल के लोगों का एक होकर आपके साथ चलने की भावना थी व एक आवाज सभी हुये, और उसी को देखकर चीन को पीछे हटना पड़ा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सचमुच हिन्दुस्तान की रक्षा करनी है तो पहले आप और आप के मंत्री लोग खुद कुर्बानी करें उसके बाद लोग अपने आप त्याग करेंगे ।

जबर्दस्ती चन्दा वसूल किया जा रहा है । मेरे झांसी जिले से ७ लाख कुछ हजार रुपये इकट्ठा हुआ । वहां के अधिकारियों से कहा गया कि नहीं १० लाख रुपया तुम्हारे जिले से चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकारी अफसरान हैं या जो सरकार के अधिकारी हैं क्या कोई आपको अपने बीबी के जेवर बेचकर आपको रुपया देगा । जब आप आदेश देते हैं कि दस लाख रुपया दीजिये तो वह जरूर सख्ती करेंगे । आप हिन्दुस्तान की जनता को अपने साथ रखें और उनको इतना ही दबायें जितना वह जिन्दा रह सकें । हो सकता है कि चीन फिर हमारी हिन्दुस्तान की पवित्र भूमी की तरफ कदम बढ़ाये । अगर किसी ने सही कुर्बानी की है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मिडिल क्लास व गरीबों ने ही की है । गांव का किसान अपना बेटा मोर्चे पर देने में भी आगे है और रुपया भी देने में आगे है । उसी किसान से आप जब जबरदस्ती चन्दा वसूल करते हैं तो उसकी आत्मा को ठेस लगती है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सन् १९६३–६४ का जो बजट प्रस्तुत है उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं । कल आपके कर्मचारी ने, जो नीचे बैठते हैं, यह सूचना दी थी कि आप बोलेंगे । कल से आज तक मुझे बुलाया नहीं गया । अगर आप का समय देने का विचार नहीं है तो मना कर दें । सूचना देने के बाद मैं कल से आज तक खड़ा होता रहा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई बात नहीं है । जब मौका आयेगा तब आपको टाइम मिलेगा । आप घबड़ाइये नहीं । ४३० सदस्यों को मैं समय नहीं दे सकता ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९६३–६४ का जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें केवल ४ करोड़ ९७ लाख का घाटा दिखाया गया है। इससे प्रदेश की जनता को ऐसा लगा कि शायद आगे आने वाले इस वित्तीय वर्ष में कर का भार बहुत अधिक नहीं बढ़ने जा रहा है इसलिये प्रदेश में इस बजट पर संतोष प्रकट किया गया है । इसके अन्तर्गत जो आयोजनागत खर्चे हैं उनको अलग करके यदि देखा जाय तो साधारण रूप से जो आय और व्यय की मदें हैं उन में हमारे राजस्व साधनों से १२ करोड़ ४२ लाख रुपये की बचत हुई है । लेकिन जैसा हम और आप सब जानते हैं हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है । इस पिछड़े प्रदेश की आर्थिक उन्नति करने

के लिये, आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिये यह आवश्यक है कि हम ऐसी योजनाओं पर खर्च करें और इसीलिये आगे आने वाले वर्षों में लगातार हमारे बजट घाटे के होते रहेंगे।

विरोधी दल के भाइयों की तरफ से बार-बार यह कहा गया कि सरकार पहले घाटे का बजट प्रस्तुत करती है और इससे नये टैक्स लगाने के जमीन तैयार की जाती है, लेकिन वर्ष के अन्त में वह घाटा सर्प्लस में बदल जाता है। मैं यह समझती हूं कि यह जो दोष सरकार के ऊपर लगाया गया है वह सत्य से परे हैं। इस वर्ष भी जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है करीब-करीब १० करोड़ ७७ लाख रुपये का घाटा होना अनिवार्य है। इससे स्पष्ट है कि जब हमारा प्रदेश उन्नति कर रहा है तो इस तरह के बढ़ते हुये खर्चे बार-बार आयेंगे। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं हमारे देश के अन्य प्रदेशों की सरकारों द्वारा भी इसी तरह घाटे के बजट प्रस्तुत किये जाते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा भी इस तरह का बजट प्रस्तुत किया जाता है। यह जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है यह एक निश्चित नीति के अन्तर्गत किया जा रहा है। सन् १९५३ में इंटरनेशनल मानेटरी फंड की ओर से एक मिशन यहां आया था मिस्टर वेन्स्टिंग की अध्यक्षता में। वह इसीलिए आया था कि सरकार को यह सलाह दे कि किस तरह से डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा हम अपनी योजनाओं को चला सकते हैं और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टर वेन्स्टिंग ने बहुत ही सराहनीय शब्दों में उस समय यूनियन गवर्नमेंट की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जब दुनिया में मूल्य काफी बढ़ रहे हैं। उस समय हिन्दुस्तान ने अपनी समझदार क्रेडिट पालिसी द्वारा मूल्य को नियंत्रित किया है और प्राइस को स्टैबिलाइज किया है यह एक सराहनीय कदम है। मैं समझती हूं कि गत आठ दस वर्षों में जो प्राइस इन्डेक्स है वह इस बात को बताती है कि काफी हद् तक हमने प्राइस को स्टेबिलाइज़ किया है। कल जो एक पुस्तिका हमें मिली तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति उसके पृष्ठ ३ पर खाद्य के मूल्य के सम्बन्ध में जो तालिका दी गई है उसमें यह लिखा हुआ है कि सन् १९६१ और १९६२ में जो खाद के मूल्य रहे, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह के, उन सब में घटी हुई है। गेहूं में ४·४१ रुपया मूल्य में कमी हुई है और में ३·८३ रुपया प्रति मन कमी हुई। इसी तरह से अन्य चीजों में भी कमी हुई है केवल चने को छोड़ कर। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार की ओर से यदि डेफिसिट फाइनेंसिंग की भी गई या की जा रही है तो उसके साथ-साथ हमारी जो मशीनरी है उसके द्वारा हम इन्फ्लेशन को रोक कर प्रयास को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर कोई अधिक चिन्ता की बात नहीं है। जितनी भी अंडर डेवलप्ड कन्ट्रीज, आर्थिक दृष्टि से पीछे रहने वाले देश हैं उन सब देशों में आज इस पालिसी को अपनाया जा रहा है।

आज हमारे सामने जो योजनायें हैं मैं समझती हूं कि उन योजनाओं को अधिक मजबूती के साथ पकड़कर और अच्छी तरह से उनको कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। लेकिन इस ओर मैं सरकार का ध्यान और वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमारी योजनाओं को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, अर्थात् जिन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यह योजनायें कार्यान्वित की जाती हैं, उनके द्वारा उस रुपये का सही ढंग से उपयोग होना चाहिये जो रुपया कि मिनिस्ट्री की ओर से विभिन्न विभागों की योजनाओं पर खर्च करने के लिये दिया जाता है। पिछली पब्लिक एकाउन्टस् कमेटी में मुझे काम करने का मौका मिला उसमें मैंने देखा कि सरकारी अफसरों के हाथ में पड़कर हमारी अच्छी योजनाओं की हत्या हो जाती है। जब बजट पेश किया जाता है तो लाखों रुपये की मांग की जाती है। लेकिन बाद में हजारों और लाखों रुपया बिना किसी काम में उपयोग किये हुये और बिना उन योजनाओं को कार्यान्वित किये हुये लौटा दिया जाता है। देहातों में जो कम्यूनिस्टि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, या जो कृषि की योजनायें हैं, जो सिंचाई की योजनायें हैं, या सहकारी भंडार की, बीज गोदाम की योजनायें हैं, उन सब में विभिन्न मदों में मैंने देखा लाखों रुपया बिना उपयोग किये हुये लौटा दिया गया है। आज जब कि उत्तर प्रदेश में उद्योग में वृद्धि की आवश्यकता है, उन्नति की आवश्यकता है, और हमारा प्रदेश उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो मैं अपने इंडस्ट्रीज विभाग के बारे में केवल एक अप्रोप्रियेशन एकाउन्ट १९६०–६१ के पृष्ठ १०६ पर दिये गये कुछ आंकड़ों की ओर सदन का ध्यान और माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं।

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

कि डेवलपमेंट स्कीम में १,६४,५७,२०० रुपया रखा गया ओरिजिनल बजट में और सप्लीमेंटरी में उसी के लिये ५०० रुपया और मांगा गया। रिएप्रोप्रियेशन अकाउन्ट में ३७,४१,७०० रुपया लिया गया और अन्त में २,१७,६४४ रुपया वापस कर दिया गया। इसी तरह से गंगाखादर की जो कोलोनाइजेशन स्कीम थी एग्रीकल्चर की तरफ से उसमें १,३७,९०० रुपया ओरिजिनल बजट में रखा गया गंगा खादर स्कीम के लिये। जब रिएप्रोप्रिएशन हुआ तो उस समय १,०३,९०० रुपया लिया गया। इतनी बड़ी रकम में फाइनल ग्रान्ट ३४ हजार रुपया रह गई और वह भी अन्त में जा कर खर्च होता है केवल २४,६४२ रुपया और उसमें भी ९,३५८ रुपया बच जाता है जो वापस किया जाता है। तो सवाल इस बात का है कि इन आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि विभागीय अधिकारी हृदय से हमारी इन योजनाओं को सफल बनाने के लिये सहयोग नहीं देते हैं। हम इस वास्तविकता को जानते हैं कि जिस समय हम को आजादी मिली उस समय हमारे देश में जो सरकार थी वह साम्राज्यवादी सरकार थी और वह पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाली सरकार थी। उस सरकार की संरक्षता में ट्रैनिंग पाये हुये अफसरों को, जब देश की आजादी मिलने पर शासन की बागडोर सम्भालनी पड़ी और काम करना पड़ा तो वह नये शासन के अन्तर्गत अपने को पूरी तरह से बदल नहीं सके हैं।

हमारा लक्ष्य आज देश के अन्दर समाजवाद को लाना है और मनुष्यों को उसके लिये तैयार करना है। इसलिये मैं यह चाहती हूं कि शिक्षा विभाग इस पर ध्यान दे क्योंकि यदि हम बड़ी-बड़ी योजनाओं को कागज में तो लेते हैं लेकिन उन को सफल बनाने के लिये लोगों को तैयार नहीं करते हैं कि पूरी तरह से किस तरह प्रजातंत्र के अधिकारों की रक्षा करते हुये काम करना चाहिये तो हमारी योजना सफल नहीं हो सकती है। यदि वे इस बात को नहीं समझते हैं कि एक-एक पैसे का सदुपयोग कैसे होना चाहिये और कैसे समाजवाद को लाना है तो वे अधिकारी हमारे लिये सहायक सिद्ध नहीं हो सकेंगे। यही कारण है कि आज हम करोड़ों रुपया जनता से लेकर खर्च करते हैं। करोड़ों रुपया उनसे लेते हैं और जनता भार सहन करने के लिये तैयार है देश और समाज के लिये और देश तथा प्रदेश का हरएक नागरिक अपना सहयोग देने के लिये तैयार है, लेकिन उसको यदि वह मालूम हो जाय कि उस की पाकिट से जो पैसा निकलता है उसका सदुपयोग होता है तो निश्चय ही वह बड़े से बड़ा त्याग करने के लिये तैयार है और रहेगा। मैं समझती हूं कि हमारे इस बजट में इस बार भी सड़कों के निर्माण के लिये बहुत बड़ी रकम करीब-करीब ६ करोड़ रखी गई है और कृषि विकास के लिये भी बहुत बड़ी रकम रखी गई है लेकिन जो हमारी पालिसी है उस को भी देखने का प्रयत्न विभाग को और माननीय मन्त्रिगण को करना चाहिये। केवल सेक्रेटरीज और ज्वाइन्ट सेक्रेटरीज या सरकारी कर्मचारियों पर छोड़ कर यह योजनायें चलने वाली नहीं हैं। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिये देशभक्त तथा उन लोगों की आवश्यकता है जो उन विचारों में पले हुये हों और उन विचारों को एक धर्म की तरह से मानने वाले हों। अन्त में मैं दो शब्द अपने उन विरोधी भाइयों से भी कहना चाहती हूं जिन्होंने इस बजट के सम्बन्ध में बोलते हुए इमरजेन्सी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर बोलने के बहाने प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना की है। मैं उन सभी भाइयों को यह बतलाना चाहती हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उन व्यक्तियों में से हैं, माननीय लालबहादुर शास्त्री के शब्दों में, जो सिर कटाना जानते हैं, सिर झुकाना नहीं जानते हैं और जिन्होंने देश के स्तर को केवल इस देश में ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ऊपर उठाया है। उसको आप समझने की कोशिश करें। आज अगर, आप हिन्दुस्तान की घोषित नीति की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में अपनी की हुई प्रतिज्ञा से कहीं भी नहीं हटा है देश और आज अगर चीन उस प्रस्ताव को नहीं मान रहा है तो इसलिये कि वह चीन के पक्ष में नहीं है, हिन्दुस्तान के पक्ष में है। फिर कोलम्बो प्रस्ताव से हम यह नहीं कहते कि हम चीन को धरती देने जा रहे हैं, हम तो केवल बात चीत कर सकते हैं, इसके लिए यह कोलम्बों प्रस्ताव है, न कि कोई समझौता मान लेते हैं। अगर हम लड़ाई के मैदान में लड़ते

हैं तो टेबिल पर बैठ कर भी लड़ाई करते हैं। तो कोलम्बो प्रस्ताव के द्वारा हम अपनी बात चीन के साथ कर सकते हैं। आपने देखा कि ऐफ्रो-एशियाई कान्फ्रेन्स में हिन्दुस्तान की शान कितनी ऊंची उठी। वहां पर चीन ने प्रस्ताव नहीं लाना चाहा। चीन चाहता था कि ऐग्रेशन का प्रस्ताव न रखा जाय, वह प्रश्न न उठाया जाय, लेकिन वह उठाया गया और इस तरह से हमारी बात रखी गयी। यह बात दूसरी है कि प्रस्ताव के अन्दर धोखे से शब्द बदल दिये गये, लेकिन उससे चीन को ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नैतिकता की दृष्टि से नीचा देखना पड़ा है और आज भी जो कोलम्बो प्रस्ताव माना गया उसके द्वारा हमने अपने पड़ोसियों को अपना मित्र बनाया है। चीन की लड़ाई जिस समय हुई थी उस समय सारी दुनियां में जो एक प्रचार हो रहा था कि हिन्दुस्तान ही झगड़ा कर रहा है और चीन तो शान्ति चाहता है, लेकिन कोलम्बो प्रस्ताव को मान कर आज हमने अपने आस-पास के देशों को, मित्र तो हमारे साथ था ही और जो दूसरे देश हमारे साथ पूरी तरह नहीं थे---उनको हमने अपने साथ कर लिया। इस तरह से डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, विदेशी जगत में हमारा नाम ऊंचा हुआ है। इसलिए ऐसे नेता के लिए ऐसी बात कहें जिस समय देश विदेशी खतरे से घिरा हुआ हो, क्या इससे हिन्दुस्तान का मनोबल ऊंचा उठाते हैं? आप मनोबल को गिराने वाले हैं या उठाने वाले? आज पंडित नेहरू की वह शक्ति है जिसके नीचे हिन्दुस्तान की ४५ करोड़ जनता एक हो सकती है। अगर हिन्दुस्तान की शक्ति का कोई प्रतीक है तो वह नेहरू हैं। ऐसी बात उनके लिये कह कर आप अपनी और अपने देश की शान को कम करते हैं। कल के "हिन्दुस्तान टाइम्स" को पढ़िये। इंगलैंड के एक अखबार ने १६ पृष्ठ का एक एडिटोरियल निकाला है जिसमें किस तरह से लिखा गया है कि हिन्दुस्तान आगे बढ़ा है और पंडित नेहरू के नेतृत्व में हिन्दुस्तान हर प्रकार के संकट का सामना करने को तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिन के बाद जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आप का आभारी हूं। आज सदन के सामने जो बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा....

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय हो रहा है। आप बाद में बोलेंगे। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री शारदानन्द---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो बजट पेश हुआ है उस को देखने के बाद प्रदेश की जनता में निराशा का वातावरण पैदा हुआ है। इसके पहले कि मैं इस बजट पर कुछ कहूं, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे उधर के कुछ साथियों ने हम विरोधी सदस्यों पर यह आरोप लगाया है कि हमारे भाषणों से जनता का मनोबल गिरेगा या घट रहा है, यह गलत है। मैं अपने उन साथियों को बतला देना चाहता हूं कि इस भारत भूमि में पला हुआ व्यक्ति या समाज का मनोबल न कभी टूटा है और न वह कभी टूटेगा। आप चाहे उसके लिये कितना ही प्रयत्न करें, कितने ही भाषण दें, उससे मनोबल टूटने वाला नहीं है। उसके पीछे तो यहां की परम्परा है, एक इतिहास है और उसकी रक्षा के लिये यहां का व्यक्ति अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकता है। जो अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकता है, उसका मनोबल कैसे टूट सकता है? हां, उनका धैर्य अवश्य टूट रहा है, जो उनका स्वप्न था स्वतंत्रता से पूर्व, वह अवश्य टूट रहा है। मैं उसका एक उदाहरण दे देना चाहता हूं। राजस्थान नामक पुस्तक में 'टाड' ने लिखा है कि जिस समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदानन्द]

उसका लड़का गद्दी पर बैठा था और वह बड़े ऐशोआराम में पड़ गया। इसके बाद मुगलों ने आक्रमण किया। उस समय यह स्थिति थी कि उससे लड़ने के लिये सब ने इनकार कर दिया क्योंकि वह तो विलासिता में पल रहा था। मगर वहां की जनता इसको बरदाश्त न कर सकी। उसने उस राजा को पकड़ कर घोड़े पर बांध कर लड़ाई के मैदान में छोड़ दिया। वहां पर जो व्यक्ति विलासिता में पल रहा था, जो लड़ाई की बात कभी सोचता नहीं था, उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने तलवार उठायी और लड़ने को तैयार हुआ। उसी राजस्थान नामक पुस्तक में टाड ने यह भी लिखा है कि उस लड़ाई में वह ७ बार हारा और जब जनता ने यह देखा कि उसके पास लड़ने के लिये पैसा नहीं है, तो जनता ने अपने हल-बैलों को बेच कर धन एकत्र करके लड़ने के लिये उसको दिया। जनता ने अपनी सारी जायदाद बेच दी, स्त्रियों ने अपना गहना बेच दिया, और सब कुछ बेच कर उसको लड़ने के लिये मजबूर किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आप के कहने से, या भाषण देने से, जनता का मनोबल कदापि नहीं टूटेगा। आप जानते हैं, चीन ने जब आक्रमण किया, हम और आप पीछे रह गये, किन्तु जनता आगे आई। आज बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग पीछे रह गये लेकिन जनता का मनोबल देश के सामने आया और सबको पता लग गया कि जनता क्या चाहती है।

कल कुछ भाई कह रहे थे कि सन् १९४२ के स्वतंत्रता संग्राम के समय आप कहां थे? मैं उनसे पूछता हूं कि सन् १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के समय आप किन कन्दराओं में छिपे थे? आज जो अपने को दूध के धोये बता कर दूसरों पर लांछन लगाते हैं मैं अपने उन कम्युनिस्ट भाइयों से पूछता हूं कि वे उस समय कहाँ थे? वे कहते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया है कि नेहरू जी के हाथ मजबूत करेंगे। परन्तु वह प्रस्ताव उन्होंने उस समय पास किया जब कि भारत में कानून बन चुका था और उन्हें भय था कि उनके ऊपर कार्यवाही न हो जाय। उसके ५, ७ साल पहले से जब चीन भारत-भूमि पर अधिकार कर रहा था तो वे चुप थे। डांगे से जब इंग्लैन्ड में पूछा गया तो वह स्पष्ट नहीं बता सके कि कौन आक्रमणकारी है। डांगे ने कहा कि हिन्दुस्तान कहता है कि चीन आक्रमणकारी है और चीन कहता है कि हिन्दुस्तान आक्रमणकारी है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह इन आस्तीन के सांपों को न पाले। वैसे तो भारत की परम्परा रही है कि यहां के लोग सांपों को भी दूध पिलाते हैं लेकिन सांपों को वही दूध पिलाते हैं जो उन्हें कुचलने की ताकत रखते हैं। अगर आप के अन्दर ऐसी हिम्मत है तो आप इन्हें शौक से पालें, उनको हृदय से लगाइये, उन्हें चिपकाइये, लेकिन आपके अन्दर यह बल होना चाहिये कि जिस समय ये सांप काटने की स्थिति में आवें तो उस समय इनका फन कुचल दिया जाय।

भारत की जनता ने स्वतंत्रता-संग्राम से पहले जो स्वप्न देखा था, जो उसकी कल्पनायें थीं, उन पर कुठाराघात हुआ है। जनता देखती है कि आज संकट के समय भी उद्घाटन होते हैं और चाय पार्टियां होती है। इससे जनता का मनोबल तो नहीं वरन् धैर्य अवश्य टूटता है। जनता का मनोबल टूटता है उस समय जब शासन में भ्रष्टाचार होता है और यह देखती है कि सरकार ठीक तरह से उसके जीवन की उचित व्यवस्था करने में असमर्थ है। जनता का धैर्य टूटता है उस समय जब वह देखती है कि हमारे ऊपर बहुत टैक्स लगाये जाते हैं, जहां हमसे सुरक्षा कोष में धन लिया जाता है वहां अमीर लोगों को आप छूते तक नहीं। इससे उसका स्वप्न जो साकार होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। इस बजट से जनता के धैर्य का बांध टूटता है, अगर सरकार ने इस धैर्य के बांध को, जिसे जनता आज १५ साल से बांधे हुए है, टूटने से नहीं रोका तो वह टूट जायगा और उसमें यह सरकार बह जावेगी।

सुरक्षा के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं पर सुरक्षा की मदों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आप देखेंगे कि एशिया के और देशों में सुरक्षा पर व्यय बढ़ रहा है। इंडोनेशिया में ६·२, बरमा में ७·७ खर्च हो रहा है। हम केवल ३·१ खर्च कर रहे हैं। जन-

स्वास्थ्य भी सुरक्षा में आता है। जन–स्वास्थ्य के विषय में आज बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें खोल तो रखा है पर उनमें डाक्टर नहीं हैं। कहीं डाक्टर है तो वहां दवाई नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जनता का धैर्य नहीं टूटेगा ? अवश्य टूटेगा जनता का धैर्य।

आज इस बजट में बहुत कम ध्यान फर्स्ट ऐड की तरफ दिया गया है। फर्स्ट ऐड की व्यवस्था गांव–गांव में होनी चाहिये। खास तौर से वहां जो बार्डर एरिया में पड़ते हैं। वहां जनता को तैयार करना चाहिये ताकि समय पड़ने पर वह काम आ सके।

दूसरी चीज जो सुरक्षा में आती है वह है पुलिस। आपने पुलिस को बढ़ाया है तो अच्छा किया है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिये जिससे वह क्राइम को रोक सके आपने क्या किया है। हमारे यहां क्राइम्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सन् १९६० में डकैती हुई ९५२ और १९६१ में १,७५१ हो गई। राहजनी की संख्या ५४२ से १,२५८ हो गई। हत्याओं की हो गई १,६५६ से सन् १९६१ में २,१०१ दंगे हुए, २७४३ से ४,८५६, सेंध लगानेवाले १४,७२४ से बढ़कर २७,६४४ हो गये। सन् १९६२ के आंकड़ों में मैं नहीं जाता हूं। आगरा जिले के अभी एक सज्जन बयान कर रहे थे कि स्टेशन से आदमी को डाकू उठा ले गये, सरकार की पुलिस और फौज देखती रह गई। कई जगह डाकू लोगों को उठा ले गये हैं। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? पुलिस की क्राइम रोकने की शक्ति को भी ठीक करना होगा। वह क्यों निष्फल होती है इसके कारणों में जाने की आवश्यकता है। एक बड़ा कारण तो यह है कि सरकार पुलिस के कामों में बहुत दखल देती है उनसे उलटे सीधे काम कराने की जो प्रवृत्ति आगई है उसके कारण पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाती है। दोष उनका नहीं है। दोष आपका है कि आप उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं।

हमारा प्रचारतंत्र भी सुरक्षा में आता है। आज ख्रुश्चेव और कैनेडी जो वहां भाषण करते हैं वे हमारे गांव गांव में पहुंच जाते हैं। आपकी तरफ से भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कुछ भी कहते हैं उसके लिये आपने क्या व्यवस्था की कि वह गांव गांव में पहुंचे ? मैं मानता हूं कि आप कह देंगे कि इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते लेकिन उस पर कोई भी लागत क्यों न आये आप ऐसा प्रबंध अवश्य करें कि गांव-गांव का प्रत्येक व्यक्ति यह समझ ले कि हमारे प्रधान मंत्री ने क्या कहा।

श्री अधिष्ठाता––

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय जो बजट आज हमारे सामने है उसके संबंध में मैं कुछ बातें सदन के विचार के लिये आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इससे पूर्व कि उस संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करूं मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे लिये समय का ध्यान रखें क्योंकि मैं विधान सभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधि और एस्टीमेट्स कमेटी की उत्तराखंड से सम्बद्ध सब कमेटी का कनवीनर भी हूं। इस नाते वहां के बारे में मैं कुछ अधिक बातें विस्तार से कहना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता––

आप बोलें मैं आपका ध्यान रखूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट––

श्रीमन्, मैं प्रदेश के उस भाग से आता हूं जहां की चर्चा यहां पर बहुत दिनों से चल रही है––खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस वक्तव्य के बाद जो उन्होंने १ जनवरी को चीन के बारे में दिया था कि ताकलाकोट में चीनी फौजों का केन्टूनमेन्ट स्थापित है। यह स्थान मेरी कान्स्टीटुयेंसी लिपूलेक से थोड़ी ही दूर है। हमारे लोगों का रात दिन वहां से संपर्क रहता है इस मानी में कि मेरी कान्स्टीटुन्सी में ५ पट्टियां भोटियों की हैं। वहां के व्यापारी लोग जोहारतल्ला, जोहार

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

मल्ला, दारमों व्यारूं व चौदोस पट्टी तिब्बत से व्यापार किया करते हैं। साल भर में ३–४ महीने तिब्बत में रहते हैं और ८–९ महीने भारत में रहते हैं। वे लोग तिब्बतियों की हर बात की जानकारी रखते है, सामाजिक स्थिति, इन्टरनल पालिटिक्स आदि सब बातों को वे जानते हैं। स्वयं मैंने भी उस सारे इलाके में भ्रमण किया है–कैलाश मानसरोवर और ताकलाकोट आदि सब स्थानों में भी मैं स्वय गया हूं। उसी अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है और हमारे यहां उस ओर किस प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है।

इससे पूर्व तो लड़ाई साकार रूप में घोषित ही नहीं हुई थी, इसलिये हमारे यहां इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से लड़ाई लद्दाख व नेफा में शुरू हुई उसकी काफी चर्चा होने लगी है। इसीलिये उत्तराखंड डिवीजन भी बनाया गया, क्योंकि सदा से यह एक उपेक्षित बार्डर रहा था। अंग्रेजों के जमाने से ही नहीं पहले हिन्दुओं के जमाने से, मुसलमानों के जमाने से, फिर अंग्रेजों के जमाने में और अब कांग्रेस सरकार के जमाने में भी वह एक तिरस्कृत बार्डर ही रहा। अभी ३–४ साल पहले ही उत्तराखंड नाम का एक अलग डिवीजन बनाया गया और इसके लिये केन्द्रीय सरकार काफी रुपया भी देती है। गो कि उस रुपये को उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च करती है, लेकिन जो भी काम सुरक्षा प्रशासन सम्बन्धी अथवा विकास के वहां हो रहे हैं, उनके लिये केन्द्रीय सरकार ही अधिकांश धनराशि दे रही है। मैं उन्हीं बातों का अधिकतर जिक्र करूंगा जो बातें वहां की वस्तुस्थिति से संबंध रखती है और वहां के बारे में ज्ञान कराने वाली हैं।

इस इलाके में सड़कें बहुत ही कम हैं, कोई आयात निर्यात के साधन नहीं हैं। आना-जाना बहुत मुश्किल है। ये पांचों पट्टियां मिलाकर मेरी कान्स्टीट्युएन्सी का दसवां भाग हैं। मुझे इस भाग में घूमने में तीन महीने का समय लगा एक महीना असेम्बली से गैरहाजिर रहा, दो महीने – मई और जून के मुझे मिल गये। यह जरूर था कि इन्हीं तीन महीनों में मैंने कैलास की यात्रा भी कर ली थी। वहां का एम० एल० ए० होने के नाते मुझे कहीं-कहीं सभाएं करनी पड़ीं जिसकी वजह से कुछ समय अवश्य लग गया। ऐसे दुर्गम मार्गों वाले स्थान का आपको इन्तजाम करना है और ऐसी जगह की एक व्यवस्था बनानी है, यह आपकी आधार-भूत धारणा होनी चाहिये।

जहां तक सेकेंड लाइन आफ डिफेंस की बात है, यहां लखनऊ में बैठ कर मेज पर सेकेंड लाइन आफ डिफेन्स नहीं बन सकती है। वहां की सब तकलीफात व वहां की क्या हालत है, इसका जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, इस विषय पर बात करना एक व्यर्थ की बात मालूम होती है। वहां की जनता की क्या कमजोरी है, वहां की क्या हालत है, उसके बारे में बतला देना चाहता हूं। वहां की जनता की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति पीछे आय हिन्दुस्तान में सब से कम है। वहां की जनता का स्टैंडर्ड आफ लिविंग, जीवन स्तर सारे हिन्दुस्तान में सब से गिरा हुआ है और मोटे तौर पर वहां २५ प्रतिशत आदमी भी नहीं होंगे जिनको दो दफा पेट भर भोजन मिलता हो और वह भी मोटा अनाज। चावल गेहूं तो महीने में कभी ही उनको देखने में आता होगा। जैसे इधर ज्वार बाजरा होता है वैसे ही वहां एक अनाज मडुवा होता है जिसका काला आटा होता है, उसको खाकर वहां के लोग रहते हैं। यहां पर जिसे शायद इधर कूट कहते हैं और रोटी हलुआ, लडडू व्रत आदि में इस्तेमाल होता है वह मीलम व गब्यांग के इलाके में पैदा होता है उसे लोग मुख्य भोजन (Staple food) की तौर पर खाते हैं और इसके अलावा फांडा भटया खाकर वहां के लोग अपना जीवन चलाते हैं।

वहां की औरतों की हालत यह है कि वे रोज १७–१८ घंटे काम करती हैं, जैसे लकड़ी काटना, घास काटना बच्चों को देखना गाय भैंस को देखना, खेती करना, आदि, आदि। फिर भी उनको दो दफा खाने को भर पेट नहीं मिलता गोरीफाट इलाके में बरौथी जुम्मों की औरतों के पास कपड़े के नाम पर एक कम्बल होता है जिसे वे दिन में अपने शरीर में पोशाक की तौर पर लपेटे रहती हैं और रात में वही कम्बल उनके ओढने का काम देता है। इस तरह से उनके कपडे

पहनने की हालत है। मर्दों के पास भी साधुओं की तरह से एक लंगोटी होती है जिसे वे पहने रहते हैं। धोती के नाम पर ठाड़धोती पहनी जाती है। तो इन ठाडधोती वालों को जब तक हम धोती वाला नहीं बनायेंगे तब तक कैसे कहा जा सकता है कि वहां के लोगों की तरक्की हुई है।

स्कूल जाने वाली बच्चियों को छोड़कर किसी औरत के पास आप जूता नहीं देखेगें। मर्दों की हालत भी यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों या कहीं नौकरी करने वाले मर्दों के पास तो जूते दिखलाई देंगे लेकिन इनके सिवा किसी के पास जूते नहीं देखेंगे। मंगेला जिसकी मांग से ठंडाई बना कर इधर के लोग पीते हैं उसकी खाल का कपड़ा वहां के लोग हाथ से बनाकर पहनते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से हम उनकी तरक्की की बात कह सकते हैं। आज उनकी कैसी दयनीय स्थिति है यह आप सबके सोचने का विषय है। इस दीन-हीन दशा को समाप्त कराने के लिये भारी उपाय करने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में एक सज्जन जो लड़ाई के धुरंधर हैं उनका वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं और उनके नुक्तेनिगाह से आप देखें कि वहां की क्या हालत है और हम क्या कर रहे हैं।

"*Frontier strategy strictly for military Personnel* by Field Marshal *Lord Roberts*—The independence of a country is won or lost at its frontiers. Frontiers must receive special attention not only in the matter of fortification but in the choice of population as well. We may have to shower money on them to keep them contented and loyal, otherwise we may have to shift them.

Frontier people do not easily assimilate with the people of the plains. The plains people must not try to show off their superiority in wealth or wisdom and the manner of approach must be very quiet and suggestive".

यह एक बड़े भारी अथारिटी का कथन है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो विकास कार्य कुछ उत्तराखंड में होना बताया जाता है उसका एक परसेंट भी वहां कार्य रूप में दिखलाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर काशी में एक दफा मैं डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से गया। मेरे साथ उस वक्त के एक पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी श्री राजबिहारीसिंह जी भी थे। हम को उस समय वहां के डी० सी० से भी मिलने का मौका मिला जब कि हम ने उत्तराखंड का भ्रमण किया। वहां के वह डी० सी० कहते हैं कि अगर हम यहां भी शिक्षा का प्रचार कर देंगे तो हमें आगे नौकर कहां मिलेंगे, यात्री आवेंगे तो उनका बोझ कौन ढोवेगा? और अगर वहां सड़कें बनाई जायंगी तो उन के जरिये से चीनी फौरन आ जायंगे! इस तरह की विचाराधारा रखने वाले दकियानूसी डी० सी० वहां पर रखे हुये हैं, परन्तु इस ओर सरकार ने तवज्जह नहीं की। जब उन की ऐसी विचाराधारा है तो वहां की उन्नति के लिये क्या काम करेंगे और क्या उनसे आशा की जा सकती है। जिस आवश्यकता की ओर मैंने अभी अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया वह कैसे पूरी हो सकती है? वह ४ साल से वहां पर मौजूद हैं, शुरू से ही हैं जब से कि उत्तराखंड डिवीजन बना है। उस जमाने से ही वह इसी विचारधारा के अनुसार क्या काम करते होंगे इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। क्या हम उन से आशा कर सकते हैं कि वह वहां के गरीब निवासियों का हित करेंगे? क्या हम उन की सद्भावना वहां के लोगों के प्रति पा सकते हैं? और क्या वह वहां के लोगों के उत्थान के लिये कोई कार्यकुशलता दिखा सकते हैं? क्या वह वहां के लोगों के मारल (मनोबल) को ऊंचा उठा सकेंगे? क्या वहां वह के लोगों के हृदयों में देश प्रेम की भावना पैदा कर सकते हैं इस का अनुमान आप लगा सकते हैं। सेन्टर इस क्षेत्र के लिए पानी की तरह रुपया बहा रहा है। एस्टीमेट कमेटी में उत्तराखंड उपसमिति का कन्वीनर होने की हैसियत से मुझे यह देखने का मौका मिला कि वहां के लिये इतना रुपया मिल रहा है कि उस को इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे हैं और वह लैप्स होता जाता है और जो खर्च होता है वह भी एक्सट्रावेगेंट (फिजूलखर्जी) तरीके से वेस्ट किया जा रहा है और इतना ही नहीं, वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पी० डी० डब्ल्यू० डी० के महकमे में मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां देखकर आये हैं कि एक तरफ तो वहां पर गरीब औरतें अपना जेवर नाक कान से

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

निकाल कर दे रही हैं। ऐसी ऐसी बुढ़िया उनके सामने आईं कि जिनको देखकर आखों में आंसू आ जाते थे। वह कहती थी कि हमारे पास सिर्फ एक भैंस है और एक चांदी की यह हंसली और मेरी इस सारी जायदाद का आधा आपले सकते हैं। एक तरह तो उन गरीब इगनोरेंट मासेज का यह बलिदान है और दूसरी तरफ पी० डब्ल्यू० डी० के लोग वहां पर डबल वेतन ले रहे हैं, चार चार सौ रुपया एलाउन्स का लेते हैं, लेकिन इतना सब कुछ लेकर भी उनका पेट नहीं भरता और फिर भी वह १२ प्रतिशत की घूस मांगते हैं और बिना उसके लिये बिल पास नहीं करते चाहे काम में कितनी ही देरी क्यों न हो जाय। मुख्य मंत्री जी धारचुला में स्वयं देख आये हैं कि वहां पर अभीतक एक मील सड़क भी धारचुला से आगे नहीं बनी। पी० डब्ल्यू० डी० के लोग फिर भी आराम से बैठे हैं, उन्हें केवल अपने १२ प्रतिशत की चिन्ता है, वह पहले वसूल हो जाय तब कहीं जाकर बिल पास हो सकता है, ठेका मिले रुपया मंजूर हो तब कहीं काम हो। ऐसी अवस्था में भगवान ही देश का मालिक है कि कैसे वहां की व्यवस्था चलेगी। ईश्वर न करे कि कोई बुरा वक्त आये। पिछली बार भी अगर नेफा से ही चीनियों को वापस होने की प्रेरणा न मिलती तो शायद उन पहाड़ी बेचारों की सहायता करना तो दूर उन को पानी देने वाला कोई न होता, वह भी यहां रिफ्युजीज की तरह फिरते होते, कोई इंतजाम वहां डिफेंस का नहीं था, केवल ताखलाकोट में करीब डेढ़ लाख के फौज चीनिओं की कही जाती थी। अब पता लगा है कि वहां पर ६-७ हजार हमारी फौज भी पहुंच गई है। उसमें से कुछ सेपर्स एन्ड माइनर्स हैं और असली लड़ने वाली फौज अब भी वहां कम तादाद में पहुंची है। हमारे सूबे की सरकार का जो वहां के लिये इन्तजाम पिछले ४-५ सालों में रहा है वह इतना असन्तोषजनक रहा है कि वह मिलिटरी मूवमेंट के लिये किसी भी दशा में काफी नहीं कहा जा सकता। पी० डब्ल्यू० डी० की सड़को के विषय में जो हालत है वह तो मैं ने आप को बता ही दी कि वहां क्या हो रहा है। वहां पर, ट्रांसपोर्ट के लिये केवल खच्चर ही काम आते हैं, उनके लिये धारचूला से गरब्यान तक ३० सेर घास ले जानेमें ५० रुपया व्यय होता है और ८-१० दिन का समय एक आदमी को ऊपर जाने में और इतना ही समय वापस आने में लगता है। इन कठिनाइयों को झेलते हुए वहां पर लड़ाई हो रही है।

अगर हम लोग दूरदर्शी होते, सड़कों पर जरा ध्यान देते तो यह हालत न रहती, क्योंकि रुपये की कमी नहीं थी। केन्द्रीय सरकार ने काफी रुपया स्ट्रेटेजिक रोड्स के लिये दिया, वह हर साल लैप्स होता गया। यही बहाना रहा कि आज मजदूर नहीं मिलता है, पीस टाइम का काम समझ कर उसको किया जाता रहा और टाप प्रायरिटी उस काम को नहीं दी गई। मैं यहां की सरकार के द्वारा केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितनी स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं उन सब का निर्माण मिलिटरी के जरिये होना चाहिये। सैपर्स और मानइर्स के जरिये सड़कों को बनाया जाय और सार्वजनिक निर्माण विभाग को विकास की और सड़कें दे दी जायं जो वह धीरे धीरे बनाते रहें। जहां हजारों आदमियों की जान खतरे में हो वहां हम लोग १२ परसेंट सरकारी कर्मचारियों को दिलाने के लिये सब तटस्थ बने रहें और चुपचाप रहें तो मैं समझता हूं बहैसियत एम० एल० ए० के मैं अपना कर्त्तव्य नहीं निभाता। इसलिये मैं चाहूंगा कि स्ट्रेटेजिक रोड्स किसी भी हालत में पी० डब्यू० डी० के हाथ में न रहें। हमारी प्रान्तीय सरकार का जो रवैया अभी तक रहा वह 'डाग इन दी मैंजर' (Dog in the manger) का रहा, सरकार हर काम में रोड़ा अटकाती रही। हमारे यहां डाक्टर सम्पूर्णानन्द एक दफा पिथौरागढ़ गये थे। जो दूरदर्शी व विचारक थे। उसके बाद मुझे भी इन जिलों का उन्होंने चार्ज दिया था, तो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यहां पर एक रेडियो स्टेशन बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोकल डायलेक्ट (स्थानीय बोली) में लोगों को विचारधारा दी जाये क्योंकि थौट्स प्रोसीड्स ऐक्सशन्स" thoughts proceeds actions जब तक लोगों के विचार नहीं होंगे, कार्य (ऐक्शन) की आशा नहीं की जा सकती है। सारा इलाका पोलिटिकली वरजिन, राजनीतिक रूप से क्वारा" है, किसी प्रकार की भी विचारधारा वहां के लोगों में अपना घर बना सकती है। वह लोग पोलि-

टिकली कांशस नहीं हैं, इकोनौमीकली बैकवर्ड हैं, गरीब बहुत हैं 'बुभुक्षितः किम् न करोति पापम् क्षीणाः जना निष्करुणा भवन्ति' जहां के लोग गरीब होते हैं, वे अपने पेट की चिन्ता में रहते हैं, दयारहित हो जाते हैं व बड़े बड़े सिद्धान्तों का उन पर असर नहीं रहता। ऐसे वायुमंडल में आप किसी भी तरह की विचारधारा पहुंचा सकते हैं। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने बड़े जोरदार शब्दों में उसका समर्थन किया था और कहा था कि यहां एक रेडियो स्टेशन बनना चाहिये ताकि लोकल डायलेक्ट (स्थानीय बोली) में यहां विचारधारा प्रसारित की जाय और ऐसा वायुमंडल तैयार किया जाय ताकि उनमें देश प्रेम जागृत हो सके और मौजूदा हुकूमत के प्रति उनमें सद्भावना पैदा हो। मगर उसका मखौल उड़ाया गया और रेडियो स्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने यह भी कहा था कि पिथौरागढ़ में एक डिग्री कालेज बनना चाहिये, वह बनना मंजूर भी हुआ। उसके बाद गवर्नर साहब भी यहां से गये और उन्होंने घोषणा की कि यह कालेज जुलाई से खुलेगा। मगर आज तक वह कालेज नहीं खुला। इससे लोगों में बड़ी निराशा हुई कि इतने जिम्मेदार आदमी के कहने के बाद भी योजना कार्य रूप में परिणत न हो सकी। ऐसी बातें इस सरकार के लिये शोभाजनक नहीं हैं।

अब मैं वहां के पददलित लोगों के बारे में कुछ कहूंगा जिनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये, जिनके लिये यदि सरकार ध्यान न देगी तो सदैव के लिये पछतायेगी। मैं अपना कर्त्तव्य समझकर इस बात को सरकार के सामने लाना चाहता हूं। हमारे भोटिया भाई जो ५ पट्टियों में रहते हैं और तिब्बत से व्यापार करते थे अब उनका व्यापार बन्द हो गया और वे २०, २२ हजार की तादाद में हैं। और कोई पेशा नहीं करते सिवाय व्यापार के। जब इनका व्यापार खत्म हो गया है तो इनके रिहैबिलिटेशन का प्रश्न बहुत ही गम्भीर है। वे अपने घरों में जरूर हैं लेकिन रेफ्यूजीज हो गये हैं। उनकी ओर सरकार को बहुत जल्द ध्यान देना चाहिये क्योंकि वे इस प्रदेश के प्रहरी हैं और अगर प्रहरी डिसग्रंटेल्ड पददलित हो कर बने रहे तो फिर उनसे क्या आशा की जा सकती है।

इसी प्रकार से नायक लोग हैं। इनके बारे में कानून पास हो गया है। वे अपना पुराना पेशा खत्म कर चुके। इनमें से बहुतों के लिये खाने-पीने और रोजी का कोई जरिया नहीं है। इन लोगों की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

फिर सुनारों को लीजिये। उनकी आज मेरे पास रजिस्ट्री आयी है। पहाड़ों में सब लोग शुद्ध सोना पहनते हैं। वहां रोल्ड गोल्ड और कैरट वगैरह कोई नहीं जानता था। सोने को वे अपना बैंक समझते थे। जो पैसा बचता था सोने के रूप में उसे अपने बदन पर लगाये रहते थे। उनकी आज रजिस्ट्री चिट्ठी आयी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कैरट को जानते नहीं इसीलिये देश के सुनारों से हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तब तक हम क्या खायें? वे कहते हैं कि "आप अपने एम० एल० ए० पद का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं।" वैसे यह प्रान्तीय सरकार का विषय नहीं है, लेकिन मैं यहां की सरकार के द्वारा केन्द्रीय सरकार तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि अगर पहाड़ों या पिछड़े इलाकों के लिये कुछ छूट देना मुमकिन न हो तो कम से कम उनके लिये कोई दूसरा रोजी का जरिया ढूंढ़ा जाय, कुछ जमीनें दे कर या और व्यवसाय दे कर उनको रिहैबिलिटेट किया जाय।

इसी तरह से हुड़किया लोग हैं। गाना, बजाना और नाचना उनका पेशा हुआ करता था। अब देश में ऐसी चीजों के लिये जमाना नहीं रहा। वे दर-ब-दर भूखों मारे मारे फिरते हैं। उनके रिहैबिलिटेशन का भी सवाल है। इसी प्रकार कोथलिया, बोरा लोगों का सवाल है। ये बिलकुल अशिक्षित लोग हैं, बहुत गरीब हैं। उनको भी उद्योग-धन्धे दे कर रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। रांथ, जुझा व गौरीफाट की महिलाओं के बारे में आपको मैंने बतलाया कि उनकी कितनी दयनीय दशा है। एक कम्बल ही उनका वस्त्र है। उसी को वे पहनती हैं, उसी को ओढ़ती हैं। इस सोशलिस्ट पैटर्न के जमाने में जबकि उत्तराखंड के लिये केन्द्रीय सरकार से जितने रुपये की जरूरत हो मिलता है अगर ऐसे जमाने में भी उनकी आर्थिक हालत नहीं सुधारी गयी तो कब उनकी दशा सुधरेगी? ऐसे ही वन मानुष हैं। ये मनुष्य

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

से दूर भागते थे। अब केवल उनका नाम ही वनमानुष रह गया है। वैसे वे साधारण मनुष्य हैं, गांव बसा कर खेती करते हैं। मगर उन बेचारों के पास अपनी आर्थिक समस्या को हल करने के लिये कोई उपाय नहीं है। वे लकड़ी के बरतन बना कर जीविका कमाते हैं। ये लोग भी काफी तादाद में हैं। उनके लिये जमीन की व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसे ही सिरतान हैं जिनके पास एक नाली भी जमीन नहीं है और २० नाली का एक एकड़ होता है। तो अनइकोनामिक होल्डिंग वाले सिरतान बहुत हैं। जमींदारी तो वहां थी लेकिन नाम मात्र को होती थी और वहां के प्रचलित कानून के हिसाब से बड़ा भाई राज्य का मालिक होता था। उदाहरणार्थ जैसे असकोट का ताल्लुका है। वहां बड़े भाई को जमींदारी का कम्पेन्सेशन मिल जायगा, लेकिन उस राजा या जमींदार की सारी बिरादरी जो सैकड़ों की तादाद में है जो गुजारेदार कहलाते हैं उनको एक पैसा भी नहीं मिलता। ये सफेद पोश लोग हैं। आज उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, बड़ी बुरी हालत में हैं। ऐसे लोगों को भी रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है।

जहां सवर्णों का ही यह हाल हो तो हरिजनों की क्या हालत होगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। पहाड़ों में अच्छे से अच्छा किसान भी तीन महीने से ज्यादा का अन्न अपने खेतों से नहीं प्राप्त कर सकता। उन हरिजन भाइयों की दशा को देख कर इतना रोना आता है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। न उनके पास रहने को मकान है, न खाने को है और न पहनने के लिये कपड़ा है। दिन भर मेहनत करके वे जो कमाते हैं उसी पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक दिन यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसके पास खाने को कुछ नहीं रहता है। इन सब लोगों के लिये आपको कुछ न कुछ सोचना है। यह गलत धारणा है कि यहां से नेता लोग वहां चले जायं तो उनका कर्त्तव्य पूरा हो जाता है। माननीय अजित प्रसाद जैन गये, गवर्नर महोदय गये और मुख्य मंत्री जी गये और वहां पर अच्छे अच्छे भाषण हुये, मालायें पड़ीं तालियां बजीं। नेताओं ने समझा कि वहां के लोगों का मौरेल बहुत ऊंचा हो गया है। वास्तव में मौरेल का मापदण्ड यह नहीं है। पीस शांति के समय में मौरेल का पता नहीं चलता है। जब बम्बार्डमेंट होता है और लोगों की जान पर आ बनती है उस समय मौरेल का सही-सही पता चलता है। महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की दर्दनाक कहानी है और दुखमय जीवन है। जब तक हम वहां के दुखमय जीवन में परिवर्तन नहीं लाते तब तक वहां की हालत ठीक नहीं हो सकती है। मोरेल उनका अच्छा है इस गलतफहमी में रहना अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को वस्तुस्थिति को देखना चाहिये।

(लाल बत्ती बन्द होने पर)

मैं अभी तक पहाड़ के विषय में ही कहता रहा हूं। बजट के ऊपर तो मैंने कुछ नहीं कहा है। आखिर सरकार ने मुझे विलायत भेजा था और अपने विलायत के अनुभव के आधार पर मुझे कुछ कहना है। मैं चाहूंगा कि इंगलैण्ड, अफ्रीका, फ्रान्स, नार्वे, स्वीडन आदि देशों के बजटों पर तुलनात्मक दृष्टि से सदन की जानकारी के लिये कुछ कहूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको तीन मिनट का समय और देता हूं इसमें आप अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अधिष्ठाता महोदय, उत्तराखंड का मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये इनको कम से कम दस मिनट दिये जायं।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट---

अधिष्ठाता महोदय, आप देखेंगे कि सिटीजन्स कौंसिल बनाई गई। हम लोग जो यहां पर प्रतिनिधि बनकर आये हैं वे सब निकम्मे हों, यह सम्भव हो सकता है। लेकिन जिला चमोली, उत्तर काशी में और पिथौरागढ़ में एक योग्य आदमी तो मिल सकता था जो इस कौंसिल का मेम्बर बन सकता था जिसको उस इलाके की पूरी-पूरी जानकारी होती जहां लड़ाई की तय्यारी

हो रही है । लेकिन सरकार जानकारी करना नहीं चाहती है । सीमान्त के भाग्य के निर्माता लोग यहीं लखनऊ में बैठकर या दिल्ली में बैठकर उनके भाग्य का exparty एक तरफा फैसला करना चाहते हैं । इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात उनके लिये और क्या हो सकती है ? मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब व्यवस्था कैसे सफल होगी । सरकार समझती है कि उसने पहाड़ों के लिये बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन असलियत कुछ और ही है ।

हमारे यहां के कितने ही योग्य व्यक्ति ऐस्टीमेट कमेटी में हैं । मैंने उनके दौरा के लिये प्रोग्राम बनाया था और मैंने प्रार्थना की थी कि इनको वहां भेजा जाय ताकि वहां जाकर वहां की हालत को वे लोग स्वयं देखें कि वहां कितना धन खर्च हो रहा है और क्या अपव्यय हो रहा है और ऐसी योजनायें वहां चलाई गई हैं जिनसे वहां की जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है । इन सब बातों का ज्ञान करने के लिये एस्टीमेट कमेटी में उत्तराखंड सब-कमेटी बनाई गयी थी और उसके मेम्बर्स योग्य व्यक्ति हैं । मैं उनको वहां के दौरे के लिये ले जाना चाहता था और मैंने यह विनती की कि ये लोग वहां जाकर वहां की हालत को देखें और सदन में आकर उसकी चर्चा करें । मैं यदि कहूंगा तो समझा जायगा कि यह निजी स्वार्थ वेस्टेड इन्टरेस्ट है, इसलिये अपनी बात कहता है। लेकिन अगर ये लोग आकर कहते तो व्यक्तिगत स्वार्थ का कोई मोटिव इंप्यूट नहीं हो सकता था । लेकिन इस प्रकार के दौरे का अवसर प्राप्त न हो सका । मैं बताना चाहता हूं कि जितने काम हुये हैं वे कुछ नहीं सिवाय इसके कि पुलिस व अन्य कई सरकारी कर्मचारी ए० डी० ओज० और बी० डी० ओज० की जीपें दौड़ी हैं और वहां के मजिस्ट्रेटों तथा अन्य अधिकारियों को दुगनी तनख्वाहें दी गई हैं और उनके द्वारा पैट्रोल खर्च किया जा रहा है, लेकिन जनता की हालत में कोई आर्थिक सुधार नहीं हो रहा है । जितने गरीब वे लोग पहले थे उतने ही अब भी हैं । आपकी योजनाओं का कुछ असर उनकी आर्थिक हालत पर नहीं हुआ है । वहां कोई इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ी है और न कोई एग्रीकल्चर या हार्टीकल्चर में किसी तरह की तरक्की नहीं हुई है । हर चीज माननीय उग्रसेन जी के शब्दों में मुझे वहां पर शून्य नजर आती है । मेरे मुख से कुछ कहना अच्छा नहीं लगता था । एक व्हिप होने के नाते मैं पार्लियामेंटरी पद्धति को मानने वाला हूं और व्हिप सदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण नहीं देता है । लेकिन मैंने देखा कि देश बड़ी चीज है और पार्टी छोटी चीज है। इसलिये देश के लिये जो अपनी ईमानदारी की राय हो उसको देना चाहिये क्योंकि आज हमारा देश भयानक परिस्थिति में फंसा हुआ है ।

यह परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको हंसी में उड़ा सकें । चीन का जो आक्रमण है यह मखौल की चीज नहीं है। खासतौर पर पर्वतीय प्रदेश के लिये यह चीज गम्भीरतापूर्वक और विशेषकर तुरन्त करने की है। चीन उनके पड़ोस में है और उनकी एक-एक गतिविधि का उसको ज्ञान है । चीन ने तिब्बत के लोगों का कैस्ट्रेट कर दिया है और तिब्बत की कौम को उड़ा देना चाहते हैं, उनके बच्चों को नष्ट कर दिया है । उनकी औरतों को चीनियों के साथ संसर्ग कराकर के सन्तानें पैदा करायी जा रही हैं । हिन्दुस्तान से कटवाने के लिये तिब्बतियों को वहां से लड़ाई के मोर्चे पर भेजा जा रहा है । इन सब बातों को वहां के नागरिक भली भांति जानते हैं । आप लखनऊ में बैठकर इन सब बातों का अन्दाज नहीं लगा सकते हैं । वे अपनी आंखों से यह देखते हैं और हर व्यक्ति जानता है कि कल हमको भी यह भोगना पड़ेगा । कितनी भयंकर परिस्थिति हमारे देश की चीन के आक्रमण के कारण हुई है यह हमारे प्रदेश का नागरिक भली भांति जानता है और यह हम लोगों की असावधानी का फल है जो हम भुगत रहे हैं । चीन को हमने तिब्बत न लेने दिया होता तो हमारी यह हालत न होती । हमारे कैलास, मानसरोवर, आदि हिन्दू संस्कृति के स्थान हैं । वे हमारे बहुत नजदीक हैं । हमारे साथ उनका व्यापार, उनका लेन देन है । वे रामचन्द्र और कृष्ण को मानने वाले, हमारी ही तरह से पूजा करने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले, ईश्वर के उपासक, डमरू पर 'ओम् नाम पद्माहम्' मन्त्र को जपने वाले, स्पिरिचुअल लोग, मैटीरियलिस्ट नहीं हैं, फौजी ताकत रहित हैं सही शब्दों में मैं कहूं कि उसी का फल है जो हमने किया है कि आज चीन हमको हड़पना चाहता है । अब भी समय है । इस वक्त भी अगर हमारी आंखें न खुलीं और मौके के मुताबिक हमने काम न किया और सैकण्ड लाइन आफ

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

डिफेन्स पर ठीक से इंतिजाम न किया तो यह देश को बहुत जल्द अंधकार में ले जायगा। आने वाली पीढ़ी हमारी इस भूल के लिये हमें क्षमा नहीं करेगी।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--

अभी तो अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात का One tenth (दसवां हिस्सा) भी नहीं खत्म किया है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको मैं पहले से ही अधिक समय दे चुका हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

ये पहाड़ के रहने वाले हैं और हम सबको उनके द्वारा बहुत सी बातें मालूम हो रही हैं। (अनेक सदस्यों के अनुरोध पर)

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा, ५ मिनट का समय और आपको देता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह अर्ज करना है और मैं मौजूदा परिस्थिति में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र वहां ऐसी इंडस्ट्री को डेवलप करें जिससे मिलिटरी परसोनेल के लिये जरूरत की जो भी आवश्यक चीजें हों वह वहीं पैदा हो सकें। मैंने अभी कहा है कि ५० रुपये में ३० सेर घास वहां खच्चरों से पहुंचा रहे हैं लेकिन अगर सरकार वहीं ग्रेजिंग ग्राउन्ड (चरागाह) बनाकर घास पैदा करे, ग्रास इंडस्ट्री को डेवलप करे तो ६, ७ आने मन में घास वहां बिक सकती है (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया सदन में शान्ति रखें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--

बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज तो वहां नहीं बन सकतीं, सिवाय इसके जैसे माइनिंग, टूरिस्ट्स व्यवसाय इस तरह की इंडस्ट्रीज है जो वहां बन सकती हैं। भेड़ों को रीयर करना आवश्यक है। पोटैटो फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्टरी फार्मिंग यह सब चीजें हमारे पर्वतीय प्रदेश में पनप सकती हैं और साधारण जनता तथा मिलिटरी के प्रयोग की फ्रेश जरूरतों की चीजें समय समय पर मिलती रहेंगी। ऊन हमारे यहां तिब्बत से आना बन्द हो गया है। इसको पैदा करने के लिये भेड़ों के पालने की बहुत बड़ी योजना की बहुत शीघ्र आवश्यकता है। अब तक सरकार यह कर रही है कि वहां एक-एक परिवार को पांच-पांच भेड़ें बांटी जाती हैं। जैसे कि खैरात में बांटी जाती हैं। कोई उन्हें खा जाता है और कोई भेड़ें मर जातीं हैं। कोई पांच भेड़ों के पीछे अपना समय बरबाद नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार कोई ऐसी योजना बनाये जिनमें १०० भेड़ें गड़रिया को मिलें, जिससे वह उन पर अपना समय लगाये और व्यवसाय की तरह उन्हें पाले। शेफर्ड्स को फारेस्ट डिपार्टमेंट का कोआपरेशन मिलना बहुत आवश्यक है। इस कोआपरेशन के बिना वह अपना काम नहीं कर सकेंगे। जब ऊपर बर्फ पड़ जाती है तो पशु वहां पर नहीं रह सकते। उनको घाटी में लाने की जरूरत पड़ती है इसलिये उनको लोअर अल्टीट्यूड में सुविधा मिलनी चाहिये।

जिस प्रकार स्विट्जरलैन्ड में है, पहाड़ों में ऐसे कुटीर उद्योग बनाने की जरूरत है जिसमें ट्रांस्पोर्ट का खर्च कम पड़े। खास कर कोल्ड स्टोरेज बनाये जायं जिनमें आलू और फल प्रिजर्व किये जा सकें। लड़ाई के जमाने में जेली, जैम्स, प्रिजर्व्ड फ्रूट्स की बहुत जरूरत है।

यह व्यवसाय पर्वतीय प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। इसकी तरफ सरकार को तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है।

मैं सरकार का ध्यान यहां से तिब्बत को जो सामान स्मगिलग हो रहा है उसकी ओर भी दिलाना चाहता हूं। अब हमारे संबंध नैपाल के साथ अच्छे हो गये हैं, नैपालियों के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। वह हमारे ही भाई हैं। उनके साथ हम सख्ती नहीं बरत सकते लेकिन नैपाल की आबादी बहुत कम है। वहां अनाज की कोई कमी नहीं। बहुत सी चीजें नैपाल जा कर टिंकर पास से तिब्बत को स्मगिलग हो रही हैं। उन पर जरूर नियंत्रण करें और कम से कम हमारी सरकार और नैपाल की सरकार में कोई पारस्परिक समझौता इस मामले में हो जाय कि कोई सामान टिंकर पास से होकर तिब्बत न जाने पाये।

आजकल हमारे यहां पास सिस्टम कर दिया गया है, धारचूला से आगे अपनी कांस्टीट्युएंसी के अलावा कोई एम० एल० ए० भी नहीं जा सकता बिना पास के, उससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। अगर कोई आदमी अपने रिश्तेदार के यहां आधे मील पर जाना चाहे तो उसको दस मील जाकर पास बनवाना पड़ता है। जो पास सिस्टम बनाया गया है उससे वहां की जनता में काफी असंतोष हो रहा है लेकिन सीक्योरिटी रीजन्स से उसको तोड़ा नहीं जा सकता। मैं नहीं कह सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पालिसी क्या है। लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि स्थानीय जनता के लिये या तो पास की फार्मेलिटी को दूर करना चाहिये या परमानेंट पास दे दिये जायें।

अब मैं फारेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। फारेस्ट डिपार्टमेंट से पर्वतीय प्रदेश को घोर असंतोष है। हमारे यहां जिस प्रकार समुद्र के किनारे नमक पर टैक्स नहीं लगता उसी प्रकार ईंधन-तेल और घास व इमारती लकड़ी पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। यह चीजें नहीं मिलेंगी तो पहाड़ का जीवन बहुत कठिन हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बनवारी लाल विप्र (जिला आगरा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी सदन में चर्चा चल रही थी बजट पर और उस बजट के संबंध में आरोप-प्रत्यारोप हमने सदन में सुने। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने उन भाइयों से जो कि उधर बैठते हैं यह अपील करूंगा कि जब-जब हम सभी लोग समाजवाद के प्रतिकूल काम करने लग जायं या हमारी वह भावना दूषित हो जाय जिससे कि हमारे समाजवाद का ख्वाब बिगड़ता हुआ दिखाई दे तो हम कम से कम अपने महापुरुषों को याद कर लिया करें। हमारे देश में दो महापुरुष कम से कम मेरी नजर में ऐसे हैं कि जो समाजवाद के सबसे बड़े पोषक थे और उनकी यह इच्छा और धारणा थी कि समाजवादी रचना के बगैर इस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। उन दो महापुरुषों में पहले महापुरुष के स्थान पर मैं महात्मा गांधी को रखता हूं जो सब से बड़े समाजवाद के पोषक और हिमायती थे। और दूसरे स्थान पर मैं बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर को रखता हूं जिन्होंने कि इस देश के ६० परसेंट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिये लड़ाई लड़ी। आप सन् १९३४ के पूना पैक्ट को देखें जब उनका व्यक्तिगत संघर्ष महात्मा गांधी से स्वयं हुआ था। जब देश की आजादी का झगड़ा चला तो मुहम्मद अली जिन्ना ने उसमें अपनी टांग अड़ायी और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की। उस समय एक सिलसिला और चला जो अछूत, पददलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे उनका। तो जब राउंड टेबिल कान्फ्रेंस में उनके नेतृत्व का प्रश्न उठा तो महात्मा गांधी ने यह वादा किया था कि मेरे रहते हुये इस देश के अन्दर अछूतों और पिछड़े हुये लोगों का अहित नहीं हो सकता। इस कारण १९३४ में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके इस पहलू पर विचार करके उसे स्वीकार किया और माना कि अगर हमारे देश में एकता के साथ मिलकर हम समाजवाद की रचना के लिये संघर्ष करें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन समय बदलता चला गया। भारत की आज आजादी आयी। लेकिन मेरी अपनी

[श्री बनवारीलाल विप्र]

नजर में आजादी के बाद भी हमारी मानसिक गुलामी अभी हमारे देश में विद्यमान है, जब तक हमारी मानसिक गुलामी में परिवर्तन नहीं होता है तब तक मैं समझता हूं हमारे समाजवाद का वह ढांचा जो महात्मा गांधी की विचारधाराओं के आधार पर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की बुनियाद पर बना था, कभी साकार नहीं हो सकता। मैं तो समझता हूं कि हिन्दुस्तान के एक इंसान शाहजहां ने ताजमहल की कल्पना की थी अपने प्रेम की खातिर, तो उसने अपने मन-क्रम बचन को एकत्र करके ताजमहल की रचना की जो कि आज दुनिया में एक आश्चर्य माना जाता है और हमारे लिये एक गौरव की चीज है। उसी तरह दूसरा गौरव हमारे लिये हमारी समाजवादी रचना है। इसके बिना हमारे हिन्दुस्तान का स्वप्न अधूरा रहेगा। जब तक समाजवाद पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा आन्दोलन बराबर जारी रहेगा, और अगर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिक्रियावादी शक्तियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो उस हालत में मैं समझता हूं कि उनको सहयोग देने के बजाय कांग्रेस संस्था को सहयोग देना हम अपना धर्म समझेंगे। आज हम लोग अपने महापुरुषों के सन्देशों को भूल गये। याद रहे "To forget is a crime, to be lazy is the greatest crime." अगर हम उनके संदेशों को भूल जाते हैं तो उनके प्रति उत्तरदायी हम किस रूप में अपने को पायेंगे, यह अपने कलेजे पर हाथ रखकर आप सोचें। इसी तरह अगर हम उस काम में सुस्ती दिखलाते हैं तो वह भी हमारे लिये बड़ा भारी जघन्य अपराध है। आज आप देखें, प्रशासनिक क्षमता के संबंध में। आज चीनी आक्रमण से हमारे देश के ऊपर संकट आया हुआ है। करोड़ों रुपये की रोजाना आवश्यकता हमारे देश के अन्दर है। आप यह समझें कि इस करोड़ों रुपये की जो रोजाना आवश्यकता है इसको कैसे पूरा करेंगे, इसको ध्यान में रखा जाय।

दूसरी बात प्रशासनिक क्षमता के बढ़ाने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सरकार दिन ब दिन कर्मचारियों को बढ़ा रही है, लेकिन वहां पर सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि अगर कार्य क्षमता की वृद्धि करना है तो जो आपके यहां सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संख्या को कम कर दें। जो छटनी में आ जायं सरकार उनको बार्डर पर लगा दें। सीमा की रक्षा के लिये उनको भेज देना चाहिये। हमारे देश में समाजवाद की स्थापना के लिये दो पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है जिसके संबंध में मैं पहले भी उस दिन निवेदन कर चुका हूं। हमारे देश में इस समय प्लानिंग चल रही है और यह प्लानिंग का युग है। हमारे सामने महात्मा गांधी के आदर्शों का स्वरूप है जिसको लेकर हमारे लोग चल रहे हैं उसके लिये हम सरकार को सहयोग देने के लिये तैयार हैं। इस देश के अन्दर जब तक पूंजीवाद कायम रहेगा तब तक हम अपना संघर्ष कायम रखेंगे। यह हमारा संकल्प है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नीचे के प्रशासन को आप देखें कि वह कितना ढीला है। अगर हम उसकी यहां पर आलोचना करते हैं तो वह प्रशासनिक क्षमता की कमी के कारण करते हैं। उनका व्यवहार इस प्रकार का हो गया है कि जिससे जनता में दिन ब दिन मनोबल कमजोर हो रहा है। हमारी नागरिक व्यवस्था बहुत ढीली हो रही है और उसके अन्दर ढिलाई आ रही है। हमारे नागरिकों में इतना परिवर्तन आ चुका कि आज उसमें कोई इतना दम नहीं है कि वह सरकार से कोआपरेट कर सके और सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में वह अपना सहयोग प्रदान कर सके। श्रीमन्, अभी जनवरी और फरवरी के महीने में फतेहाबाद तहसील के झारपुरा में ३, ३ कत्ल हो गये और कुछ अपहरण हो गये हैं जिनके कारण लोग बहुत डरे हुए हैं। उन अपहरण किये हुए लोगों को छोड़ने के लिये १०, १० हजार रुपया मांगा गया है डाकुओं के द्वारा। यह सब पुलिस के संकेत पर ही हो रहा है जो कि ग्रामों में रक्षा का कार्य करती है। कुछ पुलिस के दलाल हैं वह पुलिस को सूचना देते हैं कि डाकू ऐसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस की इत्तिला डाकुओं को दे देते हैं। वह डाकुओं से भी मिले रहते हैं और पुलिस को डाकुओं की सूचना देते हैं। इधर भी मिले रहते हैं और उधर भी मिले रहते हैं। जिस तरह से वहां पर अपहरण की घटनायें हो रही हैं, वहां पर कोई सुरक्षा की भावना लोगों के अन्दर नहीं रह गई है। इस तरह से फतेहाबाद तहसील को तबाह और बरबाद किया

जा रहा है। सरकार ने बाह तहसील पर ट्यूबवेल की योजना चलाई है और उससे फायदा भी हुआ है लेकिन बिजली की कमी के कारण अधिकतर ट्यूबवेल बन्द रहते हैं। हमारी फतेहाबाद तहसील के पास जमीन बहुत ज्यादा है और सिंचाई के साधन वहां पर बहुत कम हैं जिनके कारण वह जमीन उपजाऊ होते हुए भी अधिक पैदावार नहीं कर रही है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ट्यूबवेल की आवश्यकता को सामने रखकर ट्यूबवेल की व्यवस्था को हल करे।

एक और निवेदन यह भी करूंगा कि आखिर डकैत लोग जो वहां पर डकैती डालते हैं उस डकैती की समस्या को हल करने के लिये सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये और सरकार को सोचना चाहिये। मेरा अपना यह सुझाव है कि सरकार चम्बल के बेहड़ों को चौरस करके वहां पर उद्योग बढ़ाने की योजना को चालू करे। १९५७–५८ में वहां पर ४ करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थी जिसमें बुलडोजरों से बेहड़ की उस जमीन को एकसा करना था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना रुपया जो सदन के द्वारा पास किया गया उसका क्या किया गया। बेहड़ों की जमीन तोड़कर उद्योग की योजना ठप्प कर दी गई। उसको बजट में शामिल नहीं किया गया। अगर उस जमीन को बराबर करके फैक्ट्री स्थापित की जाती, लघु उद्योग की स्थापना करते तो उसके दो लाभ होते। एक तो जमीन के एकसा होने से डाकुओं के लिये छिपने की जगह न रहती, वे कहीं भाग जाते या अपना हृदय परिवर्तन करते और साथ ही वहां पर लोगों को रोजगार मिलता, हमारी गरीबी दूर होती। इसी लक्ष्य में बिजली की आवश्यकता को सामने रखा जाय। लेकिन सरकार ने फतेहाबाद तहसील के सम्बन्ध में बिल्कुल खत्म सा ही कर दिया है।

तीसरा प्लानिंग के सम्बन्ध में है। प्लानिंग दफ्तर में दलालों की इतनी तगड़ी भीड़ रहती है कि किसी का जाना मुश्किल है। वह लोगों को, नकली और फर्जी लोगों को पकड़ कर, जो आपके सोशल वर्कर्स हैं वह पकड़ कर ले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर सदन चाहेगा तो बतला दूंगा। वह कह देते हैं कि इनकी कोआपरेटिव सोसायटी है, इन्हें लोन और ग्रांट मंजूर करवाओ। बी०डी०ओ० और बड़े अधिकारियों से साठ–गांठ रहती है। चूंकि उनका असर है इसलिये नकली कोआपरेटिव सोसायटियों के द्वारा घर बनाने के लिये और कृषि उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जो सरकार से सहायता मिलती है उसके लिये फर्जी फार्म भरवाकर ले जाते हैं और जो धन सही लोगों के पास पहुंचना चाहिये वह उनके यहां पहुंचता है। अगर साढ़े सात सौ रुपया मंजूर हुये तो ४–५ सौ रुपया तो उनको मिलता है और ढाई–तीन सौ दलाल लोग खा जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का जो विवाद हो रहा है उसमें अपना समर्थन व्यक्त करती हूं। दो दिन से सदन में वाद-विवाद चल रहा है। उसमें बजट के बजाय आपसी नोंक–झोंक अधिक चल रही है जबकि सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि संकटकालीन स्थिति है और प्रदेश के उत्तर में चीन के हमले के द्वारा स्थिति गम्भीर हो चुकी है और सभी माननीय सदस्य इस बात के लिये आतुर हैं कि सरकार के बजट का अधिकांश हिस्सा सुरक्षा पर व्यय होना चाहिये। मेरा भी निश्चित मत है कि जो सरकार ने कदम उठाया है वह अपने स्थान पर उचित है और उनको भली प्रकार पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है कि हमें बाहरी सुरक्षा के साथ-साथ देश के आंतरिक प्रगति पर ध्यान देना है। हमारी पंचवर्षीय योजनायें जो बन चुकी हैं उनको हम पूरा करने के लिये तैयार हैं, सिर्फ थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी और जल्दी ही करनी पड़ेगी। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवाद या धर्म या सुरक्षा खतरे में है। यह भार केवल सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सियादुलारी]

के ऊपर नहीं आता, यह हम सब का कर्त्तव्य है कि हम अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकें, हम उन पर आश्रित रह नहीं सकते जो सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहां रहकर उन जवानों के लिये क्या कर रहे हैं? जिससे यह लड़ाई ज्यादा दिनों तक लड़ी जा सके ऐसा हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? इन मामलों पर हमें पूरी तरह सोचना है। हमारी सरकार पूरी तरह सजग है और प्रयत्न कर रही है कि देश में खेती बढ़े, औद्योगिक विकास हो जिससे अधिक से अधिक लोगों को उचित कार्य मिल सके, बेकारी दूर हो। लोगों का खयाल है कि सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन इस समय भेद-भाव भुलाकर दुश्मन का मुकाबिला करना है, क्योंकि सरकार ने योजनाओं को पूरा करने के साथ लोगों को पर्याप्त सुविधायें दी हैं।

हरिजनों के लिये जो कोटा नियत किया जा रहा है उसमें दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से अवश्य थोड़ा प्रयत्न किया जा रहा है कि रिजर्वेशन उनका पूरा हो और इसके लिये कोशिशें भी की जा चुकी हैं, लेकिन कुछ अड़चनें हैं जिसके कारण पूरी संख्या में यह लोग नहीं आ पाते। यह जो फर्स्ट क्लास की क्वालिफिकेशन तथा १० साल का अनुभव आदि शर्तें लगा दी जाती हैं, इस कारण वे लोग नहीं आ पाते। जिनके बाप-दादों ने कभी पढ़ा नहीं, वे कैसे फर्स्ट क्लास ला सकते हैं और १० साल का अनुभव रख सकते हैं? इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके साथ इन शर्तों में ढिलाई होनी चाहिये ताकि वे लोग आ सकें। फर्स्ट क्लास का आना बहुत कुछ एक्जामिनरों के मूड पर भी डिपेंड करता है। वे लोग अपने-अपने विचारों के अनुसार कापियां जांचते हैं। इसलिये क्वालिफिकेशन तथा अनुभव की शर्तें उनके लिये हटा दी जानी चाहिये। इससे ज्यादा से ज्यादा उम्मेदवार आपको इस जाति में मिल सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां आप अन्य कमीशनों की नियुक्ति करते हैं और उनकी रिपोर्टों पर विचार करते हैं, वहां पर आप राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट पर भी विचार कीजिये और उसके सुझावों पर कार्यवाही कीजिये, उसके सुझावों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस संकटकालीन परिस्थिति में कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिनको तोड़ा जा सकता है। सरकार फैमिली प्लानिंग जैसे विभाग को तोड़ सकती है। इससे जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिये, उनको फायदा नहीं पहुंच रहा है। जो लोग अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकते हैं, वही फैमिली प्लानिंग का कुछ फायदा उठा सके हैं, गरीब लोग इससे कुछ फायदा नहीं उठा पाये हैं। ज्यादा बच्चे गरीबी में ही पैदा होते हैं। बढ़ती हुई जन-संख्या को ध्यान में रखते हुये ही यह योजना बनायी गयी थी, मगर वह सफल नहीं हुई। इसलिये इस विभाग को तोड़ देना चाहिये और जो धन इससे बचे उसे सुरक्षा में लगा देना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, आज हमें दो तरह की लड़ाई लड़नी है—एक तो सीमाओं पर तथा दूसरी गरीबी के खिलाफ। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, रेतीले इलाके हैं, जहां की खाद्य समस्या गम्भीर है, उन स्थानों की ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, बुन्देलखंड एक ऐसा इलाका है जहां पर सरकार का ध्यान बहुत कम गया है। वहां पर अगर ध्यान दिया जाय तो अधिक से अधिक अन्न पैदा किया जा सकता है। वहां पर यदि बिजली पहुंचाई जाय तो बहुत अन्न पैदा किया जा सकता है। वह एक सरप्लस डिस्ट्रिक्टस में से है, लेकिन वहां पर सिंचाई के साधनों की तो बात दूर रही, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता, वहां पर एक कनस्तर पानी ८ आने और एक रुपये में मिलता है। गर्मियों में गड्ढों में संचित पानी को लोग पीते हैं। कम से कम पीने के पानी को तो व्यवस्था सरकार को अवश्य करनी चाहिये। यहां की जनता ने रक्षा कोष में भी काफी धन जमा करके सरकार को अपना सहयोग दिया है। यह वह स्थान है जहां पर रानी लक्ष्मी बाई आदि का नाम लिया जाता है। यह विचारणीय बात है कि ऐसी जगह के लोगों को पीने का पानी तक न मिल सके। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों में किस प्रकार से उत्साह आयेगा, कैसे वहां के लोग समझेंगे कि हम भी

देश के नागरिक हैं, हमारा भी देश के प्रति कोई कर्त्तव्य है ? ये लोग वैसे सदा से ही देश की आजादी के लिये लड़ते रहे हैं और उसकी रक्षा करने में आगे रहे हैं ।

मान्यवर, मेरा अन्त में निवेदन यह है कि जब इस बजट के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया जाय तो यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ये सुझाव किस प्रकार से सफल हो सकते हैं, कैसे देश की सुरक्षा हो सकती है, कैसे हम अपने भीतरी मामलों में उन्नति कर सकते हैं । यह समय नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ें और लड़ कर अपनी शक्ति को कम करें जिससे दुश्मन को मौका मिले और वह अपनी शक्ति को और अधिक मजबूत कर सके ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट में इस बार कृषि की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है । कल जब से माननीय भानुप्रतापसिंह जी और माननीय उग्रसेन जी बोले हैं उस समय से सदन का रुख कुछ बदल गया है और दूसरे प्रकार की चर्चा प्रारम्भ हो गयी है । मान्यवर, मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार मुल्क की रक्षा करना चाहती है कि तटस्थता की नीति की रक्षा करना चाहती है । मान्यवर, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि विरोधी लोग चाऊ और माऊ की नीतियों से मिले हुये हैं । इस बात को हम लोग तो ज्यादा समझ नहीं सकते लेकिन इस बात को चाऊ और माऊ के पुराने दोस्त जो उधर सरकार में बैठने वाले लोग हैं अधिक अच्छा समझ सकते हैं कि उनकी क्या नीतियां रही हैं और आज क्या हैं और उनके आफिसर्स क्या चाहते हैं ।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने अपने एक लेख में यह कहा कि चीनी हमले के सबसे मुख्य ३ कारण थे--(१) पंडित नेहरू और देश की प्रतिष्ठा को धक्का देना, (२) तटस्थता की नीति को धक्का देना, (३) विकास इकोनामी को धक्का देना । पहला बड़ा असर यह हुआ कि देश में माननीय प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, दूसरा धक्का यह लगा कि विकास की इकोनामी वार इकोनामी में टर्न हो गयी । प्रतिष्ठा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, केवल इतना ही कहूंगा कि अब प्रतिष्ठा क्या रह गयी है यह तो सब लोग अपने अपने भावों के अनुसार समझ लें, लेकिन जैसा कि माननीय विष्ट जी ने कहा कि अभी हमारे देश की पोलिटिकल कांशेंस जागी नहीं है । आज अगर इंगलैन्ड की तरह हमारा देश होता तो लद्दाख और नेफा जैसी हार की बात हो जाती तो वारेन हेस्टिंग की तरह का कोई इम्पीचमेंट जिम्मेवार लोगों के प्रति अवश्य होता चीनी लोग तो चाहते ही हैं कि भारत तटस्थता की नीति अपनाये रहे क्योंकि इससे तो हम और कमजोर ही बनेंगे । उस हालत में हम वाद-विवाद के चक्कर में ही पड़े रहेंगे और वह अपनी तैयारी करता रहेगा । वह कब चाहता है कि किसी प्रकार से हम किसी एक ओर हो जायं । इसके अलावा जहां तक विकास को धक्का लगने का सवाल है चीन तो यह भी चाहता है कि हम विकास में ही लगे रहें और वार (युद्ध) की तरफ न जायं नहीं तो हमारी ताकत बढ़ जायगी । अगर हम विकास में लगे रहेंगे तो वह अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा और हमारी ताकत बढ़ न पायेगी और आसानी से देश को पीट सकेगा ।

मान्यवर, जहां तक इमरजेंन्सी का ताल्लुक है, उसके द्वारा केवल जनता को डिमोरेलाइज ही करने का प्रयत्न किया जा रहा है पोलीटिक्स करप्शन के द्वारा । प्रेस और लीडर्स तथा जनता का मुंह बन्द करने के लिये इमरजेंन्सी का उपयोग किया जा रहा है । पहले बजट पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम कटौती करेंगे लेकिन इसमें तो कोई खास कटौती नहीं दिखायी देती है, करोड़, दो करोड़ की कटौती से कोई फर्क नहीं पड़ता है । आज हम सब का यह फर्ज हो जाता है कि इस इमरजेंन्सी के जमाने में हम सब लोग मिल कर इस सरकार के अन्दर इमरजेंन्सी कांशसनैस पैदा करें और मजबूर करे ताकि सरकार वास्तविक रूप से आपत्तिकालीन अवस्था को समझ कर कार्य करे । मान्यवर, यह कहा गया है कि बहुत से जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें कमी की जायेगी । आजकल दफ्तरों में जो बाबू लोग काम करते हैं, वे केवल ढाई घंटे ही काम करते हैं, जैसा कि बड़े-बड़े लोगों का भी कहना है । अगर इस तरफ सरकार का रुजहान हुआ होता कि ढाई घंटे का वर्कलोड बढ़ा कर ६ घंटे का काम उतने ही समय

[श्री विजयसिंह]

में लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन इस फौज में कमी करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है जिसकी वजह से रेकरिंग, अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल खर्च भी बढ़ा है। जब हम इस इमर्जेन्सी के बजट पर आते हैं तो सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिलकुल इनएफिशियेंट पाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सारे देश व प्रदेश को घुमाता फिरता है, क्या वह इस बजट में कुछ कमी नहीं कर सकता था? यह बात मेरी समझ में आयी नहीं। पहले हमको अपने देश और प्रदेश में आई० सी० एस० पर नाज था। फाइनेंस डिपार्टमेंट के इकोनामिस्ट पर हमको बड़ा घमंड था आज हम स्वर्गीय सूरजदीन बाजपेई फाइनेंस एक्सपर्ट को नहीं भुला सकते। आज उनके ही उसूलों पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विचार किया होता तो १०–२० करोड़ की कमी हो सकती थी। फिर फाइनेंस विभाग से यह किस तरह से काम लिया जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो किसी प्रदेश की नीति को बदल सकता है, कोई भी खर्चे पर चेक लगा सकता है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इस बजट में उन्होंने क्या चेक किया है। प्लानिंग की स्कीम जो फेल हुई उसके लिये यूनियन गवर्नमेंट के बड़े-बड़े उच्च अधिकारियों ने कहा कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन की गलती से फेल हुई।

श्री नेकराम शर्मा––

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पास बार-बार लोग जाकर एक-एक दो-दो मिनट तक आपसे मंत्रणा करते हैं जब कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इस तरह से आपका समय भी लेते हैं, यह बड़ा गलत है।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)––

माननीय सदस्य जो इंगलैंड से पार्लियामेंटरी पद्धति के विशेषज्ञ होकर आये हैं, वे जानते हैं कि क्या प्रणाली है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय नेकराम जी, इस प्रकार का आक्षेप उचित नहीं है।

श्री विजयसिंह––

अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो किसी और विभाग से साठ-गांठ करके उसके खर्चे में कोई चेक न करे। आज मैं उसी के लिए मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार पी० डब्ल्यू० डी० के ३०–४० लाख रुपये के एकाउन्ट को एक एकाउन्टेन्ट बड़ी अच्छी तरह से चला सकता है, परन्तु सिविल डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर विभाग में कितने एकाउन्ट आफिसर्स व कितने असिस्टेंट एकाउन्टेंट रखे गये हैं लेकिन फिर भी जो गोलमाल है उसका पता आपको नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल फर्टिलाइजर में ही करीब १ करोड़ ४३ लाख की गड़बड़ी है जिसका कोई एकाउन्ट नहीं है। जब कोई बिल पेमेंट होता है तो उसके लिये जरूरी है कि सम्बन्धित आफिसर देख लें कि स्टोर में सामान आया या नहीं क्योंकि उस समय ड्राइंग आफिसर को ट्रेजरी बिल पर एक सर्टिफिकेट देनी पड़ती है कि लेजर बुक में यह स्टाक चढ़ा हुआ है और उसे इतना माल मिल गया है। जरा यह सोचने की बात है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दो वर्ष के लिये करीब २०० एकाउन्टेंट्स की नियुक्ति करके जनता का कितना खर्चा बढ़ा दिया है। मुझे यह नहीं मालूम है कि जिन्होंने यह कार्यवाही की है उस एकाउन्ट स्टाफ के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो सभी विभागों पर चेक लगा सकता है और बजट में भारी कमी कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों की फौज बढ़ती जा रही है और इस तरह से प्रदेश का रेकरिंग खर्चा बढ़ता ही जा रहा है।

इस प्रदेश में इनडेटेडनेस की क्या हालत है, उसकी मिसाल मैं देता हूं। ५६२ करोड़ रुपया सरकार के ऊपर कर्जा आता है जो बजट में पृष्ठ संख्या १४४, द्वितीय खण्ड में दिखाया गया है, तो इसको आप देखें कि हर व्यक्ति पर सौ रुपये के हिसाब से कितना बोझ जन्मते ही बढ़ जाता है

अगर यूनियन गवर्नमेंट का कर्जा जोड़ दिया जाय तो बहुत बड़ी रकम प्रति व्यक्ति हो जायगी। यह हालत प्रदेश की एकानामी की है। इसके साथ ही हमारी पैदावार भी नहीं बढ़ी है और इसका मुख्य कारण माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने बताया कि कोई एडिक्वेट प्लानिंग नहीं है बल्कि अपने पोलिटिकल करप्शन और आब्जेक्ट्स के लिये वेज एण्ड मीन्स निकाले जाते हैं और उसी के दृढ़ करने के लिये यह तरीके अख्तियार किये जाते हैं जिसकी वजह से पैसा ज्यादा खर्च होता है और फल कम। पंचायत राज, विलेज फोर्स, कोआपरेटिव और लेबर बैंक में पैसा अकारण पोलिटिकल करप्शन पर अधिक व्यय किया जाता है। तमाम इन विभागों में इंस्पेक्टर्स और कर्मचारियों की फौज खड़ी की जाती है, अनापशनाप केवल अपने वेज एन्ड मीन्स को मजबूत करने के लिये खर्चा होता है। अभी कल के "तरुण भारत" से मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं, आप की आज्ञा से वह मैं पढ़े देता हूं जिसमें श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने पंडित नेहरू से एक अलग मन्त्रालय कायम करने की मांग की है। वह है कि "भारी उद्योगों तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों में तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के उद्योगों के लिये एक अलग मंत्रालय में एक मंत्री के अलावा ५–६ राज्यमंत्री नियुक्त किये जायं" ताकि एक मंत्रालय को दूसरे के द्वारा विलम्ब न हो, इससे काम में तेजी और सुविधा होती है।

मान्यवर, मैंने यह उद्धरण इसलिये दिया कि (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी मुझे ५–६ मिनट और दिये जायं, मेरा समय प्वाइंट आफ आर्डर में निकल गया है...

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय अभी तो है, बोलने वाले बहुत हैं, आप समय से खत्म करें।

श्री विजयसिंह--

तो जिस तरह से और नये मंत्रालय कायम करने की यह मांग की गई है ताकि काम की रुकावट को हटाया जा सके इसी तरह से ठीक विपरीत यहां कृषि विभाग को ६ विभागों में पोस्ट मार्टम करके अलग अलग किया गया है, इस तरह से कैसे काम चल सकता है? सेन्टर १ विभाग का एक मंत्रालय चाहता है पर उत्तर प्रदेश एक विभाग को कई मंत्रियों के जिम्मे करता है जो सर्वथा उपयुक्त नहीं है।

बजट देखने से मालूम होता है कि यह भी डेफिसिट बजट है और आप देखें कि साल के अन्त तक यह भी सरप्लस हो जायगा। अगर विभागों में ५ से १० प्रतिशत की कमी की जाती तो बहुत बचत हो सकती थी, इस तरह से दस से बीस करोड़ तक की बचत हो सकती थी और उस हालत में किसी भी कर की आवश्यकता न होती। मैं फाइनेंस विभाग को समझा तो नहीं सकता लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि पुरानी बकाया जो पड़ी हुई है उसे सख्ती से वसूल करायें। आप देखें कि अकेले कानपुर शहर में ही पिछले वर्ष आय-कर में ७८ प्रतिशत की और ६४ प्रतिशत बिक्री-कर की वसूली नहीं हुई। १९६१–६२ में बिक्री-कर की मद में कानपुर से १ करोड़ ७५ लाख वसूल होना थे जिसमें से केवल ६२ लाख ही वसूल हुआ। १९६२–६३ में १५ अगस्त तक कानपुर में आयकर १ करोड़ ७१ लाख वसूल होने थे जिसमें से केवल २३ लाख ही वसूल हो सका है। इसी तरह से बिक्री-कर के १ करोड़ ७० लाख में से दस लाख ही वसूल हो पाये हैं। कानपुर व आगरे की १८८ फर्म्स हैं जिनके यहां १९५८ से ६१ तक बिक्री-कर का ५ हजार से अधिक का बकाया है, ८० कानपुर की हैं और बाकी आगरे की। उक्त फर्म्स पर बिक्रीकर का १ करोड़ १२ लाख बकाया है। १९ लाख की वसूली तो हाई कोर्ट द्वारा और ४४ लाख की रिवीजन द्वारा रुकी हुई है और ७४ हजार बिक्री-कर अधिकारियों के आदेश से रुका है। हिन्दुस्तान कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड, वाराणसी पर बिक्री कर का १,३२,८१३ रुपया बाकी है। यह सब क्यों नहीं वसूल किया जाता है? इसकी ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? फायनेंस विभाग अपना आदेश जारी करे कि प्रत्येक विभाग बचत का रुपया सरेंडर करें उसके रिअप्रोप्रिएशन की स्वीकृति न दें।

[श्री विजयसिंह]

अगर इस संकटकालीन स्थिति में फजूलखर्ची को ही रोक दिया जाता तो बहुत बचत हो सकती थी। अगर हर ग्रान्ट में दस प्रतिशत की कमी कर दी जाय और हर विभाग से कहा जाय कि काम ९० प्रतिशत में ही खर्चे को चलाया जाय तो बहुत बड़ी रकम सरकार के पास बच सकती है। इसके अलावा मैं कुछ थोड़े से सजेशन्स भी देना चाहता हूं। बजट के सम्बन्ध में अभी तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट मिलनी चाहिये थी वह नहीं दी जाती इसके लिये तो बजट में वाल्यूम ४ में प्रत्येक विभाग की ग्रान्ट के साथ उसकी रिपोर्ट भी होना चाहिये। Productive Industries जैसे कृषि के फार्म्स का हिसाब बजट के Vol. II में उसी प्रकार होना चाहिये जैसा Transport और Precision Instrument Factory का है--(1) actuals में १ वर्ष के साथ १० तथा २० वर्ष के दो actual आंकड़े और हों (2) Internal Running audit में भी सख्ती हो।

*श्री रामचन्द्र विकल--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं हृदय से आप का आभार मानता हूं कि इस संकटकालीन बजट के अवसर पर मुझे अपने हृदय के विचार प्रकट करने का आपने अवसर दिया। मैं अपने वित्त मंत्री जी का भी हृदय से आभार मानता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इस संकटकालीन बजट को उन्होंने पेश किया। मैं, अधिष्ठाता महोदय, उन लोगों में नहीं हूं जो यह मानते हैं कि इस समय संकटकालीन स्थिति समाप्त कर दी जाय। हमारे देश की बहुत बड़ी सीमायें अभी चीन के कब्जे में हैं। जब तक देश की एक-एक इंच भूमि चीन से हमारे देश के सिपाही लड़कर हासिल न करें मैं तब तक अपने देश के सम्मान को ऊंचा नहीं समझ पाता। मैं यह भी मानता हूं कि आज देश में खाली संकटकाल नहीं है वरन् एक परीक्षण का युग भी बीत रहा है। परीक्षण हो रहा है देश के नागरिकों का और नेताओं का भी, और मैं इसलिये यह कह रहा हूं परीक्षण संकटकाल के समय में कि यहां मनोबल की बहुत बातें सुनने को मिलीं और आये दिन इसकी चर्चा बहुत हो रही है। मैं मानता हूं मनोबल बढ़ाना अच्छी बात जरूर है लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिये कुछ ऐसे काम होने बहुत जरूरी हैं जिनका जनता पर बहुत बड़ा असर हो। आज हमारे प्रदेश में जब हम संकटकालीन बजट पर विचार कर रहे हैं इतना बड़ा मंत्रिमंडल संकट काल में न सरकार के मनोबल को बढ़ा रहा है और न जनता के। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो मंत्रिमंडल के कम करने का दायित्व अकेले मुख्य मंत्री पर छोड़ना चाहते हैं। अनेक परम्परायें रही हैं जब देश को जरूरत हुई, इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध जनतंत्र में जनता और पार्टी से रहा है। १९३७ में जब पूज्य बापू इस देश की नाव खे रहे थे और जब उन्होंने समझा कि मंत्रिमंडल को बाहर आना चाहिये तो सारे देश के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया। मैं यह भी बता दूं कि मैं उन लोगों में भी हूं जो आज यह समझते हैं कि संकटकाल में पंडित नेहरू का नेतृत्व हमारे देश के लिये बहुत जरूरी है, कुछ लोग चाहे न मानें, लेकिन देश की जनता मानती है और क्यों मानती है? इसलिये मानती हैं कि जनतंत्र और पंचायती राज्य का अगर कहीं चिराग टिमटिमा रहा है तो वह अकेला भारतवर्ष है और इस संकटकालीन स्थिति में पंडित नेहरू ने जनतंत्र का एक ऊंचा उदाहरण पेश किया है। वह कृष्णामेनन जी को मिनिस्ट्री से हटाना नहीं चाहते थे, परन्तु जब देखा कि जनता चाहती है तो उनको अलग कर दिया। अगर प्रदेश की सरकार और जनतंत्र की सरकार समझती है कि जनता की हार्दिक मांग है कि मंत्रि मंडल कम हो तो लाख, दो लाख रुपये की बात काम नहीं करेगी, जितना आप जनता की भावना को मान कर काम करेंगे वह काम करेगी। यह बहुत बड़ी भावना है और कुछ तर्क भी हैं। १९३७ की मिनिस्ट्री में मंत्रिमंडल कितने आदमियों का था? १९४६ में कांग्रेस दल के कितने लोग थे और मंत्री कितने थे? १९५७ में कांग्रेस दल के कितने लोग थे और मंत्री कितने थे? जब कांग्रेस दल के लोगों की तादाद कम हो रही है मंत्रियों की तादाद बढ़ रही है, यह कौन सा जनतंत्र है? श्रीमन्, मैं मंत्रिमंडल कम करने की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक दलील और देना चाहता हूं । आज तक मैंने यही देखा कि एक मंत्री पर कई विभाग तो रहे, जो बड़ी भारी काम की दुहाई देते हैं, एक एक मंत्री पर कई विभाग रहे हैं, मगर एक विभाग के कई मंत्री कभी नहीं रहे। कृषि विभाग को देखें जो पैदावार बढ़ाने के नाम पर दुहाई दी जा रही है . . . कितने मंत्री हैं जो कृषि विभाग से सम्बन्ध रखते हैं, कितने मंत्री हैं जो उद्योग विभाग से सम्बन्ध रखते हैं, कितने मंत्री हैं जो प्लानिंग विभाग से सम्बन्ध रखते हैं, नियोजन विभाग से सम्बन्धित हैं। पैदावार बढ़ जायगी ? हरगिज नहीं बढ़ सकती। कृषि की शिक्षा और उसका अनुसन्धान एक मंत्री चलाते हैं, कृषि का प्रसार हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट की मिनिस्टर सुचेता जी चलाती हैं। हमारे कृषकों के लिये जो बीज, खाद का विभाग है वह सहकारिता विभाग के मंत्री चलाते हैं। पशुपालन कृषि मंत्री को दे दिया और दूध को बेचने का काम मंत्री से भी बाहर के जो एक पुराने मंत्री थे उनको दे रखा है। इसी तरह से गन्ने को ले लीजिये। मैं गिना नहीं सकता कि कितने कितने मंत्री एक एक विभाग को चलाते हैं। विभागों का यह सामञ्जस्य किस तरह हमारे देश की पैदावार बढ़ा देगा। आज उत्तर प्रदेश के पिछड़ा होने का अगर कोई कारण है तो वह यह है कि योजनाओं का जनता के विचारों से कोई सामन्जस्य नहीं है और जनता का सरकारी कर्मचारियों से कोई सामंजस्य नहीं है और सरकारी कर्मचारियों का सरकार से कोई सामंजस्य नहीं है और मंत्रिमंडल का आपस में सामंजस्य नहीं है।

आज यह कहना कि मंत्रियों को कम करने से लाख, दो लाख बचा लेने से क्या होगा, तो यह लाख दो लाख की बात नहीं है, यह इस देश की भावनाओं को, जनता के मनोबल को आगे बढ़ाने की बात है। और खाली यही नहीं, सरकार के कुछ काम भी ऐसे हो रहे हैं इस संकट काल में जो न सरकार का मनोबल बढ़ा रहे हैं और न जनता के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। मैं आप को एक उदाहरण देता हूं। इस संकट काल के नाम पर किसानों पर सवाया लगान किया सरकार ने और वादाखिलाफ़ी की। ४० वर्ष तक किसान का लगान न बढ़ाने का सरकार का वादा था। जो सरकार अपने वादे को तोड़ती है वह अपने मारेल को गिराती है और जनता के मारेल को गिराती है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से मनोबल कहीं से खरीदा जा सकता है। उसके लिये कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं एक निवेदन करूं अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट से कि पुराने त्याग को कोई व्यक्ति, कोई संस्था और कोई देश अगर गाता रहता है और भोग की दुहाई देता रहता है उस त्याग के नाम पर तो वह व्यक्ति, वह संस्था और वह देश तबाह हो जाते हैं। आखिर त्याग का कौन सा मौका आयेगा ? आज हम धन दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, जवान दे रहे हैं और जब जनता कहती है कि कुछ थोड़ा सा खर्चा कम कर लो, मंत्रिमंडल को कुछ छोटा कर लो इस संकट काल में तो लाख, दो लाख की बात कही जाती है।

मैं एक और उदाहरण देता हूं। इस संकटकाल में एक जिले में एक मंत्री जी गये। सुरक्षा के नाम पर लाइसेन्सदारों को बुलाया गया राइफल ट्रेनिंग के लिये। दस-दस रुपये उन लाइसेन्सदारों से लिये गये। मंत्री जी का प्रोग्राम बदल गया। तीन दिन तक उन लाइसेन्स-दारों को रोका गया मंत्री जी की सलामी के लिये। बेचारे किसान थे, गांव में जाकर कुछ काम कर सकते थे। लेकिन मंत्री जी का प्रोग्राम बदल गया और वे अपने घर से खाते रहे क्योंकि मंत्री जी को सलामी की पड़ी थी इस संकट काल में। मैं बता देना चाहता हूं कि किसी गांव में आग लग गयी। सारा गांव भाग रहा था बचने के लिये और जो रंडुआ था वह सुरमा लगाने लगा (हंसी)। यह एक सलामी का उदाहरण दिया मैंने। ऐसी बहुत सी बातें बता सकता हूं। इनका यह काम संकटकाल का द्योतक नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि संकटकाल के साथ परीक्षण काल है। जनता आज सरकार और नेताओं से आगे है त्याग में, संकट में, देशभक्ति में, खून देने में, धन देने में। तो अगर आज संकटकाल में मंत्रिपरिषद् को कम करने की जनता की मांग है तो कौन सी ऐसी बात है ? संकटकाल में तो अच्छी अच्छी सरकारें उलट जा सकती हैं और जब जनता सरकार छोटी करने की मांग करती है तो तर्क लाते हैं कि मुख्य मंत्री जी जानें, लाख, दो लाख की बात है। देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है और यहां केवल मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी है और कोई जानता ही नहीं।

[श्री रामचन्द्र विकल]

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं और वही कृषि की पैदावार के सम्बन्ध में जो मैंने अभी उदाहरण दिया कि आप की योजनाओं को कोई सामंजस्य जनता से नहीं है। आज किसान को पानी नहीं मिलता है। केन्द्र के गृह मंत्री लालबहादुर शास्त्री जी ने कहा कि उनके क्षेत्र में बिना सिंचाई के सिंचाई कर लगा दिया गया। मैं अपने क्षेत्र की बताता हूं कि ट्यूबवेल्स और नहर के डबल कर लग रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिलता है। खाद जबर्दस्ती दी जा रही है लेकिन पानी नहीं है तो क्या पैदावार बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। सरकारी कर्मचारियों का सामंजस्य इसलिये नहीं है कि वे किसान की बात को समझते नहीं हैं और कागजात फैला रखते हैं। संकटकाल में चेंज आनी चाहिये थी। हमारे मंत्रियों के दिमाग में भी नहीं आई है। वे ही पुराने उद्घाटन, लड़के लड़कियों की सलामी में लगे हुये हैं। संकटकाल का आभास सरकार को नहीं हुआ बल्कि जनता को हुआ है।

हमारे प्रदेश में किसान के पिछड़े रहने के कारण यह रहे कि उसके विरोध में बहुत से कानून बना दिये गये। क्या कारण है कि किसान की जमीन पर सीलिंग है और मिल मालिकों तथा बड़ी तनख्वाहों पर नहीं है? किसान की उपजाऊ जमीन जबरदस्ती छीनकर उद्योगपतियों को दी जा रही है जिनसे बकाया भी वसूल नहीं कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं लगा रहे हैं तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? जनता का मनोबल कैसे ऊंचा उठेगा? किसानों के खिलाफ बहुत सी नीतियां आज अपनाई जा रही हैं जैसे जमीन छीन लेना, पानी आदि चीजों की सुविधायें न देना, टैक्स लगाना ये न्यायोचित बात नहीं है संकटकाल में इस सरकार के लिये। आज हमारी जनता इन जोतों से परेशान हो गई है।

अभी हमारे जो योजना आयुक्त हैं उनका एक सरक्यूलर गया है कि हर एक को लाजमी श्रमदान करना पड़ेगा। एक गांव में मैं भी पहुंचा। वहां मैंने देखा कि ८,८ वर्ष के बच्चे और बेवायें श्रमदान कर रही थीं। अगर श्रमदान का काम बुद्धि के काम करने वालों से लिया होता तो मैं समझता कि संकटकाल का समय है। चाहे सरकारी कर्मचारी हों या विधायक हों सब के लिये श्रमदान जरूरी होना चाहिये था। आज यहां क्या हालत है कि चपरासी चिक उठायगा। फाइल में एक आध ही कागज होता है लेकिन चपरासी उसको लेकर आता है। जब कि उपदेश करने वाले अमल भी उसी के अनुसार करें। वैसे श्रमदान की बात, पैदावार बढ़ाने की बात बेकार है। केवल भाषणों से पैदावार नहीं बढ़ सकता और इसलिये जरूरी है कि सरकार इस ओर ठोस कदम उठावे। मंत्रिमंडल को कम करे, योजनाओं को कम करे वरना २ अरब का जो बजट है मुझे तो यह आभास होता है कि अगर बजट की योजनाओं से जनता की इच्छाओं और उसकी शक्ति का सामंजस्य न हुआ तो जैसे रेगिस्तान में नहरें सूख जाती हैं, वैसे ही यह बजट भी सरकारी विभागों के रेगिस्तान में सूख जायगा और किसानों की शक्ति का जनता के कल्याण के लिये उपयोग नहीं हो सकेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय संकट की गंभीरता और उसकी आवश्यकताओं को देखते हुये हमारा जो इस साल का बजट आयेगा, जो पुरानी परम्परा है उसको छोड़ कर एक नये ढंग का बजट होगा लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि यह बजट भी एक रूटीन ब्यूरोक्रेटिक (पिटा पिटाया नौकर शाही), बजट है अगर हम में इस बजट को देखें तो आज आवश्यकता इस बात की थी कि जो राष्ट्रीय संकट इस देश में आज उपस्थित हुआ है उसका मुकाबला करने के लिये इस बजट में उसकी व्यवस्था की जाती लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस बजट में राष्ट्रीय संकट के मुकाबला करने के दृढ़ निश्चय का अभाव है, "Lack of determination to face the emergency" है। इसके अन्दर इस बात की बिलकुल भी व्यवस्था नहीं है कि हम इस इमरजेंसी को कैसे और किस प्रकार मुकाबला करें।

हम इस बात की उम्मीद करते थे कि हमारी योजनायें बड़ी होंगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि यदि हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो हमें एक तरफ

तो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना होगा और दूसरी तरफ अपने उत्पादन को भी बढ़ाना होगा, हमारी कृषि की, बिजली की, अन्य उद्योगों की पैदावार बढ़ेगी लेकिन मुझे अफसोस है कि १९६३-६४ के बजट में प्रांतीय सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि साढ़े ११ करोड़ की प्लानिंग में कटौती होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि हम इस बात की आवश्यकता समझते थे कि हमारा प्लान बड़ा होना चाहिये और उसमें उन तमाम बातों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हमारा सेकन्ड लाइन आफ डिफेन्स मजबूत हो तो क्यों यह कटौती की गयी? जहां हमारे देश के पूंजीपतियों पर करोड़ों रुपया बाकी हो वहां यह कटौती क्यों? माननीय उग्रसेन जी कह रहे थे कि ५४ करोड़ रुपया पूंजीपतियों पर बकाया है। मैंने फ.यनेंस डिपार्टमेंट से जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई सही रकम नहीं बतायी। उन्होंने फिर भी कहा कि निश्चित रूप से बकाया रकम १७ करोड़ से तो ज्यादा है ही। अब जहां १७ करोड़ से ज्यादा रुपया पूंजीपतियों पर बकाया हो वहां आप साढ़े ११ करोड़ रुपये की कटौती करने जा रहे हैं। इन पूंजीपतियों से यह रकम क्यों नहीं वसूल की जाती? पिछले सात सालों से जो घोषणा की गयी थी कि हम कड़ा कदम उठावेंगे, नोटिस देंगे लेकिन सारी की सारी बातें बेकार हो गयीं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि आपको सचमुच राष्ट्रीय संकट का एहसास है तो आपकी घोषणा सदन के अन्दर होनी चाहिये कि इस बजट वर्ष में जो नियोजन में कटौती की व्यवस्था की गयी है वह वापस ली जाती है और पूंजीपतियों से बकाया रकम की वसूली करके उससे उन कामों को पूरा किया जायगा।

मुझे इस बात का भी अफसोस है कि इस बजट वर्ष में जो सामाजिक सेवायें हैं उन्हें शिकार बनाया गया है, वह कैजुअलिटी इस बजट में हो गयी हैं। आप देखेंगे कि हमारी इन सरविसेज पर २४३४.५२ लाख रुपये की योजना थी लेकिन उसको काटकर १,८९२ लाख कर दी गयी। सिंचाई योजना थी ३५५३.१४ लाख की उसको घटाकर ३,०१० लाख कर दिया गया। उद्योग की ४,०७१ लाख की योजना थी उसको घटाकर ४७३.९७ लाख हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस बात पर बराबर जोर दिया जा रहा है कि उत्पादन (प्रोडक्शन) को बढ़ाना है तो उसकी रकम को घटाकर कैसे उस काम को आप पूरा करने जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं चाहता था कि इस संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात को देखती कि हमारा प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ता। हमारे देश की जो जन शक्ति है उसका इसके साथ गहरा संबंध होता। यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारे देश की सरकार सही मानी में राष्ट्रीय संकट को महसूस नहीं करती है। राष्ट्रीय संकट से कुछ नतीजे और नसीहत मिलती है। सबसे पहला नतीजा यह है कि हमारी वह आर्थिक नीतियां जिनको हमने पिछले पंद्रह सालों में लागू किया है वह फेल हो गयीं। हमारा उत्पादन गिरा है। इस प्रदेश के अन्दर बेकारी बढ़ी है। कृषि की पैदावार जितनी तेजी से बढ़नी चाहिये उतनी नहीं बढ़ रही है। हमारा औद्योगिक उत्पादन हाल्टिंग तरीके से चल रहा है। क्या इस राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिये यह सरकार कदम उठाने जा रही है अथवा नहीं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पिछले पंद्रह सालों में गरीबों के ऊपर भार करों का लगातार बढ़ता गया है। अमीर अमीर होता गया है। जो उत्पादन बढ़ा, मजदूरों को उसमें मुनाफे का हिस्सा नहीं मिला है। वह पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रीभूत होता गया है। औद्योगिक सामग्री की चीजों की कीमतें बढ़ती गयी है। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी गिरती जा रही है। जिन्दगी मुहाल होती जा रही है। रिऐक्शनरी फ़ोर्सेज इस बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को सरकार गंभीरता से महसूस करती है या नहीं कि रिऐक्शनरी ताकतें हावी होती जा रही हैं। वह उन बातों को बदलवाना चाहती है जिनको जनता आर्टिकिल आफ फेथ की तरह मान लिया है—डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, नान अलाइनमेंट आदि। लेकिन यह ताकतें उसके ऊपर हावी होती जा रही हैं। मंत्रिमंडल के अन्दर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कृष्णामेनन के हटाये जाने का स्वागत करते हैं, जन सभाओं में घोषणा करते हैं कि हमने उनको हटा कर बड़ी भारी चीज की है। अगर आपने रिऐक्शनरी पालिसीज को चलने दिया, जनता के अन्दर डिस्कटेंट फैलने दिया, तो यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी और यह कांग्रेस सरकार भी उसकी कैजुअल्टी बनेगी।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मैं कुछ कांग्रेसी सदस्यों को सुन रहा था । जब माननीय विष्ट जी और माननीय रावत जी बोल रहे थे तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो वास्तविक तथ्य हैं उनको वह बताने की कोशिश करते हैं । लेकिन अगर किसी तरह से परेशान होकर, केवल गुटबाजी के अन्दर सरकार के ऊपर लांछन लगाया जाय तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, जब तक कि पार्टी के अन्दर सैद्धान्तिक आधार पर इन प्रश्नों को न उठाया जाय । मैं जानता हूं कि कांग्रेस के अन्दर ऐसे लोग हैं जो देश की दयनीय हालत से परिचित हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि उनको संगठित रूप से पार्टी के अन्दर संघर्ष करना चाहिये । आज इस राष्ट्रीय संकट ने हमारे देश के सामने एक नजरिया पेश किया है । आज यह बात स्पष्ट है कि देश के अन्दर इस प्रकार की शक्तियां हैं जो समाजवाद के लिये नियोजित विकास के लिये तटस्थता की नीति के लिये जो हम कटिबद्ध हैं इन तमाम राष्ट्रीय नीतियों पर वह संगठित रूप से हमलावर हैं । आज यह शक्तियां बाहर की इम्पीरियलिस्ट ताकतों से लिंक्ड हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाता है । मैं जानता हूं कि कांग्रेस के अन्दर लोग ऐसे हैं जो इन बातों से आगाह हैं लेकिन वह वक्त का तकाजा है कि हिम्मत के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये । श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश की एक विशेष स्थिति है । इस राष्ट्रीय संकट के अन्दर हम देखें, हमारे प्रदेश के अन्दर जो साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं वह देश के दूसरे भागों के मुकाबिले में यहां ज्यादा मजबूत हैं और आज जनवाद के लिये यह साम्प्रदायिक, कम्यूनल रिऐक्शनरी फोर्सेज भारी खतरा बनी हुई हैं । हमारे देश और प्रदेश के अन्दर आर० एस० एस० जनसंघ की एक मिलिशिया के रूप में कार्य करता है । आर० एस० एस० फाइनेंस होता है बाहरी ताकतों और साम्राज्यवादी देशों से । आर० एस० एस० वह संगठन है जो सरकार के खिलाफ झूठे से झूठे प्रचार करता है । इसी लखनऊ के अन्दर राजधानी से निकलने वाला इनका एक अखबार 'तरुण भारत' है जो पंडित नेहरू के ऊपर झूठे से झूठे हमला करता है राष्ट्रीय संकट में रियूमर मांगारिंग करता है लेकिन अफसोस है कि इस सरकार का गृह विभाग उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता । आज इन डिसरप्शन की फोर्सेज को एक आदर का स्थान दिया जाता है । मैं अपने प्रजा समाजवादी भाइयों और सोशलिस्ट भाइयों से अनुरोध करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रीय परम्परा को मानते हुए और समाजवाद की रचना में विश्वास करते हुए भी आप जो इन ताकतों से एलायंस से करते हैं उनसे इन कम्यूनल रिऐक्शनरी फोर्सेज को ताकत मिलती है और सम्मान प्राप्त होता है मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इन बातों को छोड़ें, वरना देश के लिये जबर्दस्त खतरा है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

शांत रहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश के अन्दर सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि वह जितने प्लानिंग के टार्गेट्स हैं उनको पूरा करेगी । बजट में जितनी व्यवस्था की गई है वह उसको मजबूती के साथ पूरा करने के लिये कदम उठायेगी । लेकिन पिछले दस बारह सालों के बजट हम देखें तो आंकड़े बताते हैं कि सरकार उसके अन्दर व्यवस्था करती है लेकिन आखिर में चलकर बजट में सरप्लस होता है, वह खर्चे नहीं होते हैं और हमें आखिर में बताया जाता है कि या तो लैंड नहीं ऐक्वायर हुआ या बिल्डिंग के लिये जमीन नहीं मिली या और इसी प्रकार की बात करके एक संतोष दिलाने की कोशिश की जाती है । यह बातें पिछले पन्द्रह सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं। इन पन्द्रह सालों के अन्दर सरकार ने कोई नतीजा नहीं निकाला कि आखिर कहां हमारी कमजोरी है । लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज जो आपका रेड टैपिज्म है, जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वह इसमें सबसे बड़ी बाधक है । इस सरकार के चाहे कितने ही अच्छे मन्सूबे क्यों न हों, यह उसके रास्ते के अन्दर आकर खड़ी हो जाती है । हमारे उद्देश्य और लक्ष्य बदल गए लेकिन ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी का आउटलुक आज तक नहीं बदला है । वही पुराने तरीके से फाइल चलती है, जिसका नतीजा यह होता है कि जो काम जिस अवधि में और जिस प्रकार से

होना चाहिये, उस प्रकार नहीं हो पाता है और यही कारण है कि जनता का सच्चा सहयोग भी सरकार के कामों में नहीं हासिल होता जिसके लिये सरकार रोती है ।

आखिर में मैं एक बात और गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस बात की देश के प्रत्येक व्यक्ति को चिन्ता है कि राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिये हम तैयार हों, हर आदमी उसके लिये सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है । हमारे प्रदेश के अन्दर पार्टी के लगभग ३० नेता गिरफ्तार किये गये हैं । हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से इस बात का अनुरोध किया कि हमारी पार्टी ने इस बात की घोषणा की है कि और हम इस बात को समझते हैं और ईमानदारी से समझते हैं कि चीन ने जो कदम उठाया और जिस प्रकार से उसने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया वह निन्दनीय है हमने उसकी खुली निन्दा की और आज इस चीन के हमले की निन्दा सारे कम्यूनिस्ट जगत ने की है कि चीन ने ऐसे राष्ट्र के ऊपर जो शांतिपूर्ण नीतियों से और तटस्थता के साथ कार्य कर रहा था, जो दक्षिण पूर्वी एशिया का नेतृत्व कर रहा था, उसके ऊपर हमला करके शांति के लिये खतरा पैदा किया है । इसलिये हमने प्रस्ताव पास किया और ईमानदारी से हमारी पार्टी और उसके सदस्य उसको कार्यान्वित करने में लगे हुए हैं । अतः मैं मांग करता हूं कि जो हमारे उन ३० नेताओं को जो गिरफ्तार हैं अविलम्ब रिहा किया जाय ।

श्री नवलकिशोर—

अधिष्ठाता महोदय, सन् १९६३–६४ का जो बजट पेश हुआ उसके ऊपर अब तक जो भाषण हुये उनको मान्यवर, मैंने बड़े ध्यान से सुना । मैं यह समझता था कि सन् १९६३–६४ का साल हमारे इतिहास में बड़ा महत्व रखता है इस माने में कि आज देश के ऊपर संकटकालीन परिस्थिति है । इस बजट के द्वारा इस बात की चेष्टा की गई है कि हमारे देश और प्रदेश की सुरक्षा मजबूत हो और साथ ही साथ हमारा उत्पादन भी बढ़े । मान्यवर, मैं यह समझता था और आशा करता था कि इस संकटकालीन स्थिति में एक गंभीर और जिम्मेदारी का अहसास विरोधी पक्ष से हमको दिखाई देगा किन्तु मुझे खेद है कि वह मुझको नहीं मिला । भाषणों का स्तर क्या रहा, उसे मेरे मित्र उग्रसेन खुद समझेंगे चूंकि वह पुराने साथी हैं और बहुत पुराने इस हाउस के मेंबर हैं । मुझे खेद है कि डिबेट का स्तर जितना ऊंचा होना चाहिये था, जितना गंभीर होना चाहिये था उतना ऊंचा देखने को नहीं मिला । नेताओं के ऊपर आक्षेप और छींटा-कशी ज्यादा हुई । इसी तरह की बहुत सी बातें कही गईं । मैं, किसी भाई के ऊपर हमला नहीं करता । सबने इस बात की कोशिश की कि चीन के मुकाबले में जोरदार भाषण दें । कभी-कभी अच्छी दवा का असर भी उल्टा होता है । दवा देखने में कुछ लगती है और उसका असर कुछ होता है । जो भाषण दिये गये उनका असर कुछ दूसरा ही हुआ । बहुत से भाइयों ने सुन्दर भाषा में चीन के खिलाफ जोरदार भाषण दिया मगर उनके भाषण का असर चीन के पक्ष में ही जाकर बैठा ।

पहली टिप्पणी यह हुई और सबसे ज्यादा आक्षेप इस बात पर था कि डैफिसिट बजट है और यह कहा गया कि सरकार की आदत पड़ गई है डेफिसिट बजट को पेश करने की । इसके लिये कुछ आंकड़े भी दिये गये और यह भी कहा गया कि जो आपका एस्टीमेट होता है वह अपनी जगह पर सही नहीं होता है । नेकराम जी ने कुछ उदाहरण भी दिये आडिट रिपोर्ट से और कुछ एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट से । एक बात सही है कि एस्टीमेट्स की कोशिश यह होनी चाहिये कि वह यथा संभव सच्चे हों, रेशनल हों । नेकराम जी तीन महीने तक विलायत में रहे हैं । जनतंत्र देशों में इंगलैंड की डेमोक्रेसी बहुत महत्व की मानी जाती है । इंगलैंड की पार्लियामेंट बहुत पुरानी है उसको "मदर आफ पार्लियामेंन्ट्स" कहते हैं । उन्होंने बहुत सी बातें वहां सीखी होंगी और वहां के बजट को भी देखा होगा । तो यह बात माननी पड़ेगी कि चाहे कितनी भी कोशिश की जाय फिर भी कुछ थोड़ा बहुत एस्टीमेट में उतार चढ़ाव होना अनिवार्य सा हो जाता है । इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर से डेवलेपिंग इकानामी में और आज नेशनल इमरजेंसी में डेफिसिट बजट का होना कोई अचम्भे और ताज्जुब की बात नहीं है । आडिट रिपोर्ट का पेज १३ यहां पर

[श्री नवलकिशोर]

कोट किया गया । उन्होंने कहा कि १९५६-५७ का जो बजट था उसका २५ करोड़ बच गया । ५७-५८ का २३ करोड़ बच गया, ५८-५९ का २५ करोड़ बच गया । ५९-६०,का २९ करोड़ और १९६०-६१ का २५ करोड़, मगर मान्यवर, वह एक बात भूल गये । अगर वह उनको आगे पढ़ने का कष्ट करते तो उनको मालूम हो जाता है कि १९५६-५७ में बजट का १५.४ परसेंट, १९५७-५८ के बजट का १२.९ परसेंट, १९५८-५९ का १३.४ परसेंट, १९५९-६० का १०.३ परसेंट का बचना बराबर इस बात को साबित करता है कि हर साल जो परसन्टेज है, जो पैसा खर्च नहीं किया गया है उसके अन्दर कमी होती चली गई ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर वह इसके साथ-साथ इसको भी देखें तो कि उन्होंने दूसरी आपत्ति उठाई थी और यह कहा था कि पूंजीगत व्यय में ४१ करोड़ रुपया मांगा गया था और उसमें से २४ करोड़ खर्च हुआ और १७ करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ, यह उनका आक्षेप था । तो मैं आपके द्वारा इस संबंध में एक बात यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, कभी-कभी वह होता है जैसे आज रिहैंड डैम के अन्दर छठी मशीन का आर्डर गया है लेकिन फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता । कभी-कभी ऐसा होता है कि पैसा लेते हैं, खर्च नहीं होता, उसके कुछ कारण होते हैं और जिन साहबान ने थर्ड फाइव ईयर प्लान जो पढ़ा होगा उसमें दिया हुआ है कि पिछली दफा दूसरी योजना में पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, करीब १९-२० करोड़ का गैप हुआ । कारण यह था कि फारेन एक्सचेंज की दिक्कत आयी, ट्रांसपोर्ट बाटल-नेक की दिक्कत आयी, कांस्ट्रक्शन के सामान की शार्टेज हुई और टेक्निकल नो-हाऊ की दिक्कत हुई । जहां तक उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय १७ करोड़ कम हुआ तो यह जो एस्टीमेटेड लोन्स थे उनमें उम्मीद थी कि केन्द्रीय सरकार से ५१ करोड़ रुपया उस साल में मिलेगा । मगर ४६ करोड़ मिला, इसी तरह स्थायी ऋण में १३ करोड़ कम मिला । इस तरह १८ करोड़ कर्जा भी कम हुआ । १७ करोड़ कम खर्चा हुआ तो लोन भी कम हुआ । मैं मानता हूं कि इस तरह रुपया खर्च न होना अच्छी बात नहीं है और सरकार के विभागों को देखना चाहिये कि ऐसा न हो, लेकिन कभी-कभी मजबूरी हो जाती है ।

दूसरी बात यह कही गयी कि यह डेफिसिट इसलिये पेश करते हैं ताकि टैक्स लगाने का मौका मिल जाय । माननीय दूबे जी को कभी भी हमारी नेकनीयती पर विश्वास नहीं हो सकता, हम चाहे उन पर विश्वास कर भी लें । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । अगर इमरजेंसी होगी तब टैक्सेज भी लगेंगे ही ।

सारा जोर इस बात पर दिया गया कि मिनिस्ट्री कम की जाय और कहा गया कि बड़ा खर्चा होता है । नेकराम जी ने कहा कि मैं मुख्य मंत्री जी के ऊपर ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन लाऊंगा । आजकल यहां ब्रीच आफ प्रिविलेज का बड़ा इस्तेमाल होता है । उसका कितना महत्व बाकी रह गया है वह तो आपको और सदन को देखना है । कांस्टीट्यूशन पास होने के बाद मिनिस्ट्री का फारमेशन सन् १९५२, १९५७ और १९६२ में हुआ ।

श्री नेकराम शर्मा--

सन् १९४६ में भी हुआ था ।

श्री नवलकिशोर--

मैंने कहा कांस्टीट्यूशन पास होने के बाद । जरा ध्यान से सुनिये । सन् १९५३-५४ के बजट में दिया हुआ है कि मंत्रियों की पे के ऊपर २,९१,५०० और सब मिलाकर टोटल है, ५,९१,९०० । सन् १९५७-५८ का है पे पर ३,३५,९०० और टोटल है ६,८१,७०० । सन् १९६२-६३ में देखिये, पे पर ३,०७,५०० और टोटल है ५,६७,४०० । तो कितना खर्चा बढ़ा है या घटा है, वह आप देख लीजिये । यह जरूर है कि यह आंकड़े सोशलिस्ट पार्टी के आफिस में

तैयार नहीं किये गये हैं बजट के आंकड़े हैं । दूसरी बात यह है कि हमारा २०६ करोड़ का बजट है जिसमें अगर हिसाब लगाया जाय तो १ हजार खर्च पर मिनिस्ट्री पर खर्चा मुश्किल से ३४ नये पैसे पड़ता है, यानी साढ़े पांच आने । उसके ऊपर इतना शोर है । यह केवल राजनीतिक स्टन्ट है और श्रीमन्, जिस समय आप बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य हुआ । आप तो बड़े पहलवान हैं, कुश्ती लड़ते हैं इन आंकड़ों की कुश्ती में कहां फंस गये । आपने कहा कि २,३४,००० खर्चा मिनिस्ट्री के ऊपर बढ़ गया यह अन्तर तो गत वर्ष के । दोहराये एस्टीमेट में था मान्यवर, जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था उसको उठाकर देखिये तो उसके हिसाब से १,१२ हजार इस साल घाटा है, उसको चेक कर लें । जो साहब भी पढ़ें पहले चेक कर लें बजट को । एक मेरे मित्र ने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा बहुत बढ़ गया है । मैं एक बात उनकी मानता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कोशिश अवश्य होनी चाहिये कि कम से कम खर्च हो । लेकिन माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि ६० परसेंट खर्चा होता है और माननीय श्रीपालसिंह ने कहा कि साढ़े १७ परसेंट होता है । मैं आपकी आज्ञा से भिन्न-भिन्न स्टेट्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा है उसे बता देना चाहता हूं । १९५९–६० में बिहार में खर्चा हुआ १७.२ परसेंट, मद्रास में १६.८, पंजाब में १७.०, राजस्थान में १८.८, उत्तर प्रदेश में १५.८, वेस्ट बंगाल में १६.७ । १९६२–६३ में बिहार में ११.६, मद्रास में १३.४, पंजाब में १२.७, राजस्थान में १४.०, उत्तर प्रदेश में १०.०, वेस्ट बंगाल में १५.२ ।

इससे यह साफ जाहिर है कि हमारा खर्चा बराबर घटता गया है और दूसरी स्टेट्स के मुकाबले कम भी है ।

मिनिस्ट्री के साइज का भी सवाल उठा । मेरे पास उसके भी आंकड़े हैं । जितनी सीट हैं और आबादी है उसके हिसाब से यू० पी० का नम्बर श्रीमन्, ७ आता है । एक बड़ी दिक्कत होती है जब एक स्टेट की लीडरशीप की दूसरी स्टेट के लीडरशीप से तुलना की जाय । मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं, यह कोई अच्छी बात नहीं ।

मान्यवर, माननीय दूबे जी ने तथा और साथियों ने भी इकोनामी की बात कही ।

(इस समय ४ बज कर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इस बजट में दिया है कि सवा करोड़ की इकोनामी हुई है । अगर माननीय दूबे जी और नेकराम जी यह कहते कि इससे ज्यादा एकोनामी की जा सकती थी, तो बात समझ में कुछ आ सकती थी । नेकराम जी यह जानते हैं कि इसकी जांच आदि करने के लिये इस्टीमेट्स कमेटी है, एकोनामी कमेटी भी अब बना दी गयी है, जिसमें आप में से भी मेम्बरान हैं । शायद माननीय गेंदासिंह जी भी हैं । उसके बाद भी, अगर माननीय नेकराम जी या दूबे जी कोई सेन्सीबिल प्रोपोजल्स गवर्नमेंट के सामने पेश करें और बतायें कि इन-इन मदों में इकोनामी हो सकती है, तो उस पर सरकार विचार कर सकती है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)––

एक व्यवस्था का प्रश्न है । इकोनामी कमेटी की बात उठी है । जब वह बनी थी तो यहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उस पर यहां वाद विवाद नहीं होगा और उसकी प्रोसीडिंग्स गोपनीय रहेंगी । अब अगर उधर से उसकी कोई चर्चा होती है तो मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों के लिये भी वह प्रतिबन्ध हटा दिया जाय ?

श्री नवलकिशोर––

श्रीमन्, मैं उसकी प्रोसीडिंग्स की बात कहां कर रहा हूं ? मैंने तो केवल यह कहा है कि इकोनामी कमेटी भी बैठी हुई है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

पहले जो मितव्यता कमेटी बनी थी उसकी बात कर रहे हैं या अब जो बनी है ?

श्री नवल किशोर---

जिस कमेटी का जिक्र है, वह वह है जो आजकल बैठी हुई है ।

एक बात यह कही गयी कि कैपिटलिस्ट्स के प्रति यह सरकार बड़ी उदार है । इस मामले में माननीय चन्द्रजीत जी और सभी लोग एक से थे । मैं यह कहता हूं कि जिन लोगों के कान्स्टीट्यूशन को पढ़ा है वे लोग जानते हैं कि राज्य सरकार के हाथ में बहुत ज्यादा पावर्स नहीं हैं टैक्सेशन के संबंध में, और वह सब केन्द्रीय सरकार को ही हैं । फिर भी अगर आपने बजट स्पीच पर ध्यान दिया होता तो आपको मालूम होता कि हमारे वित्त मंत्री जी ने यह कहा है हम कुछ टैक्सेशन लायेंगे, उसका इन्तजार कीजिये आप कि वे क्या होंगे ? मेरे मित्र, मित्र भी क्या, बुजुर्ग रावत जी ने मुख्य मंत्री जी की तुलना नैपोलियन से की और कहा कि बड़े आयरन मैन हैं । उन्होंने बहुत अच्छा किया कि हिस्टारीकल आदमी से उनकी तुलना की । मगर वह यह भूल गये कि नैपोलियन बैचलर नहीं था । उन्होंने कहा कि नैपोलियन जौफराइन के सामने झुक जाता था । अगर वह इस बात को ध्यान में रखते तो शायद जो उन्होंने कहा वह न कहते । एक कहावत है कि "फ्लाइंग हाट ऐन्ड कोल्ड इन दि सेम ब्रोथ ।"

(Blowing hot and cold in the same breath.)

दूबेजी ने फरमाया कि सरकार अपने ऊपर बड़ा भारी श्रेय लेती है उद्योगिकरण का जब कि पब्लिक सैक्टर में कोई काम नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वह प्राइवेट सैक्टर में ही हुआ । उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कैपिटलिस्ट के ऊपर प्राफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्राफिट टैक्स लगाया जाय । पब्लिक सेक्टर को तो उन्होंने निकम्मा बतलाया और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वह टैक्स लगाने की बात कहते हैं, यद्यपि यह करने का हमें अधिकार भी नहीं है । सेंटर को है । इससे पता चलता है कि दूबेजी के दिमाग में इकानामिक्स की बातें साफ नहीं हैं और वह कनफ्यूज्ड से हैं ।

उन्होंने यह भी कहा कि कीमतें बेहद बढ़ रही हैं । मैंने बहुत ढूंढ़ने की कोशिश की । एकाध चीज की कीमत बढ़ गई हो तो बढ़ गई हो । जब कि मैं बहराइच में था पिछली दफा तो मालूम हुआ कि अनाज की कीमतें कुछ घट गई हैं । ऐसी बात नहीं है कि कीमतों में कोई खास उतार चढ़ाव हुआ हो ।

श्रीपालसिंह जी ने और दूबेजी ने भी कहा कि पी० आर० डी० और एन० सी०सी० सैकिन्ड लाइन आफ डिफेन्स नहीं बन सकती हैं । शायद उग्रसेनजी ने भी यह बात कही । फिर, सैकिन्ड लाइन आफ डिफेंन्स क्या बनेगी ? एक तरफ पी० आर० डी० का एक्सटेशन और उसके साथ साथ एन० सी० सी० में लड़कों को ट्रेन किया जा रहा है । होम गार्ड्स संगठित हो रहे हैं । इन्हें ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही है कि वे डिफेंस के काम में और प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायता करें ।

कुछ दोस्तों ने कहा कि पुलिस बढ़ाई जाय और कुछ ने कहा कि न बढ़ाई जाय । मंगलदेवजी ने कहा कि नवल किशोर जी से उन्हें बड़ा डर लगता है । बहरहाल, मैं इतना ज्यादा बदशक्ल तो नहीं हूं कि किसी को डर लगे । उन्होंने कहा कि एफ० आई० आर० बगैर पैसे लिये नहीं लिखी जाती है । इस प्रकार की बात का उत्तर देना बड़ा कठिन है । अगर वह कोई स्पैसीफिक बात कहें तो उसकी छानबीन कराई जा सकती है और होती भी है । मेरे दोस्त मुन्नूसिंह ने कहा कि अगर एफ० आई० आर० थाने में न लिखी जायें तो उसके लिये कोई दूसरा आफिस कायम कर दें । तो वही शिकायत वहां भी हो सकती है । यह कायदा है कि अगर थाने में आपकी रिपोर्ट न लिखी जाये तो आप लिखित रिपोर्ट एस० पी० को भेज दें और वह थाने में लिखी जावेगी ।

लखनऊ के एक मर्डर के बारे में कहा गया कि उसमें सिविल पुलिस और जी० आर० पी० में बड़ी भारी कन्ट्रोवर्सी थी। यह बात गलत है। उस मामले की इनक्वायरी सी० आई० डी० को दे दी गई है, इसलिये मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

उमाशंकर जी ने एक बात आजमगढ़ के बारे में कही कि मैंने उन्हें कोई धौंस दी। रामसुन्दर जी पांडेय और वह किसी वजह से मुझसे कुछ नाखुश हो गये। जो उनके जी में आया बड़ी आजादी के साथ बड़े अच्छे एडजेक्टिव्ज इस्तेमाल किये। मैंने उसके जवाब में सिर्फ यह कह दिया कि कुछ पार्लियामेंट्री डेकोरम होता है और हम मजबूर हैं कि बहुत सी बातें हम कह नहीं पाते हैं। मैंने कोई धौंस नहीं दी और मैं तो बहुत कमजोर हूं, धौंस दे भी कैसे सकता हूं? आजमगढ़ की शिकायत डी० एम० के पास भेज दी गई है और जो वहां से रिपोर्ट आवेगी उसके हिसाब से उस पर काम किया जायगा।

ला ऐंड आर्डर के बारे में रावत जी ने और बालोजी ने, अगर यहां बैठे हों, तो उन्होंने कुछ कहा। उससे उनका क्या मतलब था, यह वे ही बेहतर जानते हैं। ला ऐंड आर्डर की स्थिति में कोई कमी नहीं है। हां, कुछ पी० ए० सी० जरूर आगरा से हटा ली थी, तो वहां डकैतों का कुछ जोर हो गया था। लेकिन मैं यह उन्हें बता दूं कि डूंगरा डकैत को लिक्वीडेट कर दिया गया और माधोसिंह और जंगा के बारे में विभाग जागरूक है। पी० ए० सी० फिर भेजी गई है।

एक तरफ तो कहा गया कि इमर्जेंसी नहीं है और दूसरी ओर कहा गया कि नेशनल डिफेंस के ऊपर आप कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। शायद श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि केवल ३।। परसेंट आप का खर्चा है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कैसे ३।। परसेंट खर्चा निकाला है। आज नेशनल इमर्जेंसी में जितने बजट में प्रोजेक्ट्स और प्लान्स हैं उन सब का एक ही मतलब है कि उत्पादन बढ़े और साथ ही साथ नेशनल एफर्ट्स के लिये शक्ति और मनोबल मिले। जिसका बड़ा मजाक बनाया गया है।

नेकराम जी शर्मा मेरे मित्र हैं। उन्होंने कुछ खास मुहब्बत में आकर मेरे बारे में कुछ बातें कहीं और ३, ४ आदमियों के नाम लेकर बतलाया कि वे यहां के शासन में प्रमुख हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम और वह १०, ११ साल एक साथ रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने काफी कोशिशें पिछले समय में की हैं देश और प्रदेश के नेताओं के नजदीक आने की और आये भी। यह दूसरी बात है कि बहुत दिनों तक साथ में टिक नहीं पाये। मान्यवर, एक शेर याद गई "तमन्नाये दिल कुछ न हासिल हुई, मुल्को अदम जान बासिल हुई।" तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनका मतलब क्या था आखिर जब उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कभी १२ बजे आते हैं, कभी २ बजे और कभी ४ बजे आते हैं, दफ्तर खाली पड़े रहते हैं, जबकि सरकारी नौकर ९।। बजे आ जाते हैं? मैं समझता हूं इसके द्वारा उन्होंने सर्विसेज को एक सर्टिफिकेट दे दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मिनिस्टर लोग तो २४ घंटे काम करते हैं और केवल एक हजार रुपया पाते हैं और जो ३५ सौ रुपया पाते हैं वे केवल ८-१० घंटे ही काम करते हैं। इन दोनों विरोधी बातों को सुन कर मैं नहीं समझ सका कि उनका क्या मतलब है। इस को सुनकर मुझे एक और शेर याद आ गया—

ऐ चमन वालो चमन में यूं गुजारा चाहिये,
बागबां भी खुश रहे राजी रहे सैयाद भी।

एक बार आप एक को अच्छा कह देते हैं और दूसरे को बुरा और दूसरी बार पहले को बुरा और दूसरे को अच्छा।

[श्री नवलकिशोर]

अब जरा स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के कान्क्रीट प्रोपोजल्स की ओर भी आ जाइये। उनकी तरफ से कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाय और दूसरी तरफ से कहा गया कि जनसंघ को बैन कर दिया जाय। एक ने कहा कि वे गद्दार हैं, दूसरे ने कहा गांधी के कातिल हैं। किसकी बात को सही मानें और किस पर अमल करें! भानुप्रताप जी, यादवेन्द्र-दत्तजी भी कहते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाइये और उधर चन्द्रजीत जी भी कहते हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाइये और जो बकाया है उसको वसूल कीजिये। अब दोनों को किस प्रकार से डिफरेंशियेट किया जाय, हम सभी को एक-सा समझते हैं।

एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि इमर्जेंसी के समय पर जिस प्रकार के भाषण आपने दिये इससे आप की मंशा चाहे जितनी अच्छी क्यों न हो लेकिन उससे जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते थे वह प्राप्त होने वाला नहीं है--दुश्मन को उससे बल मिलेगा और देश का मनोबल कम होगा। कभी-कभी ऐसा मालूम होता है जैसे कोई हाई स्कूल पास किसी पी० एच० डी० पाये हुए को चैलेंज करे। जब ऐसा होता है हंसी आ जाती है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके ज्यादा एक दूसरे को चैलेंज करने की कोशिश न करें। किसी से यह कहना कि तुम सन् ४२ में कहां थे या ४६ में कहां थे, और उससे देश भक्ति की दुहाई देना, इस समय शोभा नहीं देता। इस वक्त तो देश इस बात की मांग करता है कि बिना एक दूसरे पर अविश्वास किये हुए हम देश पर आयी हुई कठिन परिस्थिति का मिलकर मुकाबला करें।

जहां तक माननीय उग्रसेन जी का सम्बन्ध है, उनके भाषण को सुन कर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। जब वे यहां के नेता बने थे तो उन्होंने यह कहा था कि मैं अपनी पार्टी की पुरानी ट्रेडीशन्स को कायम रखूंगा। उन्होंने उनको कायम ही नहीं रखा है बल्कि अपने पुराने लीडर को भी वे सरपास कर गये हैं। अगर आप पिछले सालों का इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा कि सोशलिस्ट पार्टी ने अपने आपको एक चीज में जरूर स्पेशलाइज किया है जिसको "न्यूसेंस वेल्यू" (Nuisance Value) कहते हैं।

दूसरी बात यह है कि माननीय नरसिंहनारायण जी मेरे मित्र हैं, उनसे मैं बहुत मुहब्बत करता हूं, उन्होंने एन० डी० एफ० में चाहे कोई योग दिया हो या न दिया हो लेकिन लोगों की गलतियां निकालने या जिसको नैगेटिव या डेस्ट्रक्टिव रुख कहते हैं, उसको उन्होंने अच्छी तरह से अपनाया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था सोशलिस्ट पार्टी को यह मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अपने ऐक्शन्स से वे यहां पर ऐसी स्थिति पैदा न करें जैसी कि योरोप की हिस्ट्री में पहले महायुद्ध के बाद के समय में की गयी थी जिससे फासिज्म और नाजिज्म को बल मिला। उसका सबूत यह है कि जब माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने कहा कि इसमें कोई छिपी बात नहीं है कि हम पंडित नेहरू को हटाना चाहते हैं तो सोशलिस्ट्स और पी० एस० पी० की ओर से थम्पिंग हुई और जब माननीय उग्रसेन जी भाषण कर रहे थे तो स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ की ओर से थम्पिंग हुई।

श्री उग्रसेन--

इसमें क्या छिपी बात है कि आप नेहरू जी की गद्दी को बरकरार रखकर अपनी गद्दी बरकरार रखना चाहते हैं और हम उनको हटाना चाहते हैं।

श्री नवलकिशोर--

मैं माननीय उग्रसेन जी से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गयीं वह एक तरह से समाजवाद के साथ विश्वासघात है और जो हिस्ट्री यूरोप में हुई उसे हिन्दुस्तान में रिपीट न होने दीजिये। जो बातें आप कहते हैं उनके कहने में आपकी

नीयत अच्छी हो सकती है, इसमें मैं शक नहीं करता लेकिन जिस तरह की बातें आप कहते हैं उससे आप जनतन्त्र और समाजवाद दोनों को हिन्दुस्तान में दफन कर रहे हैं और यहां फिरका-परस्त तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं।

माननीय उग्रसेन जी का यह खयाल है कि भाषण दे देने से, और पंडित नेहरू को गाली देने व बुरा भला कहने से देश का मनोबल ऊंचा होगा और चीन भाग जायगा। दूसरा उनका खयाल यह है कि लद्दाख और नेफा में अंग्रेजी हटाओ के पोस्टर्स लगा देने से चीन भाग जायगा।

श्री उग्रसेन—

मैं मास्टर हूं, माननीय मन्त्री जी मुझसे पढ़ें तो मैं उनको बतलाऊं।

श्री नवलकिशोर—

तो मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों से काम नहीं बनता अगर आपको इस देश की हिफाजत करनी है। हमसे कहा जाता है कि आपने क्या किया? हमने पी० आर० ओ० बनाई, साथ ही एन० सी० सी० के एक्सटेन्शन की बात भी की। जब उसका एक्सटेंशन हुआ तब होम गार्ड्स् के बनाने की बात शुरू की जाने लगी क्योंकि इमर्जेंसी में इसकी बहुत जरूरत है और भी सभी कुछ किया पर आपने सिवाय टीका टिप्पणी के कुछ भी नहीं किया। इस थ्योरी से और पंडित नेहरू को गाली देने से कोई काम नहीं चलेगा।

एक बात रावत जी ने कही कि अगर सेविंग हो जाय तो फ्रेश टैक्सेशन की क्या जरूरत है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अगर बजटिंग करने के बाद २५ करोड़ रुपया खर्च होने से रह गया तो उसे हम अन-स्पेन्ट मनी कहते हैं, वह खर्च होने से रह गया, इसलिये वह सेविन्ग नहीं हुई। आप जानते हैं कि साल भर में जिस ग्रांट का रुपया खर्च नहीं होता वह रुपया लैप्स हो जाता है, लिहाजा यहां सेविंग का कोई सवाल नहीं है।

एक बात श्री भानुप्रतापसिंह ने कही जिसका लबोलुबाब यह था कि यह सरकार दो पाटों के बीच में फंसी हुई है, एक तो ब्यूरोक्रेसी और दूसरा नेशनल प्लानिंग कमीशन। उनके कहने का असली मंशा यह था कि स्वतन्त्र पार्टी को एक एपैथी है, एक चिढ़ है नियोजन से, जनसंघ या सोशलिस्ट पार्टी को शायद न हो। वे चाहते हैं कि इस देश के अन्दर नियोजन का काम बन्द हो जाय क्योंकि वे समाजवाद के जो विचार हैं उनको पसन्द नहीं करते हैं। जाब्ते से या बेजाब्ते से पी० एस० पी० व सोशलिस्ट पार्टी का इस वक्त गठबन्धन हो गया है लेकिन जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी इन दोनों की भी एक ही मंशा है कि समाजवादी शक्तियां इस देश के अन्दर कमजोर हों। इन दोनों का यह भी विचार है कि इस देश में राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में कंफ्यूजन पैदा करें लेकिन आपको मैं बतला दूं कि इस तरह से कंफ्यूजन पैदा करके चीन का मुकाबला यदि आप करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं।

माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने मेनन साहब के बारे में एक बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि यादव जी की जिससे ज्यादा मुहब्बत हो जाती है वह बेचारा खतरे में पड़ जाता है लिहाजा मेहरबानी करके अपनी मुहब्बत पर वे थोड़ा कंट्रोल करें।

चूंकि माननीय उग्रसेन जी अगली दफा नेता विरोधी दल बनने के उम्मीदवार हैं, इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे इस पर विशेष ध्यान दें। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश की जो उत्पादन की योजनायें हैं वे कामयाब होनी चाहिये। अगर कहीं लूपहोल हो, बोटलनेक्स हों, तो वे दूर होने चाहिये। उसमें हम और आप मिलकर चलें, केवल लांछन लगाने से मनोबल न बढ़ेगा और न ऊंचा ही होगा। आज की परिस्थिति में देश के नेतृत्व पर विश्वास न करना और उस नेहरू पर विश्वास न करना जो विश्वविख्यात समाजवादी है यह

बात न राष्ट्र को और न जनतन्त्र को मजबूत कर सकती है और न देश को ही आगे बढ़ा सकती है। मुझे आशा है कि माननीय उग्रसेन जी और दूबे जी मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं अपने मित्र माननीय नवल किशोर जी से पूछना चाहता हूं कि पहले वह जिस वक्त इकोनामी पर भाषण देते थे कि यहां का टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस वक्त से अब उन टाप हैवी खर्चों में क्या कमी आई है ?

श्री नवलकिशोर—

मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बुनियादी तौर से मेरे बुनियादी खयालात में कोई तब्दीली नहीं आई है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर अपने विचार प्रकट करने के पहले इस बजट के वाद-विवाद की मेरे ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई है उस को मैं निवेदन करना चाहता हूं। राजनैतिक दलों में बंटकर बैठ जाने के कारण इस सदन के माननीय सदस्य कचेहरी के मुकदमों की तरह से आग्रह और दुराग्रह लेकर अपनी अपनी बात यहां कहते हैं। ऐसी हालत में बजट परवाद-विवाद के लिये जो ५–६ दिन का खर्चीला समय लगेगा उसकी क्या सार्थकता होगी, क्या उसकी उपयोगिता होगी यह एक विचाणीय प्रश्न है। हर काम के और हर व्यय का कोई लाभ और फल होना चाहिये। विरोधी दलों की ओर से जो महत्वपूर्ण बातें आती हों और सचमुच बजट में कुछ त्रुटियों और सरकार की दुर्नीतियों की चर्चा होती हो और वह भले ही अखबारों के माध्यम से जनता में न जाय तो मैं सरकार के लोगों से और मन्त्रियों से आशा करूंगा कि वह उसका खंडन कर दें। यहां कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि विरोधियों के भाषणों में जिन कमियों और आरोपों को बताया जाय उनका विभाग द्वारा लिखित जवाब दे दिया जाया करे और मैं बहादुरी और ईमानदारी तो इस बात में समझता हूं कि अगर अपने से कोई गलती हो जाय क्योंकि अगर सचमुच कोई भगवान् नहीं है तो उससे गलती हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, तो उन को स्वीकार भी किया जाय। इतनी बात आप के माध्यम से सदन के सामने रखने के बाद मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

मान्यवर, इस बजट के सम्बन्ध में मैं अपने को कुछ सीमा के भीतर ही रखकर बातें कहूंगा। क्या समाजवादी समाज की रचना करने के ध्येय और धारणा को लेकर चलने वाली यह सरकार सचमुच में उसी ढंग का बजट रखे हैं क्या उसके बजट में उस की यह मंशा और उसकी यह शक्ल सूरत दिखाई देती है ? इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इन बजट के पाँच खंडों को पढ़कर सचमुच अगर और तथ्य आंकड़े जुटाये जायं तो मैं सदन में जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सरकार की समाजवादी की रचना के ध्येय का भंडाफोड़ हो सकता है। मैं इस सम्बन्ध में इन ५–६ मिनट में केवल एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा और उससे ही इस सरकार की समाजवादी समाज की रचना की पोल खुल जायगी। मैं आप के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरे बाद कोई कांग्रेसी सदस्य का मंत्री जी बोलें तो वह मेरी बात का जवाब दें ताकि मुझे संतोष हो जाय कि मैंने जो इस वाद-विवाद में प्रश्न उठाया था उसका सन्तोषजनक उत्तर मुझे मिल गया। जब बजट की बाहों को थकाने वाली पाचों पोड़ियों को मैंने घर ले जाकर उल्टा तो नई मदों वाले तीसरे खंड को ज्यादा पढ़ने का कौतूहल हुआ इसलिये कि संकटकालीन स्थिति है, इसमें कुछ नई मदें हैं तो जरूर कुछ ऐसी भी मदें होंगी जो राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष तत्परता के साथ सुरक्षा की दृष्टि से इस राज्य के लिये, जिसकी सीमायें चीन से मिली हैं, कुछ संरक्षण के कार्यों का विवरण होगा। इन नई मदों को देखने से एक ऐसा तथ्य मिला जिसको पढ़कर इस राज्य का नागरिक इस सदन का सदस्य और सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा मन ग्लानि से भर गया। वह तथ्य क्या है ? जन-कल्याण का दम्भ सरकार

भरती है और बड़ी-बड़ी बातें करती है, परन्तु जनता के कल्याण की बात तो सरकार क्या करेगी, सरकार के जो कर्मचारी हैं, जनता से भी कहीं अधिक उसके अपने निकट हैं, उनके साथ व्यवहार करने में यह सरकार कहां तक चूक रही है, कहां तक दुर्व्यवहार करती है इसका नमूना उन नई मदों के विवरण में देखने को मिला। विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं में ८९१निम्न वर्गीय पदों पर २२–२७ रुपये के वेतन-क्रम में कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया। ये ८९१ नए कर्मचारी स्थायी किये गये हैं वहीं इस विभाग में बहुत से पुराने कर्मचारी पहले से इसी वेतन-क्रम में होंगे। इस वेतन-क्रम में कौन लोग हैं? चपरासी, अर्दली, चौकीदार, जमादार, मेट, माली, हलवाहा, ट्रक क्लीनर, दुग्धशाला क्लीनर, पानी पिलाने वाला कुली मोची आदि-आदि। दूसरी बात यह है कि जिन निम्न कर्मचारियों का नाम मैंने बताया है यह ही कर्मचारी दूसरे वेतन-क्रम में भी रखे जाते हैं जो २७–३२ रु० का है। इस मंहगाई के जमाने में समाजवादी समाज की रचना करने वाली सरकार के लिये यह २७–३२ का वेतन-क्रम ही लज्जा की बात होनी चाहिये, इसको बढ़ाने के लिये सरकार के अधिकारियों में बेचैनी होनी चाहिये। और उल्टे २२–२७ रुपये का एक और भी निम्न वेतन-क्रम बनाया गया। यह निम्न वर्ग के कर्मचारी जो इतने कम वेतन पर रखे जाते हैं यह बेचारे सरकारी काम ही नहीं करते बल्कि सरकारी काम के बाद अफसरों के बंगलों पर उनके बीबी ,बच्चों की फरमाइश में बेगारी का भी काम करते हैं, दिन रात की पिसाई ये गरीब आदमी करते हैं। कहा जाता है कांग्रेसी राज्य में अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। ऐसा कहने वालों से मैं कहूंगा कि अब वे ऐसा कहा करें—कांग्रेस सरकार जान बूझकर समाजवाद के पर्दे की आड़ से अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करने का पाप कर रही है। ऐसे वेतन-क्रम इस प्रकार के नौकरों को जो दिये जाते हैं हर माननीय सदस्य मानेगा कि कपड़े की दुकान पर, गैर सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में यही काम करने वालों को इतना कम वेतन न दिया जाता होगा। इस वेतन क्रम को देने, जेल पर कितनी निर्दयतापूर्वक नमक छिड़का गया है वह भी इसी खंड ३ में है। २२ से २७ रु० के वेतन-क्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के ८९१ स्थायी होने वाले पदों में ६५८ नियुक्तियां २२–२७ या २७–३२ पर, "जैसा भी सम्भव हो", की जाय। ऐसा संकेत है। इन बेचारे गरीब कर्मचारियों को २२–२७ या २७–३२ के वेतन-क्रम में रखना गरीबों की गरीबी के साथ निर्लज्जता से भरा हुआ लाचारी का सौदा है, मैं इतना ही कहूंगा कि हयादार लोगों के लिये इतना संकेत ही काफी है। अब कोई २२ पर रखा जाय या २७ पर रखा जाय, इसमें सौदा पटाई होगी और घूस लेने और देने का अवसर अपने आप उपस्थित हो जायगा। केवल इन कर्मचारियों के साथ ही ऐसी सौदा पटाई नहीं की गयी है। राजकीय रोडवेज विभाग में ५३५ बस कंडक्टरों को ४०–७० या ६०–१००, "जैसी भी स्थिति हो" उस वेतन-क्रम में स्थायी करने की छुट उस विभाग के अफसरों को दी गयी है। २० रुपये महीना का फर्क है, निश्चित रूप से बिना घूस लिये अफसर उनको ६०–१०० के ग्रेड में नहीं रखेंगे। इसके अलावा जो १६८ कर्मचारियों को विशेष वेतन के तौर पर ५ रुपये महीना देने की बात है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जब ५ रुपये विशेष वेतन के रूप में देना ही है, तो इसे स्थायी वेतन बढ़ाकर देना था। शायद यह इसलिये है कि जब अभी कटौती करने की जरूरत होगी, तो इन १६८ कर्मचारियों के ये ५ रुपये काट कर भी बचत कर ली जायगी।

श्रीमन्, २२ रुपये से कम वेतन के भी लोग हैं, २० रुपये पाने वाले और वे हैं राजकीय रोडवेज विभाग के मोची। ये बेचारे अछूत जाति के हैं इसलिये सोचा गया कि इन के वेतन में २ रुपये की और कटौती कर ली जाय। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, एक अपराध अनुसन्धान विभाग है, उसमें २,५०० रुपये सात सेक्ट्रों के ७ चपरासियों के लिये रखा गया है। हिसाब लगाने से साढ़े २७ रुपया महीना आता है। ये लोग चपरासगिरी के साथ-साथ फर्राश और पानी पिलाने का भी काम करेंगे। हमारे पूरब में एक कहावत है कि 'मंगनी का बरधा अंजोरिया रात'। यानी मंगनी का बैल हो और उजियाली रात हो तो बेचारे बैल को दिन में भी जोतो और रात में भी जोतो। वैसे ही इन गरीब आदमियों से मंगनी के बैल की तरह दोहरा, तिहरा काम लिया जाता है।

[श्री रघुनाथ सिंह]

जो ६१ अनुदानों में स्थायीकरण की बात कही गयी है उसमें बढ़ोत्तरी वगैरह के कारण जो अधिक पैसा लगेगा उसकी कटौती कैसे की गयी है यह और भी शर्मनाक है। इसमें लिखा है कि, "इन स्थायी कर्मचारियों के लिये की जाने वाली धन व्यवस्था में तदनरूप कमी कर दी गयी है।" और वह कैसे की गयी है इसका स्पष्टीकरण एक जगह कर भी दिया गया है जो इन सभी ६१ अनुदानों पर कदाचित लागू होगा। ऐशबाग, लखनऊ में जो एक नवीन राजकीय मुद्रणालय है वहां कर्मचारियों का स्थायीकरण दिया गया है। इसमें जो १६,८०० रुपये के अधिक खर्चे की बात आयी है उसकी पूर्ति ६०-१०० रुपये के ग्रेड वाले नैत्यक लिपिकों के १५ पदों को समाप्त कर के की गयी है। जब यह सरकार समाजवादी समाज की रचना की बात करती है और जैसा कि अभी-अभी हमारे उपगृह मन्त्री जी ने हमारे नेता उग्रसेन जी को चेतावनी दी है दर्द भरे शब्दों में कि जनतंत्र की कब्र सोशलिस्ट पार्टी खोदेगी किन्तु सच तो यह है कि इस प्रकार से गरीबों का शोषण करके अपने पापों के द्वारा इन गरीबों की आह को धोंकनी बनाकर उसमें समाजवाद और कांग्रेस को भस्म किया जा रहा है। हमारा निवेदन है कि जब आप समाजवादी समाज की रचना की घोषणा करते हैं तो यह होना चाहिये कि जिस देश में युग युग से आदमी को गरीब और नीच बनाकर दोहरे शोषण द्वारा दबाया गया है उसको विशेष सुविधायें देनी चाहिये। अगर विशेष सुविधायें नहीं दे पा रहे हैं और आपका वर्ग स्वार्थ-बाधक हो गया है तो कम से कम उनको समान अवसर और सुविधायें तो प्रदान करें। आप शारीरिक परिश्रम का महत्व नहीं मान रहे हैं। जो चौकीदार और माली आदि शारीरिक परिश्रम करते हैं उसको आप महत्व नहीं दे रहे हैं। सरकार तो बाबूगिरी को और शिक्षा को बड़प्पन को महत्व दे रही है यह दुर्नीति आपको डुबा देगी। जैसा कि कल माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि इस समाजवादी शासन को देखकर तो हमें घृणा हो रही है, हमारा विश्वास उठ रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि ईमानदारी से समाजवादी व्यवस्था को आप चलाने की कोशिश करें, अन्यथा कह दें कि आपसे ऐसी क्रान्तिकारी व्यवस्था नहीं चलती है और आप इस लायक नहीं है। आप तो अपने पाताल में जा ही रहे हैं समाजवादी वाम पक्ष के और लोगों को भी अपने साथ ले डूबेंगे। जैसे कहा भी गया है "ले एक पापी डूबता है नाव को मंझधार में।" आप अपने साथ अपने पट्टीदारों समाजवादियों का भी दिवाला निकाल दे रहे हैं या तो आप सही माने में समाजवादी समाज की रचना करें अन्यथा उसकी बात करना छोड़ दें।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बजीरे खजाना मुअज्जिज पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने इस बजट को पेश किया है, यह निहायत ही मौजूं बजट है, खेती के बढ़ाने के खयाल से काश्तकारों की जिन्दगी के मियार को ऊंचा उठाने के खयाल से, जमीन को जरखेज करने के खयाल से, उत्पादन बढ़ाने के खयाल से, अच्छे बीज मुहैया करने के खयाल से और पशुपालन के खयाल से यह मुतावाजन मौजूं बजट है। इसमें सनअत और बिजली को मुल्क में बढ़ाने के लिये भी काफी रकम रखी गई है और मौजूदा हंगामी जरूरत को देखते हुए मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स भी बढ़ाये हैं। इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देती हूं।

तालीम को ले लीजिये। इंजीनियरिंग की तालीम के लिये दो लाख रुपये से बढ़ाकर इस बजट में ५ लाख रुपया रखा गया है और मेडिकल तालीम में २५ फीसदी दाखला में बढ़ाने का इन्तजाम किया गया है। प्रदेश के जो पिछड़े जिले और पिछड़ा एरिया है उसमें साइंस की तालीम बढ़ाने के लिये खास इन्तजाम किया गया है और इसी के साथ साथ प्रदेश में फौजी तालीम पर भी काफी जोर दिया गया है। पी० ए० सी० और एन० सी० सी० में इजाफा करने की बात कही गई है इसके लिये हम सरकार के शुक्रगुजार हैं।

इस तरह से हमारा यह बजट हमारी सारी जरूरियातों को पूरा करता है। यह हकीकत है कि हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में तालीम में, तालीम सनअत में और बिजली में पिछड़ा हुआ है और हमारे यहां की फी कस आमदनी दूसरे प्रदेशों से कम है। अब हमें यह तय करना है कि हमें तरक्की करना है या पिछड़े ही बने रहना है। इसी तरक्की करने वाले बजट में, ४ करोड़ ९७ लाख रुपये का खिसारा है। यह हर बजट में होगी जो तरक्की करने के रास्ते पर जा रहा होगा इस वक्त अगर हमें तरक्की करना है तो इस खिसारे को हर तरीके से पूरा करना है। यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि योजनायें गरीबी और टैक्स बढ़ाने के लिये हैं इस से उनके खोकल समाजवाद और झूठे सोशलिज्म की कलई खुल गई है यह बात स्वतन्त्र पार्टी और जन संघ को तो एक हद तक जेब भी देती। लेकिन यू० एस० पी० का ऐसी गैर जिम्मेदराना बात कहे तो उसे पार्टी को माफ नहीं करना चाहिये और अविश्वास का प्रस्ताव अपने नेता के खिलाफ लाना चाहिये।

हां मैं इस बात से सहमत हूं कि Land Surcharge Revenue Act वापस ले लिया जाय और अब जब की भानुप्रताप जी ने मंजूरी भी दे दी है तो हमारी सरकार को देर नहीं करनी चाहिये और राजाओं पर और ताल्लुकेदारों पर तीन गुना लगान बढ़ा देना चाहिये, नहीं तो यह तय कर लेना चाहिये कि हमें आगे नहीं बढ़ाना है और भारतवर्ष के और प्रदेशों के मुकाबिले में पीछे रहना है। हमारे यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री उग्रसेन जी ने कहा कि यह हमारी योजनायें गरीबी बढ़ाने के लिये हैं। यह एतराज स्वतंत्र पार्टी या जनसंघ करता तो एक हद तक बजा था लेकिन वे तो सोशलिज्म को मानने वाले हैं। उनके लिये यह जेबा नहीं देता कि वे योजनाओं पर एतराज करें। इस एतराज से तो उनके झूठे सोशलिस्ट होने के दावे की कलई खुल गयी है और मैं तो सोशलिस्ट पार्टी से यह कहूंगी कि अपने नेता के खिलाफ नोकान्फीडेन्स पास करके उनको हटावें। सोशलिस्ट होकर यह कहे कि वह योजनाओं में विश्वास नहीं रखता। या तो सोशलिस्ट नहीं है या फिर योजनाओं में विश्वास रखना होगा। दोनों बातें नहीं हो सकती एक साथ और इसलिये उनके खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी को ऐक्शन लेना चाहिये।

जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी भी दावा करती हैं कि हम किसानों के बड़े हमदर्द हैं। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों की हमदर्द नहीं गांधी जी के कातिल गोडसे के अलमबरदार चले हैं देश भगती का दावा करने और कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस किसानों का खून चूस रही है वह कांग्रेस जो हमेशा से किसानों की हमदर्दी करती चली आयी है उस पर इल्जाम लगाते हैं और खुद ताल्लुकेदार और राजाओं की पार्टी हैं। तो यह सारी बातें लोगों को एक्स्प्लायट करने के लिये हैं। लेकिन जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वह कैसे जनता के, किसानों के हो सकती हैं—

"उम्र तो सारी कटी इश्केबुतां में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमां होंगे!"

भानुप्रताप जी ने कहा कि तालुकेदारों पर तिगुना टैक्स लगाना चाहिये। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि फौरन इस पर अमलदरामद करना चाहिये क्योंकि अब भानुप्रताप जी ने भी इसका समर्थन किया है।

जनता ने अपोजीशन को इसलिये भेजा था कि वे कोई कंस्ट्रक्टिव तजवीज देंगे लेकिन सारी की सारी अपोजीशन की पार्टियां इस काम में बिलकुल गाफिल हैं। सिवाय एतराज करने के कि प्लानिंग में बुराइयां, पुलिस में खराबियां हैं, नेकरान शर्मा जी ने तो पी० डब्ल्यू डी० के लिये कहा कि उसमें बहुत करप्शन है। मैं यह मानती हूं कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन उतना सुधरा हुआ नहीं है जितना होना चाहिये लेकिन संजीदगी के साथ कोई तजबीज नहीं आयी। बस हारे का हथियार एक ही है सिर्फ एक ही बात पर बहुत जोर था कि साहब मिनिस्ट्री कम कर दीजिये। मिनिस्ट्री बहुत लम्बी है। अगर मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है तो ऐडमिनिस्ट्रेशन की खराबी का सवाल पैदा नहीं होता है और ऐडमिनिस्ट्रेशन अगर वाकई खराब है तो मिनिस्ट्री कम करने

[बेगम किश्वर आरा]

से और खराब हो जायगा। तो यह दोनों मुतजाद बातें कही जाती हैं। इन्हीं वजह से मैं कहती हूं कि अपोजिशन इस तरीके को छोड़ दे वरना जनता का एतमाद टूटता जा रहा है और जो बाई एलेक्शंस अप्रैल में होने वाले हैं उनमें एक भी सीट आपोजिशन को नहीं जायगी, सब सीटें कांग्रेस में आने वाली हैं, क्योंकि जनता जानती है कि आपोजिशन में सिर्फ हल्ला मचाने वाले बैठे हैं। जनता उनसे नाराज है क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो बिला लिहाज मजहब और मिल्लत हर फिरके और हर तबके इंटरेस्ट को रिप्रजेन्ट करती है। गांधी जी ने कहा था कि "Congress is the only party which represents the interest of all." बकौल गांधी जी के बाकी सब पार्टियां कोई राजाओं को रिप्रजेंट करती हैं, कोई मजदूरों को रिप्रजेन्ट करती हैं, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर फिरके और पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रजेन्ट करती है, यही हमारी कांग्रेस की कामयाबी की वजह है। इसी वजह से आप हमको हरा नहीं सके।

जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं।
हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं ।।

भानुप्रतापसिंह जी ने कहा कि जनता से चन्दा जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। यह बिलकुल गलत बात है। गवर्नमेन्ट की यह हिदायत है कि किसी से जबरदस्ती चन्दा न वसूल किया जाय। सरकार जबरदस्ती चन्दा तो वसूल नहीं कर रही है लेकिन जरूरत है कि इन सरमायादारों से जबरदस्ती वह रकम वसूल की जाय जो उन पर बकाया है। हमारे गरीब जवान ने और दरमियानी तबके ने अपनी हैसियत के मुताबिक काफी चन्दा दिया। लेकिन सरमायादार तबके से जितनी उम्मीद थी उतना उन्होंने चन्दा नहीं दिया। जरूरत इस बात की है कि उन पर रकम मुअइयन करके जबरदस्ती वसूल किया जाय। खिसारे के बजट को सरमायादारों पर टैक्स लगा कर पूरा किया जाय। स्वतंत्र पार्टी के एक साहब ने कहा कि कांग्रेस की फारेन पालिसी गलत है। पंडित नेहरू की फारेन पालिसी फेल हो गयी है। मैं कहती हूं कि उनकी राय गलत है, उनकी बात गलत है, उनका ऐतराज गलत है। हमारी फारेन पालिसी बिलकुल सही है। आज बावजूद इसके पाकिस्तान सीटो और सेनटो का मेम्बर है, लेकिन जिस वक्त चीन ने हम पर हमला किया उस वक्त हम को मदद मिली और बावजूद इसके कि चाईना बारसा पैक्ट का मेम्बर है चाइना को सोशलिस्ट मुल्कों से और खासकर रूस से मदद नहीं मिली। यह पंडित नेहरू की फारेन पालिसी की कामयाबी का नतीजा है कि चीन ने एक तरफा जंग बन्द कर दिया और दूसरी तरफ जनता की राय आम्मा हमारे साथ है। हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यह है कि दुनिया की राय आम्मा हमारे साथ है।

आज हमारा देश हंगामी हालात में मुब्तला है। चीन के हमले ने हिन्दुस्तान के अवाम को झंझोर कर रख दिया। चीन के हमले में सारी कौम बेदार हो गयी है। चीन ने आज हमें बता दिया है कि हमें क्या करना चाहिये।

बेकस के दोश पे एक बोझ था बारे उम्मीद।
मरहबाये ऐ यास तू वह बोझ हल्का करा दे ।।

लेकिन जो मुसीबत हम पर पड़ी है वह कोई नयी मुसीबत दुनिया के लिये नहीं है। दुनिया के हर मुल्क पर इससे कमोवेश मुसीबत पड़ती रही है और कामयाबी उसी कौम को नसीब हुई है। जिसने इस्तकलाल और जवांमर्दी से बेरूनी दुश्मनों का मुकाबला किया। दूसरी जंग में इंग्लिस्तान की सब हिम्मत पार्टियां बाहमी इख्तलाफ भुला कर दुश्मन का मुकाबला करने के लिये एक हो गयीं थीं और आखिर में उनको कामयाबी हुई। तो मैं अपोजीशन के जहीन दिमागों से अपील करूंगी कि देश की आजादी और सालिमियत के नाम पर और कौमी यकजहती के नाम पर इसे मुखालिफत बराय मुखालिफत के उसूल को छोड़ दे और आईडियालोजी के नाम पर ऐब जूई के सवाल को बसे पुश्त डाल दें। यह मसला देश के लिये विकार और साख का है। इस अजीम देश

के नाम पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है । जहां तक हुब्बुल वतनी का ताल्लुक है इसमें हाउस का कोई मेम्बर किसी दूसरे से कम नहीं है। मेरी अपील उसी हुब्बुल वतनी के नाम पर है और मुझे उम्मीद है कि यह मेरी अपील रायगां नहीं जायगी । आज अहमियत इस बात की नहीं है कि हम तेज चलें या आहिस्ता बल्कि इस बात की है कि कदम से कदम मिलाकर चलें और मेहनत करें ।

उठो वगर न हश्र नहीं होगा फिर कभी ।
दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया ।।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से १९६३–६४ के बजट पर वाद-विवाद हो रहा है। मेरी भी दो रोज से यह इच्छा थी कि मैं कुछ इस पर कहूं । आज अन्तिम समय में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हमारे इस देश में जब हमारे देश के ऊपर हमला हुआ तो सभी पार्टियों के लोग एक मत होकर के उसके मुकाबिले के लिये तैयार हो गए और जो भी विवाद उस वक्त के सदन में चल रहे थे, उसको पीछे छोड़ दिया । यहां तक कि लगान बढ़ने के संबंध में जनसंघ का सत्याग्रह हो रहा था , सौ डेढ सौ या दो सौ आदमी रोजाना जेल में जा रहे थे जनसंघ ने फौरन अपने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और दुश्मन के मुकाबिले के लिये जैसा कि अभी मुझसे पहले बोलने वाली देवी जी ने कहा कि कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तो हमने कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू किया । मैं यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे यहां रोज इस बात की बहस होती रही है और यह कहा जाता रहा कि लड़ाई की बात यहां क्यों कही जाती है, यह तो सेंटर का विषय है, लेकिन वह कही इसलिए जाती है कि हमारे सूबे की सीमा चीन से मिल रही है, इसलिए हम उस विषय में बातचीत करते हैं ।

मैं पहले सरकार के बजट के बारे में नहीं कहूंगा । पहले युद्ध और चन्दे के बारे में कहना चाहता हूं । हर एक आदमी यहां अवकाश होने पर अपने-अपने हल्के में गया और इस कोशिश में रहा कि ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करे । गुप्ता जी की चिट्ठी मुझे मिली कि आप धनसंग्रह के बारे में अपने जिले के कलेक्टर साहब से मिलकर के कार्य करें । मैंने अपने जिले में देखा, पता नहीं सरकार के कोई गुप्त आर्डर थे या क्या तरीका था कि वहां पर बड़े जोर से धनसंग्रह का काम हुआ । हर डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार अपने-अपने हल्के में धनसंग्रह में लगे हुए थे। मेरे जिले में चार तहसीलें हैं। तीन से ५ लाख रुपया इकट्ठा हुआ । जिस तहसील से मैं आया हूं उस हल्के में लगान के बराबर किसानों से पैसा जबरिया वसूल किया गया । वहां चकबन्दी हो रही है , ५ लाख उस हल्के से वसूल किया गया और जबर्दस्ती वसूल किया गया । मेरे पास उसके प्रमाण हैं, मैं दिखला सकता हूं । यदि किसी किसान पर १०० रुपया लगान था तो १०० रुपया ही उससे लिया गया और किसान ने इसलिये दिया कि उसको भय था कि हमारा चक खराब कर दिया जायगा । जो वहां के सबसे बड़े चकबन्दी के अफसर थे उन्होंने उनसे कहा कि अगर इतना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा चक खराब कर देंगे , जमीनों के टुकड़े कर खराब कर देंगे । तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं मैं किसी भी विरोधी पार्टी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, कोई भी पार्टी या कोई किसी भी पार्टी का आदमी ऐसा भी हो जो अपने देश की स्वतंत्रता न चाहता हो, जो यह चाहता हो कि हमारा देश इस वजह से कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता है, दुश्मन के हाथ चला जाय कोई ऐसा आदमी नहीं है। कांग्रेस के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस वाले यहां हमेशा प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं प्रजातंत्र कांग्रेस कभी रही ही नहीं । वह तो फासिस्ट जमात हमेशा से रही है । मैं इसको सिद्ध किये देता हूं । हमारे देश में कांग्रेस में जब कभी निजी चुनाव होते थे तो गान्धी जी एक साल पहले ही कह देते थे कि अगले वर्ष कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट अमुक व्यक्ति होगा । जब पंडित जवाहरलाल नेहरू दो बार कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हुये तो सुभाषचन्द्र बोस उसके बाद कांग्रेस प्रेसीडेन्ट हुए । हिन्दुस्तान के नवयुवक चाहते थे कि जिस तरह से जवाहर लाल जी दो साल प्रेसीडेन्ट रहे उसी तरह सुभाषचन्द्र बोस भी दो साल तक प्रेसीडेन्ट रहें । लेकिन गान्धी जी ने पहले ही घोषणा कर दी डा० पट्टाभि सीतारमैया अगले प्रेसीडेन्ट होंगे। लेकिन जब

[श्री श्रीराम]

सुभाषचन्द्र बोस उसके लिए अड़े रहे और कांग्रेस प्रेसीडेन्ट का चुनाव हुआ जिसमें वह विजयी हुए तो गान्धी जी ने कहा कि यह मेरी नैतिक हार है, पट्टाभि की हार मेरी नैतिक हार है। उसका नतीजा क्या हुआ ? जब कांग्रेस का त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ तो इस प्रदेश के स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने एक एक कैम्प में जाकर कन्वेंसिंग किया और १०५ के टैम्परेचर में सुभाषचन्द्र बोस के खिलाफ पन्त जी ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा और उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया गया। इसके कारण ही हमारे देश भक्त सुभाष चन्द्र बोस को देश से बाहर जाना पड़ा और उनकी इस कांग्रेस ने हत्या की। यह इल्जाम कांग्रेस वालों के ऊपर ही है।

मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं। यह कांग्रेस फैसिस्टवादियों की जमात है यह इस बात से भी जाहिर होता है कि जब यहां पर इस पार्टी के अन्दर आपस में झगड़ा होता है तो यह देश का क्या भला कर सकती है ? सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब यहां संपूर्णानन्द मिनिस्ट्री समाप्त होने वाली थी तो उस समय गिरधारीलाल जी मुख्य मंत्री पद के लिये खड़े हुए थे। उस समय वह मुख्य मंत्री होने वाले थे। उनको सब लोग चाहते थे। जवाहरलाल ने कहा कि मैं उनको नहीं चाहता हूं। मैं गुप्ता जी को चाहता हूं। उन्होंने पन्त जी से कहा कि जाओ और चौधरी गिरधारीलाल को मना करो। यह मेरी इज्जत का सवाल है। पन्त जी ने कहा कि अब मेरा उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है। जवाहरलाल जी कहने लगे कि पन्त जी, अगर आपका प्रभाव नहीं है तो मैं जाता हूं। फिर उसके बाद पन्त जी को यहां आना पड़ा। पन्त जी ने यहां आकर कहा कि इसमें हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी की इज्जत का सवाल है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। तब उनकी बात को माना गया। तो अब यह जनतान्त्रिक जमात कैसे रह गई ? जबरदस्ती गुप्ता जी हमारे प्रदेश के ऊपर थोप दिये गये। प्रजातान्त्रिक तरीका वह था कि यहां पर जब चौधरी गिरधारी लाल जी चीफ मिनिस्टर होने वाले थे तो उनको बनाया जाता। उनको नहीं बनाया गया तो इसी कारण यह फासिस्टवादियों की जमात है और देश को फासिस्टवाद की तरफ ले जा रही है और उसकी तरफ ले जाने का उसका यही तरीका है कि अपोजिशन के मुंह को बंद कर दो। विरोधियों से कहा जाता है कि तुम सब गलत बात कहते हो और कांग्रेस वाले ठीक बात कहते हैं। दुनियां के हर एक मुल्क का यह कायदा है कि कहीं एक ही पार्टी जीतकर आती है तो यह सरकार बनाती है लेकिन उस सरकार को सही रास्ता दिखाने के लिये अपोजिशन बनाया जाता है। यहां पर अपोजिशन का कोई आदमी कोई बात कहता है तो चाहे कितना ही जिम्मेदार आदमी क्यों न हो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। वैसे तो अब अपोजिशन को कहने के लिये कुछ बाकी नहीं रह गया है। जगनप्रसाद रावत जी, विष्ट जी और विकल जी ने सब कुछ कह दिया है। किसी के लिये अब कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। यह बहुत गहरी बात है। यहां पर उन्होंने सारा निचोड़ निकाल कर रख दिया है। उनकी बात भी यही जाहिर करती है कि कांग्रेस फासिस्ट-वादी जमात है और देश को फासिस्टवाद की तरफ ले जा रही है। मंत्री लोग अपने जिले में जाते हैं और कहते हैं कि हम हुकूमत वैसे ही थोड़े सम्भाले हुए हैं। हुकूमत के लिये जांग मजबूत होनी चाहिये। शासन के जो कर्मचारी हैं वह तो घोड़े हैं और हम लोग सवार हैं। सवार की जांग मजबूत होनी चाहिये कि वह घोड़े को दबाये रखे आज यह घोड़ा दबाकर रहे हैं। यह जो सरकार की सारी मशीनरी है वह सरकार के इतना खिलाफ चल रही है वह इनका कहना नहीं मान रही है। वह मिनिस्टरों का भी मजाक उड़वाते हैं। वह कहते हैं कि मिनिस्टर साहब आये थे या डिप्टी मिनिस्टर साहब आये थे हमारा इतना रुपया खर्च हो गया। इतना बासमती चावल, इतना घी, पुलाव और जरदा में दाम खर्च हो गया तो क्या करेप्शन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या ? उनको मजबूरन करेप्शन करना पड़ता है। एक बात भी अगर अपोजिशन कहता है तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। इसी कारण मैंने कहा कि फैसिस्टवाद आ गया है और यह उसकी जमात है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह बजट जो बनाया गया है उसमें किसी एम० एल० ए० के कहने से कोई सड़क रखी गई है और किसी

एम० एल० ए० के कहने से दूसरा काम उसके जिले में रखा गया है । कहां पुल बने, कहां सड़क बने यह सब पार्टी के लोगों के कहने के अनुसार रखा गया है। यह बजट पार्टी लाइन पर बना है। अपोजिशन के कहने पर कोई काम नहीं रखा जाता है । अपने प्राइवेट सेक्रेटरी और पी० ए० से मंत्री लोगों ने कह रखा है कि अपोजिशन का काम बिल्कुल मत करो । जितने ट्यूबवेल या सड़क बनाने के लिये कार्यक्रम रखा गया है वह बिलकुल अपने लोगों के कहने पर ही रखा गया है । मैं नवलकिशोर जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस सदन में पुलिस के विषय में रोजाना गलत जवाब देकर उनको बढ़ावा देते हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संपूर्णानन्द जी की मिनिस्ट्री में जब गलत तरीके से एक थानेदार एक मुल्जिम के साथ ४ लड़कियों को पकड़ लाया तो उस वक्त क्या क्या कार्यवाही हुई ? उन चार लड़कियों में २ गर्भवती थीं। उन चारों के साथ बलात्कार किया गया । थानेदार ने मजाहमत की, रिपोर्ट एस० पी० को की । उस समय जो वहां के एम० एल० ए० थे शिवकुमार शर्मा, मैंने उनसे कहा कि आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ है आपके एम० एल० ए० होते हुए, आपको डूब मरना चाहिये । यहां पर भी उस पर प्रश्न उठा था । उस सिलसिले में माननीय मुजफ्फर हसन साहब को जांच के लिये भेजा गया था । जब यह बेचारे गये तो रास्ते में कार उलट गयी । कलेक्टर के अर्दली का हाथ टूट गया । एक ही रात में वहां थाने का रोजनामचा ही बदल दिया गया, जाली अंगूठा आदि लगाये गये । इसकी जब जांच खुफिया पुलिस ने की तो यह बात सही पायी गयी और उस थाने के सब आदमियों को जेल भेज दिया गया । मैं आपको बतलाऊं, बिजनौर में एक आदमी बैलों की चोरी का काम करता था । उसमें उसको जेल हुई । उसने एक मिनिस्टर को फूलों के साथ नोटों की गुथी हुई एक माला पहनाई । तब से मिनिस्टर साहब उसके यहां आने जाने लगे । उन्होंने कहा कि अब उसकी हालत में सुधार हो गया है ।

श्रीमन्, अफजलगढ़ के पास २१ लाख की लागत का एक पुल बना हुआ है । अब उसी के पास एक पुल और बनाया जा रहा है । उसकी क्या जरूरत है ? एक आदमी के फायदे के लिये १ लाख ६५ हजार की लागत से दो मील की एक सड़क बनाई जा रही है उसके फार्म तक जाने के लिये । इसकी क्या जरूरत है ? हमारे माननीय चन्द्रभानु गुप्त का अर्थ होता है चन्द्र माने शीतल, और भानु माने सूरज । सूरज का काम यह होता है कि वह जलाशयों से जल को उठाकर ऊपर आकश में ले जाय और उसको शीतल करके जहां उसकी जरूरत हो वहां उसको वर्षायें । मगर यहां तो जो उनके एम० एल० ए० कहते हैं वहीं उसकी वर्षा होती है। सब जगह नहीं होती । और अगर कहीं वह गुप्त हो जाय, तब तो सब चौपट ही हो जाय, अंधेरा हो जाय ।

अब दो शब्द मैं पशुपालन पर कह दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बजट पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं । तीन दिन से भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने भी, बजट का विश्लेषण किस प्रकार किया जाय, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया । वास्तव में किसी देश या प्रदेश के बजट पर विचार करने के समय उसके प्रमुख ५ अंगों पर विचार करना होता है आनुकूल्य सहिष्णुतापूर्ण व्यापकता, ग्रहणशीलता, संचरणशीलता तथा सर्वांगीणता ।

आनुकूल्य बजट का वह अंग है जिसके अन्तर्गत हम यह देखते हैं कि इस बजट में यह क्षमता है या नहीं कि उसमें परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन हम कर सकें । चीनी आक्रमण के कारण आज हमारे देश में एक विशेष परिस्थिति उदय हुई है इस कारण हमारे यहां सुरक्षा का प्रबंध किया गया और उसके लिये ७,०९,३२,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी । दूसरे एक और बात है वह यह कि ऐसे समय में जनता का मनोबल किस प्रकार से ऊंचा हो । उसका सबसे बड़ा साधन हमारी कृषि है । कृषि पर इस बजट में प्रमुख रूप से बल दिया गया है । जिससे

[श्री राजनाथ सिंह]

किसानों में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हो तथा आत्मोत्सर्ग की भावना जाग्रत हो । इसलिये कृषि के लिये बजट में कुल योजना व्यय का ४२.२ प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

दूसरी चीज बजट के लिये होती है सहिष्णुतापूर्ण व्यापकता । सरकार ने उन विषयों की उपेक्षा नहीं की है जो योजना से संबंधित हैं, जिनका जनहित से सीधा संबंध है तथा कुछ नये विषयों का भी समावेश किया गया है और उनमें सामंजस्य और समन्वय को स्थापित करने के लिये प्रयत्न किया गया है ।

तीसरा विषय ग्रहणशीलता है । बजट में यह क्षमता होनी चाहिये कि वह परिस्थिति के अनुकूल नये तत्वों का समावेश कर सकें और किसी ऐसे विषय की उपेक्षा भी न हो जाय जो आवश्यक हो। यही कारण है कि परिस्थिति के अनुकूल सुरक्षा कार्यक्रम को बल देने के लिये प्राविधिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है । इतना ही नहीं प्राविधिक शिक्षा को योजना का एक महत्वपूर्ण अंग मान लिया गया है ।

चौथी चीज संचरणशीलता है । इसका तात्पर्य यह है कि उसमें ऐसी योजना हो जिससे देश या प्रदेश की जनता को आगे बढ़ने के लिये मार्ग प्रशस्त होता हो । उसके विकास के लिये मार्ग प्रशस्त करें जिससे उस मार्ग पर चल कर अपने मनोबल को बढ़ाने के साथ अपना आर्थिक विकास भी कर सकें। इसमें हमने जो सुरक्षा की व्यवस्था की है उसके बल पर हमारे प्रदेश की जनता में पराक्रम और महत्वाकांक्षा बढ़ाने में योगदान होगा। इतना ही नहीं बल्कि उनमें नये उत्तरदायित्व को ग्रहण करने की प्रेरणा है । तो यह एक सहज संचरणशील बजट है जो संतुलित और स्तुत्य है । इसके अतिरिक्त हमारे बजट में सर्वांगीणता है । उसका तात्पर्य है कि हमारे बजट में सभी अंग पुष्ट और स्वस्थ्य हैं जिन पर जनता का विकास अवलम्बित होता है । हमारे बजट में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सारी शक्तियों के विकास का प्राविधान है। जैसे एन० सी० सी० को प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य कर दिया गया है जो हमारे शारीरिक विकास का एक प्रधान साधन है । होम गार्ड्स, पी० ए० सी० का भी संगठन हो रहा है और वह हमारे शारीरिक विकास का एक अंग बना दिया गया है ।

जहां तक मानसिक शक्तियों के विकास का सम्बन्ध है, विज्ञान और प्राविधिक शिक्षा पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है ताकि हमारे प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़े और उसकी मानसिक शक्तियों का विकास हो ।

जहां तक आध्यात्मिक शक्तियों के विकास का सम्बन्ध है, इस बजट में हरिजनों व पिछड़ी जातियों के कल्याण की परिकल्पना की गयी है और उसके लिये व्यवस्था की गयी है। बृद्धों के लिये पेंशन की व्यवस्था की गयी है युद्धरत या युद्ध में मृत सैनिकों के बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, यह हमारा एक आध्यात्मिक अंग है । इस प्रकार हमारे इस प्रस्तुत बजट में पांचों अंग पूर्ण रूप में उपस्थित हैं और उनकी जो विवेचना की गयी है वह स्तुत्य है क्या सामयिक है। इसके साथ ही साथ जहां हमको बजट की कुछ विशेषताओं का विश्लेषण किया है वहां मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान उन बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि हमें खटकने वाली हैं ।

पूर्वी जनपद के आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया की तरफ में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उन पूर्वी जनपदों में आज भी निर्धनता का नग्न तांडव हो रहा है । माननीय वित्त मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं जिन्हें यह देखने का अवसर मिला होगा । मैंने सभी जनपद देवरिया, जौनपुर, व आजमगढ़ का अवलोकन किया है लेकिन गाजीपुर का वह क्षेत्र जहां से मैं आया हूं वह शादियाबाद है वहां का एक नग्न चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं । अभी प्लानिंग कमीशन गाजीपुर में गया था वहां प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य ने कहा कि स्वाराज्य हुये तो १५ साल हो गये लेकिन स्वराज्य का कोई चिह्न इस जनपद में नहीं देख पाता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस क्षेत्र शादियाबाद से मैं आया हूं वहां आप मेरे साथ हरिजन बस्ती में

चलिये, वहां लोग भूखे नंगे मर रहे हैं । जहां किसी के दरवाजे पर चारपाई पर आप बैठें तो आज भी वहां गोबर है अनाज को पायेंगे, जिस पर वे अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं । इतना ही नहीं आज चोटे पर वे अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं और दिन प्रति दिन उनकी परिस्थिति बिगड़ती जा रही है । इस बजट में उसी पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक श्रमिकों का संबंध है माननीय वित्त मंत्रीजी जानते हैं कि पूर्वी जनपद में श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दो आना से चार आना तक दिया जाता है । प्लानिंग कमीशन ने इसकी विशेष जांच जब कि बुजुर्गों और हंसराजपुर इन दो गांवों में की तो वहां के मजदूरों ने स्पष्ट शब्दों में उनसे बतलाया कि हमें दो आना से चार आना तक मजदूरी मिलती है । और हम आज के दिन भी चोटे और गुबरहे पर गुजर करते हैं ।

जहां तक यातायात का संबंध है वह तो पूर्वी जनपद में नगण्य सा है । शादियाबाद जहां का मैं प्रतिनिधि हूं वहां आज तक एक इंच भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है । इसका परिणाम यह होता है कि बरसात में या दूसरे दिनों में यदि कोई बीमार पड़ता है तो वह घर में तड़प तड़प कर मर जाता है क्योंकि वहां कोई साधन नहीं है जिससे किसी औषधालय तक पहुंचाया जा सके । आजकल जब हमारे इन पूर्वी जनपदों में मलेरिया और चेचक उन्मूलन के अभियान होते हैं तो वहां भी जनता इन अभियानों के सम्बन्ध में यह कहती है कि आप लोग व्यर्थ ही यहां यह मलेरिया और चेचक उन्मूलन के अभियान करते हो अच्छा होता कि इन बीमारियों के सारे कीटाणु इन जनपदों में छोड़ दिये जाते ताकि यों दिन प्रतिदिन मर-मर कर भूखे मर कर जीने से हमें छूटकारा मिल जाता और एक साथ ही हम मर जाते । यह वहां की दशा है । जब बजट में मैंने अध्ययन किया तो पूर्वी जनपदों के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है और उन के पिछड़ेपन के अनुकूल उन को कोई अनुदान नहीं दिया गया है जब कि अन्य जनपदों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है और वहां के लिये विशेष अनुदान दिया गया है । माननीय नरेन्द्रसिंह जी विष्ट अपने पर्वतीय प्रदेश की दुख गाथा सदन में गा रहे थे परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इन जनपदों की उन के पहाड़ी क्षेत्र से भी अधिक दुर्दशा है । कबीर के शब्दों में,

"जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस के दुख दूना ।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई महल न सूना ।"

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय हो गया, आप अपना भाषण कल जारी रखें । अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२० फरवरी, १९६३ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ. २२३ पर]

प्रदेश में शेष ६ जिलों के उन अस्पतालों की संख्या जहां प्रसव के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं ।

जिले का नाम	राजकीय अस्पतालों की संख्या	प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों की संख्या, जहां प्रसव की सुविधायें उपलब्ध हैं	लोकल बाडीज के अस्पतालों की संख्या	प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों की संख्या	योग
१	२	३	४	५	६
१—इलाहाबाद	३	..	३	..	६
२—देवरिया	४	राजकीय ६ लोकल बाडीज	१	१	१८
३—जालौन	४	..	..	..	४
४—मिर्जापुर	३	..	..	..	३
५—सुल्तानपुर	१	३	३	..	७
६—उत्तरकाशी	३	..	..	..	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ. २९९ पर ।]

List of State Ayurvedic and Unani Dispensaries functioning in Varanasi District

1.	Matethu	Ayurvedic
2.	Ali Nagar	,,
3.	Ram Nagar	,,
4.	Kharaujha	,,
5.	Suriyaon	,,
6.	Kathraon	,,
7.	Barwa	,,
8.	Mahraj Ganj	,,
9.	Sudhwa	,,
10.	Sikanderpur	,,
11.	Morh	,,
12.	Chaubeypur	,,
13.	Durgaganj	,,
14.	Sahebganj	,,
15.	Konia	,,
16.	Kambaria	,,
17.	Mirza Murad	,,
18.	Sonaicha	,,
19.	Koirauna	,,
20.	Ugapur..	,,
21.	Mangari..	,,
22.	Barain	,,
23.	Sewapuri	,,
24.	Jalhupur	,,
25.	Baburi	,,
26.	Utraut	,,
27.	Ramesher	,,
28.	Chauri	,,
29.	Khamaria	,,
30.	Madho Singh	Unani.

सत्यमेव जयते संसद

नत्थी 'म'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर]

ब्लाक त्रिवेदीगंज (बाराबंकी) के सहकारिता विभाग के विरुद्ध विगत मार्च, १९६० से अब तक प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

शिकायती पत्र की तिथि	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत का विषय	कार्यवाही जो की गई
१	२	३	४
३–६–६१ २२–७–६१ अगस्त, ६१ १५–९–६१ ४–१०–६१	श्री सूर्य प्रसाद पांडेय, सरपंच, सराय पांडेय, सहकारी समिति श्री सूर्य प्रसाद पांडे की यह शिकायत श्री राम किशोर त्रिपाठी, तत्कालीन ब्लाक प्रमुख द्वारा भेजी गई थी।	समिति के भूतपूर्व सरपंच, श्री ब्रज-बहादुर सिंह से समिति के बस्ते व तहवील का चार्ज दिलाने, तीन बकायादार सदस्यों से वसूली करने तथा समिति कोबकायादार होने पर भी जिला सहकारी बैंक से ऋण दिलाने के सम्बन्ध में।	श्री ब्रजबहादुर सिंह भूतपूर्व सरपंच से समिति के बस्तु का चार्ज मई, १९६२ में तथा तहवील (९३ रु० ७२ नये पैसे) का चार्ज जून, ६२ में दिलाया जा चुका है। इससे पूर्व चार्ज न दिलायें जाने जाने का कारण यह था कि श्री ब्रज बहादुर सिंह फरवरी, १९६१ में समिति का सलाना जलसा होने के बाद से मई, १९६२ तक गांव के बाहर थे। दो बकायादारों से वसूली हो चुकी है। तीसरे बकायादार पर ३५०रु०५० नये पैसे का वर्ष १९६०–६१ का बकाया वसूल करने के लिये सालसी कार्यवाही की गई है। जिला सहकारी बैंक बाराबंकी से ४,८०० रु० ऋण समिति को अक्तूबर, १९६१ में दिया जा चुका है।
११–१०–६२	श्री सूर्य प्रसाद पांडेय, सरपंच. सराय पांडे सहकारी समिति	जिला सहकारी बैंक से कर्जा दिलाने, दो बकायादारों से वसूल बकाया	समिति पर बैंक की २,४०० रु० खरीफ किश्त बाजित हो चुकी है। उसकी अदायगी पर पुनः ऋण दिलाया जायगा।

	द्वारा श्री राम किशोर त्रिपाठी एम० एल० ए०।	की, धनराशि तथा भूतपूर्व सरपंच से वसूल तहवील की धनराशि बैंक अथवा समिति में जमा करने के विषय में।	बकाया वसूली तथा तहवील की धनराशि जिला सहकारी बैंक में २६-७-१९६२ को ही समिति के नाम जमा हो चुकी थी।
५-२-६२	श्री शीतलादीन वर्मा सरपंच लाही समिति।	श्री शिव गोविन्द त्रिपाठी सुपरवाइजर द्वारा समिति का ५०० रु० बैंक में जमा न करने के विषय में।	श्री त्रिपाठी सुपरवाइजर को फरवरी, १९६२ में ही निलम्बित कर दिया गया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है और इस समय इनका मामला स्थानीय अनुशासन समिति के विचाराधीन है। सुपरवाइजर निलम्बित है।
अगस्त, १९६२	श्री चौधरी इशरत अली, सदस्य शाहपुर शिदवीं सहकारी समिति	समिति से ऋण न मिलने के विषय में श्री राम कृपाल दुबे सुपरवाइजर के खिलाफ शिकायत।	सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायत झूठी पाई गई। श्री चौधरी इशरत अली ने अपना बकाया कर्जा जून, १९६२ में अदा किया था। उसके बाद सितम्बर, १९६२ में समिति से उन्हें कर्जा मिल गया।
जुलाई, १९६२	श्री राम भरोसे सदस्य वला खेरा समिति।	श्री रमा शंकर शर्मा सुपरवाइजर के विरुद्ध कर्जा दिलाने के लिये ४ रु० रिश्वत मांगने के विषय में।	मामले की जांच की जा रही है। जांच-परिणाम के अनुसार सुपरवाइजर के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायगी।
अक्तूबर, १९६२	श्री राम आसरे प्रधान रामी गंगा पर।	श्री राम कृपाल दुबे सुपरवाइजर के विरुद्ध १४ ० लेकर यूरिया खाद न देने के विषय में।	शिकायत की जांच की जा रही है।
१७-१२-६२	सर्वश्री भोला प्रसाद, कुरानबख्श तथा माहेश्वर प्रसाद ग्राम लाही।	कोलहुवा, बीज भंडार से इन लोगों के नाम खरीफ बीज का फर्जी वितरण होने के विषय में।	श्री शिव गोविन्द त्रिपाठी सुपरवाइजर से फर्जी बीज वितरण के सम्बन्ध में स्पस्टीकरण प्राप्त हो गया है। अग्रिम जांच व कार्यवाही की जा रही है। सुपरवाइजर के विरुद्ध अन्य आरोप भी हैं और वह फरवरी, १९६२ से निलम्बित है।

अवैध प्रकाशन

नत्थी 'घ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीठ २३४ पर]

सूची

चिकित्सा सचिव को सम्बोधित श्री राम सुन्दर पांडेय के पत्र दिनांक १० अगस्त, १९६२ में निम्नांकित चार बातों का उल्लेख था, जिनका उत्तर प्रत्येक के सामने अंकित है।

१—घोसी, अस्पताल जिला आजमगढ़ का प्रान्तीयकरण।	ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में विचार किया गया परन्तु सीमित प्राविधान तथा अन्य स्थानों पर आवश्यकता अधिक होने के कारण उनको प्राथमिकता दी गई जिसके फलस्वरूप घोसी अस्पताल का प्रान्तीयकरण करना असम्भव नहीं हो सका।
२—पसारा, जिला आजमगढ़ में एक आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना।	ग्राम पसारा, जिला आजमगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना का प्रश्न सदन में पहले कभी नहीं उठाया गया सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत पसारा ग्राम में से है जिसका उत्तर इसी सदन में ४ अक्तूबर, सन् १९६२ को दिया जा चुका है।
३—कमलसागर, जिला आजमगढ़ के आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निर्माण।	माननीय श्री रामसुन्दर पान्डेय के एक प्रश्न के सम्बन्ध में पिछले ४ अक्तूबर, सन् १९६२ को इसका उत्तर दिया जा चुका है।
४—दुवारी जिला आजमगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना।	ग्राम दुवारी, जिला आजमगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के प्रश्न पर आवश्यक जांच अभी हो रही है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३३१ एल० ए० १९६३ (प्रो०)—८५०।